सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

30 मार्च, 2016

षोडश विधान सभा | **बुधवार,तिथि 30 मार्च,2016**

द्वितीय सत्र | **10 चैत्र,1938(शक)**

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, आज का जो ऑर्डर पेपर आपलोगों को मिला है, सचिवालीय भूल के कारण जो कार्य-सूची के मद पर 12,13,14 एवं 15 है, उसमें वाणिज्य-कर के स्थान पर वित्त विभाग मुद्रित हो गया है और वाणिज्यकर मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव के नाम की जगह वित्त मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी का नाम मुद्रित हो गया है । आपसे अनुरोध है कि कृपया उसे संशोधित कर वाणिज्य-कर विभाग, जो वित्त विभाग श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी जी का नाम मुद्रित है, उसके स्थान पर वाणिज्यकर विभाग एवं इसके प्रभारी मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव जी का नाम संशोधित रूप में माना जाय ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, भूल बहुत सामान्य है, यह हमेशा होती रहेगी । 10 साल तक वाणिज्यकर विभाग, वित्त विभाग एक ही व्यक्ति के पास था लेकिन घटक दल के कारण आर0जे0डी0 को कम महत्व देने के कारण जो व्यवस्था बिहार के वर्तमान सरकार ने की, उसके कारण यह गलती हो गई महोदय ।

अध्यक्ष : यह तो आपका घटक दल के रूप में अनुभव रहा होगा । प्रश्नोत्तर काल ।

प्रश्नोत्तर-काल

तारांकित प्रश्न सं0- क 1069(श्री मुन्द्रिका सिंह यादव)

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. अंशतः स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि इंदिरा आवास योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है । भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय की मार्गदर्शिका के कंडिका 3(2)(4) में अंकित प्रावधानों के अनुसार प्राकृतिक आपदा से पीड़ित वैसे परिवार जो पूर्व में इंदिरा

आवास योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं तथा बी0पी0एल0 सूची से संबंध है, उन्हें पुनर्वासित करने के लिए उक्त प्रावधान के तहत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय को विशेष परियोजना प्रस्ताव भेजा जाता है । भारत सरकार की तत्संबंधी अधिकार प्राप्त समिति स्वीकृत एवं केन्द्र सरकार द्वारा निधि की विमुक्ति किये जाने के पश्चात् पीड़ित परिवारों को योजना अन्तर्गत लाभ दिया जाता है । गैर-बी0पी0एल0 परिवारों को इस योजना के अधीन लाभ देय नहीं है ।

4. प्रश्नाधीन अग्नि पीड़ित परिवार को पुनर्वासित करने हेतु विभागीय पत्रांक सं0-265220 दिनांक 09.03.2016 द्वारा मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के आलोक में विशेष परियोजना प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजने हेतु विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है । भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त ही इन्हें इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : महोदय, ये अतिपिछड़ी जाति में आते हैं और मैं स्वयं पीड़ित परिवार से मिलने गया था । उनको रहने के लिए घर नहीं है, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं और यह कल्याणकारी सरकार है महोदय, मैंने कहा है कि विशेष परिस्थिति में पीड़ित परिवार को इंदिरा आवास मुहैया कराया जाय । सरकार कितनी जल्दबाजी में पीड़ित परिवारों को विशेष परिस्थिति में इंदिरा आवास मुहैया करायेगी महोदय ?

श्री श्रवण कुमार : माननीय सदस्य मुन्द्रिका बाबू, काफी पुराने सदस्य हैं महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है कि भारत सरकार का जो गाईड लाईन है, उसके हिसाब से उन्हें इंदिरा आवास दिया जायेगा । यह बात सही है कि गरीब लोग हैं, इनका नाम बी0पी0एल0 सूची में भी है । सरकार तो चाहती है कि ऐसे लोगों को पुनर्वासित कर दिया जाय । लेकिन जो अग्निकांड से पीड़ित परिवार हैं, उसके लिए अलग प्रावधान और अलग नियम है महोदय और हमने तो तुरंत कार्रवाई की है, हमने डी0डी0सी0 को पत्र लिखा है, प्रस्ताव मांगा है, जल्द से जल्द हमारी कोशिश होगी कि इनको इंदिरा आवास उपलब्ध हो सके ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : महोदय, यह सवाल दिया गया था आपदा प्रबंधन में और उन्होंने भेज दिया इनके पास । वहां से पुनर्वासित हो सकता था, सरकार तो चाहे आपदा प्रबंधन हो या ग्रामीण विकास विभाग हो, वो तो सरकार कर ही सकती है न, आपदा से ही करे सरकार ।

अध्यक्ष : मुन्द्रिका बाबू, सरकार ने तो बताया कि इस मामले में विशेष परिस्थिति बनाकर इसकी स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर रही है, उन्होंने तो कहा कि केन्द्र सरकार को भी लिख रही है । मुन्द्रिका बाबू, अगला प्रश्न भी आपका ही है ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : महोदय, तो बतायें कि किस तारीख को भारत सरकार को भेजेगी ?

अध्यक्ष : किस तारीख को भेजियेगा, यह बता दीजिए ।

श्री श्रवण कुमार : महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से माननीय सदस्य को बताया कि हमने जिला पदाधिकारी,जहानाबाद को पत्र लिखा है 09.03.2016 को और उनसे प्रतिवेदन की मांग की गयी है । प्रतिवेदन प्राप्त होगा और मैं 15 दिनों के अन्दर भारत सरकार में इस प्रस्ताव को भेजूँगा ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी बताईए, मैंने बताया है कि आग लगी है 14 फरवरी को और अब मार्च खत्म होने जा रहा है तो इतना दिनों के बाद आगजनी का सरकार को रिपोर्ट मिलेगा तो सरकार से कैसे काम चलेगा महोदय इन गरीबों का ?

श्री श्रवण कुमार : महोदय, मैंने विभाग को निर्देश दिया है, अगलगी के मामले में राज्य भर में जितने भी लोगों का घर नुकसान हुआ है, उसकी पूरी सूची तैयार करा रहा हूँ । सिर्फ जहानाबाद का ही नहीं, पूरे बिहार की सूची भारत सरकार को भेजेंगे ।

अध्यक्ष : मुन्द्रिका बाबू, अगला प्रश्न आपका ही है, पूछिए ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : नहीं महोदय, बिल्कुल हम सरकार के उत्तर से असंतुष्ट हैं और सरकार गरीबों के हित में जवाब नहीं दे रही है । आगजनी की घटना है और कह रहे हैं कि 15 दिनों में रिपोर्ट भेजेंगे ।

अध्यक्ष : मुन्द्रिका बाबू, अगला प्रश्न पूछिए न ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : पूछ रहे हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0- ख 1757(श्री मुन्द्रिका सिंह यादव)</u>

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, 1. अस्वीकारात्मक है ।

2. अस्वीकारात्मक है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में कटाव नहीं हो रहा है । बाढ़ अवधि में कटाव परिलक्षित होने पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है और इसपर सतत् निगरानी रखने का निर्देश मुख्य अभियंता को दिया जा रहा है ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : महोदय, यह कहना माननीय मंत्री जी उत्तर में दे रहे हैं कि कटाव नहीं हो रहा है । मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर को चुनौती दे रहा हूँ । चलें मेरे साथ मंत्री जी और कटाव हो रहा है या नहीं, उसको देखने का काम करेंगे । चलिए डेट दीजिए, कब चलियेगा, बताये सरकार ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको देखवा लीजिए ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : देखवाना क्या है महोदय, ये बताये, सरकार का उत्तर हुआ है कि कटाव नहीं हो रहा है । मैं कह रहा हूँ कि कटाव हो रहा है और सरकार चलकर देखे। माननीय मंत्री जी डेट दें कि कब चलियेगा ?

अध्यक्ष : आपने जो कहा कि सरकार देखे, वही तो आसन ने भी कहा कि सरकार इसको देखे ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, महोदय, मेरा पूरक है ....

अध्यक्ष : आप कहां जहानाबाद चले गये ?

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, जहानाबाद बगल में है, पटना जिला से सटा हुआ है । महोदय, क्या यह बात सही है कि वर्तमान प्रश्न में मंत्री महोदय का वक्तव्य ऐसा इसलिए केवल आया है कि जो पूछने वाले विधायक हैं, वे आर0जे0डी0 के हैं, क्या आर0जे0डी0 के विधायकों को क्षेत्र में काम नहीं कराने का इस सरकार ने तय किया है ?

टर्न-2/अंजनी/दि0 30.03.2016

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2223(श्री जर्नादन माँझी)</u>

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि पांच वर्ष पूर्व पथ निर्माण विभाग, बांका द्वारा सड़क निर्माण के क्रम में कुछ दिनों के लिए सदा वाहे डांड बंद कर दिया गया था, परन्तु सड़क निर्माण के क्रम में सड़क के बीच ह्यूम पाईप लगाकर इसकी मदद से डांड में जल प्रवाह पुनः चालू कर दिया गया है, जिससे किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है । पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क पर पुल निर्माण जल संसाधन विभाग के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है ।

श्री जर्नादन मांझी : अध्यक्ष महोदय, घोघा बीयर बन जाने के बाद किसानों को खेत में पानी नहीं जा रहा है, इसलिए जहां से जो नाला है, उसके द्वारा करीब-करीब 6 पंचायत का पटवन होता है । इसलिए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि एक छोटा-सा छिलका थोड़ा-सा गार्डवाल बनाने से हर पंचायत को सिंचाई की सुविधा हो जायेगी। अभी 6 पंचायत भूखमरी के शिकार हैं, किसान खेत में जो बीज लगाते हैं, उसका पैदावार नहीं होता है, इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि बहुत कम पैसा के लागत पर सिंचाई हो जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-2224(श्री फैसल रहमान)

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की कुल लम्बाई 16.90 किलोमीटर है । कार्य प्रमंडल, ढ़ाका के अधीन पथ की लम्बाई 8 किलोमीटर एवं कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल के अधीन पथ की लम्बाई 8.9 किलोमीटर है । पथ राज्य अनुरक्षण निधि के तहत श्रेणी-1 में सम्मिलित है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रमानुसार पथ का जीर्णोद्धार कार्य कराया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2225(श्री राजेन्द्र कुमार)

श्री शैलेश कुमार : महोदय, स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 6.5 किलोमीटर है, जो कच्ची है । इसपर चार ग्राम बड़हरवा, बहुरूपिया, फुलुवा घाट तथा नया टोला अवस्थित है । इसमें ग्राम बड़हरवा को गया घाट से बड़हरवा निर्मित पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से सम्पर्कता प्राप्त है, शेष तीनों गांवों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु छोटे बसावटों का राज्य कोर नेट वर्क में शामिल करने के लिए सेटेलाइट सर्वे किया जा रहा है, तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, वह कच्ची सड़क के वजह से पिछले लोक सभा चुनाव में और बिहार विधान सभा चुनाव में चार पंचायत की जनता वोट का बहिष्कार भी किया था। महोदय, आने-जाने में काफी परेशानी है, इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि कबतक इसका निर्माण हो जायेगा ?

श्री शैलेश कुमार : महोदय, हमने बताया माननीय सदस्य को कि कोर नेट वर्क में शामिल करने के लिए सेटेलाइट सर्वे किया जा रहा है और हम विश्वास दिलाते हैं कि वर्ष 2020 तक सभी अन्य जुड़े गांवों को सम्पर्कता प्रदान कर देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, वहां जो स्थिति बनी है, तो उस परिस्थिति में एक साल सिर्फ पानी से वह रास्ता बन्द हो जाता है, इसलिए विशेष प्राथमिकता के आधार पर हम चाहेंगे कि कबतक सरकार इसको बनाना चाहेगी ?

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2226(श्री निरंजन कुमार मेहता)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. प्रश्नगत आम रास्ता नदी से औसतन 75 मीटर की दूरी पर है । इस आम रास्ते का कटाव नहीं हो रहा है । इस आम

रास्ते से नदी किनारे जाने के लिए दो कच्चे मार्ग हैं, जिनकी चौड़ाई लगभग दो मीटर है । बाढ़ अवधि में नदी के जलस्राव में वृद्धि होने पर नदी तट का क्षरण होता है । प्रश्नगत गोढ़ियारी टोला का बलुवाहा नदी से क्षरण, कटाव से बचाव हेतु वर्ष 2012 में लगभग 500 मीटर की लम्बाई में पर्कोपाइन से कटाव निरोधक कार्य कराया जा चुका है जो नदी के किनारे के क्षरण, कटाव को नियंत्रित करने में कारगर है । बाढ़ अवधि में स्थल पर सतत निगरानी रखने एवं आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर नदी के किनारे के क्षरण को नियंत्रित रखने का निर्देश है ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि हम खुद इसको देखे हैं । बलुवाहा नदी है मधेपुरा जिला के मुरलीधर प्रखंड में, वहां से ग्राम पंचायत जाकर, चुनाव जीतने के बाद हम खुद देखे हैं और अभी-भी वहां पर कटाव है और जो पहले कार्य किया गया है वर्ष 2008 के बाद, बात सत्य है कि कार्य किया गया है लेकिन वह परिपूर्ण नहीं है, जिससे कि आगे जो बाढ़ आयेगी, वहां दो वार्ड है, चार और पांच वार्ड और दोनों टोला कटाव की स्थिति में है और आगे काफी खतरा हो जायेगा । हुजूर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि कार्य तो पहले कराया गया है, पुनः इसकी जांच कराकर ऐसा कार्य सम्पादित करा दिया जाय, जिससे उस टोला के लोगों का बचाव हो सके ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2227(डॉ विनोद प्रसाद यादव)

श्री आलोक कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

प्रश्नगत पंचायत अंतर्गत वर्णित स्थल पर विस्तृत सर्वेक्षण कर चेक डैम की तकनीकी दृष्टिकोण से संभाव्यता पाये जाने पर बजट उपलब्धता के आधार पर सतत् प्रक्रिया के तहत विभाग के द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

डॉ0 विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, उक्त गांव में कोई सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है मैंने अपने प्रश्न में भी लिखा है कि वहां के लोग वर्षा पर आधारित रहते हैं तो वैसे गांव को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या सरकार वहां पर जो नहर, पोखर है, उसकी मरम्मति या जो चेक डैम के बारे मे हमने कहा है, उसका निर्माण कराने का विचार है कि नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य विनोद जी, मंत्री जी ने तो बताया है कि चेक डैम बनाने के लिए सरकार वहां पर सर्वे करायेगी, अगर वहां पर तकनीकी संभाव्यता होगी तो उसपर विचार करेगी । यह तो उन्होंने कहा है ।

डॉ0 विनोद प्रसाद यादव : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसकी क्या समय-सीमा होगी, कबतक उसको करा देंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको आप शीघ्र देखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-2228(डॉ0 सुरेन्द्र कुमार)

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

प्रश्न में वर्णित नलकूप पानापुर एवं रामपुर, मीनापुर प्रखंड में अवस्थित है जो चालू है । उद्वह सिंचाई योजना राजखंड विद्युत दोष के कारण बंद है । विद्युत विभाग के द्वारा विद्युत दोष दूर करने के पश्चात् अग्रतर कार्रवाई की जायेगी । राजकीय नलकूप औराई, जजुआर और खंगुराडीह में कोई योजना की संभावता तथा निधि की उपलब्धता के आधार पर विभाग द्वारा चालू कराने की कार्रवाई की जायेगी ।

डॉ0 सुरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय जी, औराई प्रखंड का 26 पंचायत और कटरा प्रखंड का 16 पंचायत कहीं भी नलकूप वस्तुस्थिति में नहीं है लेकिन जैसाकि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पानापुर गांव औराई प्रखंडान्तर्गत आता है, वहां विद्युतीकरण है लेकिन वर्षों से वह नलकूप बंद है, जिसके कारण किसान को सिंचाई करने में काफी असुविधा होती है, जबकि वहां ऑपरेटर भी है तो हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से संतुष्ट होना चाहते हैं कि जो भी नलकूप बंद हैं या जहां पर नलकूप की जरूरत है, आग्रह है कि यथाशीघ्र उसको चालू कराया जाय ।

तारांकित प्रश्न सं0-2229/श्री सरोज यादव

श्री शैलेश कुमार : महोदय, 1- अस्वीकारात्मक है।

2- वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न निम्नलिखित पथों से संबंधित है। 1- नेमकाम टोला तक पथ, इस पथ की लंबाई 2.50 कि0मी0 है। जो बड़हरा, तरैया पी0डब्लू0डी0 पथ से प्रारंभ होकर नेकनाम टोला होते हुए बांध तक जाती है। यह पथ पूर्णत: कच्ची नहीं है। इसमें पी0सी0सी0 एवं ईंट सोलिंग का कार्य किया हुआ है। 2- लेखी टोला एवं ज्ञानपुर पथ पर इन गांवों को पक्की सड़क से एकल संपर्कता प्राप्त है। 3- पंचगछिया ग्राम पथ, इस पथ की लंबाई 2.25 कि0मी0 है, जो ग्रामीणों के निजी रैय्यती जमीन पर बनी हुई है। 4- तुर्की ग्राम पथ, इस पथ की लंबाई 2 कि0मी0 है, जो राज्य कोर नेटवर्क के सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक-11 पर अंकित है। निधि की उपलब्धता के आधार पर इस पथ का निर्माण किया जा सकेगा।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह बता देना चाहता हूँ कि जहां वह बताये नेकनाम टोला, पूरे नेकनाम टोला पंचायत की बात है। वहां गरीब गुरबा की ही बस्ती है, वह गांव रोड से जुड़ा ही हुआ नहीं है, रोड काफी दूरी पर है नेकनाम टोला से। वहां रोड नहीं जुड़ा हुआ है और जब बाढ़ का समय होता है तो बाढ़ के समय में चारों तरफ से पानी में घिर जाता है वह गांव और पूरा पंचायत। वहां पर उनलोगों को निकलने में काफी परेशानी होती है। वहां कोई रोड नहीं है, अगर कच्ची सड़क भी है तो वहां के लोगों की निजी जमीन है, जब फसल बो दी जाती है तो चारों तरफ से उस रास्ता को घेर दिया जाता है। दूसरी तरफ आरा ब्लॉक में ज्ञानपुर जो गांव है उस गांव की भी सेम स्थिति है। माननीय मंत्री जी को विभाग गुमराह कर रहा है और वह सच्चाई बात नहीं बता रहा है। उस गांव में रोड नहीं है। सर, आप फिर से अपने स्तर से जॉच करवाइये। उस गांव की आबादी करीब 15 से 20 हजार की आबादी है पूरे पंचायत की और वहां कहीं रोड नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या कभी उस गांव को रोड से जोड़ने का विचार सरकार रखती है, रखती है तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो कहा है उसकी जॉच करवा दीजिए।

श्री शैलेश कुमार : जी।

श्री सरोज यादव : सर, मुझे बता दिया जाय क्योंकि गांव के लोग, जब भी गांव में जाता हूं तो लोग उस रोड का ही मामला उठाते हैं।

अध्यक्ष : सरोज जी, आपने कहा कि इन सब बातों की जॉच करा ले सरकार।

श्री सरोज यादव : सर, काफी दिन से आज तक, उस गांव में इतनी बड़ी आबादी रहने के बावजूद भी उस गांव को रोड से नहीं जोड़ा गया है। तुर्की गांव है, तुर्की गांव में तो लोगों का निकलना बंद कर दिया गया है- बोलते हैं लोग कि मेरा फसल खराब होता है। यहां तक कि चुनाव के बाद जो रास्ता भी था उसको जे0सी0बी0 से तोड़वा दिया गया है। उस तरफ से लोग जाने नहीं दे रहे हैं तो क्या माननीय मंत्री जी मुझे बतायें कि क्या उसपर सरकार विचार रखती है रोड बनाने की ?

श्री शैलेश कुमार : नेकनाम टोला और ज्ञानपुर माननीय सदस्य.......

श्री सरोज यादव : तुर्की भी है सर।

श्री शैलेश कुमार : माननीय सदस्य जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसको हम देखवा लेते हैं। लेकिन पंचगछिया ग्राम पथ की बात है तो वह निजी जमीन में है और तुर्की ग्राम को हमनें बताया कि सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक-11 पर है उसे हम बनवा लेंगे।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि साइड से ही बांध है और अगर बांध के रास्ता से रोड बना दिया जायेगा तो सारा पंचायत उससे जुड़ जायेगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके जितने सुझाव हैं लिखित रूप में आप माननीय मंत्री जी को दीजिएगा ये उसकी जॉंच कराकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

श्री सरोज यादव : ठीक है, धन्यवाद।

तारांकित प्रश्न सं0-2230/श्री सुवाष सिंह

श्री शैलश कुमार : महोदय, 1-स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 1.1 कि0मी0 है। इसका निर्माण जिला परिषद्, गोपालगंज द्वारा कराया गया था, जो वर्तमान में खराब है। पथ राज्य अनुरक्षण नीति के तहत श्रेणी-2 में सम्मिलित है, निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पथ का जीर्णोद्धार कार्य कराया जा सकेगा।

श्री सुवाष सिंह : अध्यक्ष महोदय, वह सड़क शहर के करीब है और काफी लंबी सड़क है, बराबर एक कि0मी0 यह सड़क बीच में छूट जाती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि दोनों तरफ घनी आबादी है, कब तक उसमें नाला के निर्माण के साथ साथ उस सड़क का निर्माण करा दिया जायेगा ? कोर नेटवर्क में तो सारे पथ जुड़ गये हैं, लेकिन निर्माण कब तक हो जायेगा?

श्री शैलेश कुमार : देखवा लेते हैं।

तारांकित प्रश्न सं0-2231/डा0 रंजु गीता

श्री श्रवण कुमार : महोदय, 1- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। राज्य सरकार के विभागीय पत्रांक 222642, दिनांक 02.03.2015 द्वारा सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी एवं नानपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का आवासीय भवन निर्माण, निरीक्षण कमरा एवं परिसर निर्माण किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। परियोजना का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

डा0 रंजु गीता : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि क्या दो दिन बाद जो वित्तीय वर्ष आनेवाला है 2016-17 उसमें निविदा की प्रक्रिया पूरी कर बाजपट्टी एवं नानपुर प्रखंड कार्यालय का भवन निर्माण कब तक ये करा देंगे ?

श्री श्रवण कुमार : महोदय, ये मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 02.03.2015 में स्वीकृति प्रदान की गयी है और प्रोसेस जारी है। कुछ तकनीकी कारणों से टेंडर में गड़बड़ी हुई थी जिसके कारण दुबारे टेंडर किया जा रहा है। हम माननीय सदस्या......

अध्यक्ष : माननीय सदस्या ने भी तो कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में.......

श्री श्रवण कुमार : मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आगे देर नहीं होगी, शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई की जायेगी।

डा0 सुनील कुमार : मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि सरकार पूरे बिहार राज्य में सभी प्रखंडों में प्रखंड कार्यालय का जीर्णोद्धार कराना चाहती है ?

अध्यक्ष : यह आप सुझाव दे दीजिए कि पूरे बिहार का सरकार देख ले, यह आप सुझाव दे दीजिए।

डा0 सुनील कुमार : यह उनको मालूम है सर, बिहारशरीफ का ही देख लें न!

श्री सत्यदेव प्र0 सिंह : हमारे यहां गोरियाकोठी में भी पदाधिकारी, कर्मचारी के रहने के लिए भवन नहीं है, वे भी हमारे पदाधिकारी हैं उनके लिए भी औफिस, आवास का भवन होना चाहिए।

अध्यक्ष : ठीक है।

तारांकित प्रश्न सं0-22332/श्री विजय कुमार सिन्हा

श्री राजीव रंजन सिंह : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है।

2- अस्वीकारात्मक है। बाढ़ में हरोहर नदी के जल श्राव में वृद्धि होने पर नदी के किनारे का क्षरण और कटाव कहीं कहीं होता है।

3- वर्तमान स्थलीय स्थिति में सुरक्षा बांध की आवश्यकता नहीं है। स्थल पर सतत् निगरानी रखने तथा बाढ़ आने पर कटाव की स्थिति में आवश्यक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखने का निदेश जारी किया गया है।

श्री विजय कुमार सिन्हा : महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहेंगे कि हरोहर नदी के किनारे दरियापुर ग्राम, शहजादपुर, सामनडीह जो भी गांव बसे हैं इसके पूर्व भी वहां कटाव हुआ और कटाव के कारण वहां पर विभाग से पत्थर पीचिंग का कार्य करवाया गया, बोल्डर पीचिंग का और उसपर रोकने की स्थिति यह है कि गांव के कई घर गिरने की कगार पर हैं। आज दरियापुर में, शहजादपुर में यह स्थिति बन गयी है और सामनडीह उसी कगार पर जा रहा है। महोदय, जब बरसात आयेगा बाढ़ में फ्लड में जब घर गिरने लगेगा तब काम शुरू होगा और उसमें पैसे की बंदरबांट भी होती है, काम भी सही ढंग से नहीं होता है तो पूर्व से तैयारी करके इसकी जॉंच उसी क्षेत्र से माननीय मंत्री जी सांसद रह चुके हैं, वे जानते हैं कि दरियापुर और शहजादपुर, सामनडीह में कटाव हो चुका है, वहां घर गिरने के कगार पर है तो क्या वहां पुनः बाढ़ आने के पहले इस कार्य को करवाने का विचार रखते हैं ?

श्री राजीव रंजन सिंह : महोदय, हमने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि कई जगह जब पानी गिरता है तब छोटा छोटा कटाव होता है और फ्लड फाइटिंग का काम इसीलिए

कराया जाता है कि जहां पर पानी बढ़ने के बाद, जो माननीय सदस्य बता रहे थे कि बोल्डर पीचिंग तो, फ्लड फायटिंग का काम होता है। इसलिए हमने कहा कि वहां इन्सट्रक्शन दिया गया है कि उसपर निगरानी रखा जाय और अगर आवश्यकता कहीं पर कटाव में होगी तो वहां पर फ्लड फाइटिंग का काम किया जायेगा।

टर्न-4/अशोक/30.03.2016

श्री विजय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि वो तीनों, चारों गांव, काफी कमजोर वर्ग और काफी गरीबी का क्षेत्र, दियारा का क्षेत्र है, अगर सुरक्षा बांध की व्यवस्था माननीय मंत्री महोदय वैसा प्रस्ताव ले लें, स्थाई समस्या से निदान मिल जाय तो क्या सरकार इस तरह का विचार रखती है ?

डा0 सुनील कुमार : महोदय, पूरे बिहार में हर जिला में 8-10 गांव ऐसे हैं जो नदी के किनारे हैं और जहां पर कटाव होता है । मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि कोई राशि कर्णांकित करके, ऐसे गांव को चिन्हित करके नदी में बोल्डर पिचिंग कराना चाहती है ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सुनील जी, विभाग के द्वारा हर वर्ष राशि कर्णांकित रहती है कटाव निरोधात्मक कार्य के लिए, बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के लिए, वह तो राशि रहती ही है, आप अगर किसी विशेष गांव के बारे में विशेष सूचना देना चाहते हों तो वह दे दीजिए, माननीय मंत्री जी देखेंगे ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, सुनील जी भूल गये कि विजय जी और ललन जी के बीच में केवल आप ही बोल सकते हैं, कोई और नहीं बोल सकता है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2233(श्री मनोहर प्रसाद सिंह)

श्री शैलेश कुमार : स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ गोपीचक गांव से प्रारम्भ होकर सोवाग्राम होते हुए सिमरतल्ला गांव तक जाती है । उक्त पथ के बसावट गोपीचक गांव को कटिहार मनिहारी पी.डब्ल.डी. पथ से सपर्कता प्राप्त है तथा बसावट सोवाग्राम एवं सिमरतल्ला को पी.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत निर्मित पथ पागलवाड़ी से महुवर से संपर्कता प्राप्त है । प्रश्नाधीन पथ के पथांश गोपीचक गांव एवं सोवाग्राम के बीच में कोई बसावट नहीं रहने के कारण इसे राज्य कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है । प्रश्नाधीन पथ के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पथ के लिए, इसलिए इसे प्रश्न में दिया था कि वह बिल्कुल किसानों का रास्ता है और सारे किसान उस जगह उसी रास्ते से आते हैं, किसानों का वही रास्ता है, उस गांव के लिए अलग से दूसरा रास्ता बन रही है, लेकिन यह जरूरी है, चूंकि सारे के सारे किसान उसी रास्ते से अपना फसल वहैरह लाते है, इसलिए मैंने प्रश्न किया ।

अध्यक्ष : ठीक ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2234(श्री नन्द कुमार राय)

श्री शैलेश कुमार : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है :-

1. फुलवरिया चौक(परसौनी) से परसौनी नहर से (गुजुर चौक) महमदा पथ:- इस पथ की लम्बाई 4.27 कि.मी. है, जो फुलवरिया से लखनसेन पथ के नाम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत है ।

2. खन्तरी मदरसा से गोसाइपुर राजी भगत के आटा चक्की तक पथ:- इस पथ की लम्बाई 2.93 है, जो खंतरी महानंद से गोसाईपुर पथ के नाम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत है ।

उक्त दोनों पथों का एकरारनामा विखंडन के पश्चात पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । निविदा प्रक्रिया पूरी कर कार्य आवंटित कर निर्माण कार्य कराया जायेगा । टेन्डर में जा रहा है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2235(श्री रमेश ऋषिदेव)

श्री शैलेश कुमार : स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ एन.एच. 106 से मौरा भाया जयपुरा पथ (पैकेज सं.-BKFRP-MA-III) के नाम से विश्व बैंक फेज-। अंतर्गत निर्माणाधीन है। उक्त पथ की लम्बाई 7.35 कि.मी. है जिसमें से जी.एम.बी. -7.35 कि.मी. डब्लू0बी0एम0 ग्रेड-।।-6.45 कि.मी., डब्लू.बी.एम. ग्रेड-।।।-5.10 कि.मी., बी.टी.-2.00 कि.मी. एवं पी.सी.सी.-0.90 कि.मी. में पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है । इस योजना का पुनरीक्षित वर्क प्रोग्राम के अनुसार कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य 31 मार्च, 2016 था परन्तु शेष कार्य मई, 2016 तक पूरा करा लिया जाएगा ।

श्री रमेश ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, वह जो संवेदक है, वह जो वहां से भागा है अधूरा काम करके, अभी तक वह लापता है । बार-बार एक्सक्यूटिव को कहते है, वह सुनता नहीं है, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि उस काम को कब तक पूरा करेंगे ? एक समय सीमा तय कर दें ।

श्री शैलेश कुमार : महोदय, हमने जवाब में बतलाया कि शेष कार्य मई, 2016 तक पूरा करा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2236(श्री मुजाहिद आलम)

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री मुजाहिद आलम अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-2337(श्री जितेन्द्र कुमार)

श्री शैलेश कुमार : 1. स्वीकारात्मक है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 4.40 कि.मी. है । इस पथ का निर्माण कार्य केन्द्रीय एजेंसी एनपी.सी.सी. द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत दिनांक 31.03.2010 को पूर्ण किया गया था । नई अनुरक्षण नीति के तहत यह पथ परनामा मोड़ से जहाँगीरपुर पथ के नाम से श्रेणी-1 में शामिल है ।

निधि की उपलब्धता के आधार पर इस पथ की मरम्मति कराई जा सकेगी ।

श्री जितेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण पथ है और यह पथ सैकड़ों गांव को जोड़ती है और तीन जिला को जोड़ती है,- शेखपुरा जिला, नालंदा जिला वं पटना जिला को जोड़ती है । हम यह जानना चाहते हैं जनहित में राशि की उपलब्धता कब होगी और इस पथ का निर्माण क्या अगले वित्तीय वर्ष में होगा ?

श्री शैलेश कुमार : महोदय, हम इसी वर्ष करा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2238(डा0 सुनील कुमार)

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

प्रश्नगत स्थल का विस्तृत सर्वेक्षण कर योजना सम्भाव्य पाये जाने पर बजट उपलब्धता के आधार पर सत्त प्रक्रिया के तहत विभाग के द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

डा0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ और सुखाड़ से पूरे बिहार राज्य के किसान तबाह हैं, रहुई प्रखण्ड में हर साल बाढ़ आती है और सुखाड़ भी आता है, पटवन की कोई व्यवस्था नहीं है, जितने भी पैइन है तीस साल से उड़ाही नहीं हुई है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या इस वित्तीय वर्ष में किसानों के हित में रहुई प्रखण्ड के पैइनों की उड़ाही करना चाहते हैं ?

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, किसी भी नई योजना के लिए प्रक्रिया के तहत कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है, जैसे पहले इसका सर्वेक्षण कराया जायेगा, उसकी भायब्लिटी का पता लगाया जायेगा और तब उसका बजट उलब्ध करा कर उस कार्य को अंजाम दिया जा सकता है । इसलिए माननीय सदस्य, जो दूसरी बात इस सदन

के सदस्य हैं, लगता है पहली बार यह प्रश्न उस स्थल के लिए है तो धैर्य रखने की जरूरत है । माननीय सदस्य के इस प्रश्न को संज्ञान में लेती है और इसका सर्वेक्षण कराकर जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा कराने का आश्वासन देती है ।

डा. सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सिर्फ रहुई का नहीं है, सरकार कहती है कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, किसानों के लिए रोड मैप बना रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार राज्य में किसान बेहाल हैं, उनकी पटवन की समस्या दूर नहीं हो रही है- हमने तो प्रश्न सिर्फ रहुई का किया है, लेकिन समस्या पूरे बिहार की है, हम खाली इतना जानना चाहते हैं कि रहुई प्रखण्ड में पैइनों की उड़ाही करने का विचार सरकार इस वित्तीय वर्ष में रखती है कि नहीं ? नहीं तो ये कहें कि किसानों के हित में काम करना नहीं चाहते हैं ।

अध्यक्ष : सुनील जी, यह बात सही है कि यह मामला पूरे बिहार से संबंधित है, लेकिन यह प्रश्न रहुई प्रखण्ड का इसीलिए बन गया कि आपने ही अपने प्रश्न में प्रखण्ड रहुई का नाम डाल दिया, इसलिए तो यह रहुई का प्रश्न बन गया ।

डा0 सुनील कुमार : हम तो रहुई की ही बात कर रहे हैं, लेकिन मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि इस तरक का कोई प्रावधान ही नहीं है । तो फिर लघु सिंचाई विभाग करेगी क्या ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आपके मामले का सर्वेक्षण कराकर, उसका करायेंगे।

टर्न-5-30-03-2016-ज्योति

डा0 सुनील कुमार : महोदय, हम इतना ही जानना चाहते हैं और यही सवाल प्रश्न संख्या 2245 में भी है तो इस वित्तीय वर्ष में रहुई प्रखंड के पईनों की उड़ाही का विचार रखते हैं कि नहीं ?

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री नंद किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब में इस बात का जिक्र किया है कि माननीय सदस्य सुनील कुमार जी दूसरी बात जीत कर आए हैं और पहली बार ये प्रश्न किए हैं और मंत्री महोदय के कहने का जो मतलब मेरे समझ में आया कि इन्होंने प्रश्न किया है तब सरकार उसके सर्वेक्षण का विचार कर रही है । मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है । चूँकि आपने पहली बार प्रश्न किया है तो हम सर्वेक्षण करायेंगे । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या पईन की उड़ाही या पईन अगर जाम हो जाती है तो सिंचाई के साधन में कठिनाई पैदा होती है तो क्या माननीय सदस्यों के प्रश्न करने के बाद ही सरकार जगती है ?

क्या बिना माननीय सदस्य के प्रश्न किए हुए सरकार पईन के उड़ाही के बारे में कुछ सर्वेक्षण नहीं कराना चाहती है ?

श्री आलोक कुमार मेहता : माननीय सदस्य का यह प्रश्न था और उनकी तत्परता थी कि जल्द से जल्द यह कार्य हो जाय तो उस संदर्भ में मैंने कहा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप बतला दीजिये कि पईनों की उड़ाही के लिए प्रश्न करना ही अनिवार्य नहीं है बिना प्रश्न के भी उड़ाही का काम हो सकता है ।

श्री नंद किशोर यादव : पूरे बिहार में पईनों का सर्वेक्षण कराईये, जहाॅं जहाॅं उड़ाही की आवश्कता हो उड़ाही करायी जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या 2239 (श्री सुबोध राय)

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । प्रश्नगत योजना का विस्तृत सर्वेक्षण कर तकनीकी रुप से सम्भाव्य पाए जाने पर बजट उपलब्धता के आधार पर सतत प्रक्रिया के तहत अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री सुबोध राय : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है लेकिन मैं कहना चाहता हूॅं कि उस इलाका में गरीब और सीमान्त किसान हैं । सैकड़ो बीघे जमीन में सिंचाई का कोई साधन नहीं है । किसानों के पास भी हैसियत नहीं है और दो साल से वह जो पुराना था वियर बना हुआ , इस सरकार ने नहीं बनाया था , तो वह क्षतिग्रस्त हो गया है और आज किसान तबाही के शिकार हो रहे हैं तो इसको देखते हुए क्या सरकार जल्द ही किसानों के हित में इसका जीर्णोद्धार करा देना चाहेगी ?

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नगत योजना की टेक्नीकल वायब्लिटी का जायजा लेना बहुत आवश्यक है कि उसमें तुरत पूरे निर्माण की जरुरत है या मरम्मती की जरुरत है इसलिए तकनीकी रुप से उसके वायब्लिटी का सर्वेक्षण कराके इस कार्य को आगे बढ़ाया जायेगा ।

श्री सुबोध राय : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूॅं कि कबतक तकनीकी रुप से उसकी जाॅंच कराकर इस संबंध में पूरे निष्कर्ष पर ये पहुंचेंगे कि यह योजना कार्यान्वित किया जाय ?

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, जल्द से जल्द इसका सर्वेक्षण करा कर माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या 2240 (श्री अमरनाथ गामी)

श्री विजय प्रकाश : 1- उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक एक कौशल प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की योजना है ।

2- उत्तर अस्वीकारात्मक है । दरभंगा जिले में युवक युवतियों को तकनीकी प्रशिक्षण हेतु दरभंगा जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दरभंगा तथा महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दरभंगा कार्यरत है । इसके अतिरिक्त दरभंगा जिले में गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केन्द्र भी संचालित है जिसके माध्यम से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है ।

3- उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री अमरनाथ गामी : अध्यक्ष महोदय, प्रखंड स्तर पर कौशल विकास केन्द्र नहीं खुलने के कारण वहॉ के शिक्षित बेरोजगार सामान्य मजदूरी के लिए पलायन के लिए मजबूर हैं और माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि प्रखंड स्तर पर खोलने का तो खुलना है तो कबतक कौशल विकास केन्द्र हमारे क्षेत्र में खोलेंगे ?

श्री विजय प्रकाश : 2016-17 में हमलोगों का यह तय हुआ है कि यह जल्द ही खोला जायेगा।

श्री अमरनाथ गामी : समय सीमा तय करवा दें ।

अध्यक्ष : कह रहे हैं 16-17 में । प्रश्न संख्या 2241 श्री अमीत कुमार ।

श्री भोला यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे यहॉ महिला आई0टी0आई0 बनकर तैयार है, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि वहॉ पढ़ाई लिखाई का कार्य कबतक शुरु करायेंगे ?

अध्यक्ष : श्री भोला जी, आप तो यह सुझाव दे दीजिये न कि महिला आई0टी0आई0 के बारे में लेकिन यह तो कौशल विकास केन्द्र खोलने का है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 2241 (श्री अमीत कुमार)

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या 2242 (श्री राम नारायण मंडल)

श्री आलोक कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । तेतरिया-सिमरा सिरादय बांध जर्जर स्थिति मे है । वित्तीय वर्ष 16-17 में विस्तृत

सर्वेक्षण के पश्चात् योजना संभाव्य होने पर निधि की उपलब्धता के आधार पर योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा ।

श्री राम नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह और प्रश्न भी करना चाहता हूॅं कि ये बार बार निधि की उपलब्धता , हम भी किसान और आप भी किसान, सुना था कि मंत्री जी अच्छे लोग हैं, किसान के हित की बात सोचते हैं लेकिन निधि की उपलब्धता जॉंच का विषय हो सकता है लेकिन प्राक्कलन बनेगा । हम सदन में आते हैं तो जन कल्याण की बात और राज्य के हित की बात करते हैं । हम इस सोच से नहीं करते क्वेश्चन कि उनकी क्या प्रौब्लेम है, हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि ये कबतक निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर देंगे ?यह प्रश्न मैं करना चाहता हूॅं ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, हमने अपने जवाब में कहा कि 2016-17 में विस्तृत सर्वेक्षण प्रक्रिया का पहला अंग है । 16-17 में सर्वेक्षण का कार्य शुरु हो जायेगा । कोशिश की जायेगी कि इसी वित्तीय वर्ष में कार्य को अंजाम दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या 2243(डा0 मो0 जावेद)

श्री श्रवण कुमार : महोदय, 1-उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिला के किशनगंज प्रखंड के सिंघिया कुलामनी पंचायत में मनरेगा योजना संख्या 01/15-16 के अंतर्गत बंगाल सीमा बनवारी के घर से लेकर रंजीत पासवान के घर तक सड़क में मिट्टी का कार्य 9 लाख 5 हजार की प्राक्कलित राशि से वर्ष 2015-16 में आरम्भ किया गया है जो प्राक्कलन के अनुरुप है ।

सम्पूर्ण पथ में मिट्टी भराई का कार्य किया गया है तथा पथ पर आवागमन सुचारु रुप से चल रहा है । स्थल निरीक्षण के क्रम में पाया गया है कि प्रश्नगत पथ में कहीं-कहीं रेन-कट है । मापीपुस्त में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार इस योजना मद में व्यय के उपरांत 1 लाख 55 हजार 405 रुपये शेष हैं । शेष राशि से कार्य पूर्ण कराने का निदेश दिया गया है । सम्प्रति कार्य प्रगति पर है ।

2- उपरोक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

डा0 मो0 जावेद : अध्यक्ष महोदय, मनरेगा हिन्दुस्तान में हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी ने इसलिए लाया था कि गांवों में काम हो और जो हम में से सबसे ज्यादा कमजोर, गरीब मजदूर उसको रोजगार मिले । माननीय मंत्री ने बताया कि काम कुछ बाकी है और कुछ कराया गया है । सदन में सवाल डालने के बाद काम शुरु हुआ है और काम कहीं भी पूरा पूरी लेबर से नहीं कराया जा रहा है । जे0सी0बी0 से कराया जा

रहा है । माननीय मंत्री महोदय, विधायक की बात न मान करके सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के उत्तर पर चलने से कल्याण नहीं होगा, बिहार में तो इसमें मेरा आग्रह है चूँकि मेरे कंस्टीच्युएंसी में हर काम में इसतरह का कटौती हो रही है इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हॅू, माननीय अध्यक्ष से, कि एक सदन की कमिटी होनी चाहिए। इसतरह की शिकायत को देखकर जो कर्मचारी हैं उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करना चाहते हैं कि नहीं ? यही मंत्री महोदय बतायें ।

टर्न-6/विजय/30.03.16

अध्यक्षः मंत्री जी, जांच करवा लीजियेगा।

श्री श्रवण कुमारः महोदय, माननीय सदस्य ने ऐसा कोई पूरक नहीं किया है जिससे मैं स्पष्ट करूं कि क्या माननीय सदस्य चाहते हैं । माननीय सदस्य की भावना का मैं आदर करता हूं और मैं माननीय सदस्यों के सुझाव पर जो अपेक्षित कार्रवाई है वह मैं करूंगा ।

श्री सदानंद सिंहः क्या सरकार इस योजना की जांच प्रमंडलीय आयुक्त से करायेगी ?

श्री श्रवण कुमारः सरकार को कोई दिक्कत नहीं है महोदय ।

डॉ0 मो0 जावेदः महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि कब तक मंत्री महोदय जांच करा देंगे? क्या जांच में स्थानीय विधायक को भी रखा जाएगा ?

अध्यक्षः अब जब प्रमंडलीय आयुक्त से जांच की बात हो गयी है तो उनको करा लेने दीजिये जांच ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2244 (श्री मनोरंजन सिंह)

श्री शैलेश कुमारः महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि एकमा से मशरख जाने वाली पथ की लंबाई 32.3 कि0मी0 है जो श्रेणी-1 में सम्मिलित है । कार्य प्रमंडल छपरा-2 के अधीन 22.5 कि0मी0 पथ की निविदा 2014-15 में की गई थी । निविदा के निष्पादन पर संवेदक के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, पटना में केस किया गया है जो अभी विचाराधीन है। न्यायालय का आदेश के फलाफल पर निर्णय लिया जाएगा। शेष पथांश 9.8 कि0मी0 पथ कार्य प्रमंडल मढ़ौरा के अधीन है जिसका प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । निधि एवं प्राथमिकता के आधार पर इस पथांश की मरम्मति कार्य कराया जा सकेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2245 (श्री कृष्ण कुमार ऋषि)

श्री शैलेश कुमार: महोदय, 1. आंशिक स्वीकारात्मक है । प्रश्नाधीन पथ नवार्ड योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2012-13 में स्वीकृत है । इसके कार्य का एकरारनामा की तिथि 28.01.2013 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 27.01.2014 है ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक है । प्रश्नाधीन पथ की स्वीकृति लगभग 2.86 कि0मी0 है जिसमें से 2.30 कि0मी0 लंबाई में कार्य पूर्ण करा लिया गया है । इस पथ में पड़ने वाले उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल के सुपरस्ट्रक्चर का कार्य कराया जा रहा है। निर्धारित समयावधि के कार्य पूर्ण नहीं कराने हेतु इस कार्य के संवेदक को विभाग द्वारा निर्गत डिबार्ड सूची में डाला गया है । अवशेष कार्य को जून,2016 तक पूर्ण करा लिये जाने का लक्ष्य है । तदनुसार संवेदक से पूनरीक्षित कार्य योजना प्राप्त कर ली गई है।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी स्वयं स्वीकार किये हैं कि वर्ष जनवरी, 2014 में काम को पूरा करना था और आज के डेट में बता रहा हूं कि उस पर काम पुनः प्रारंभ नहीं हुआ है । हम अपने से कई बार विभाग के एक्जीक्यूटिव के इंजीनियरों से हमने बात की है कि वह लूप लाइन है और आज तक काम पूरा नहीं हुआ । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी आपने संवेदक पर क्या कार्रवाई किया और वह काम को कब तक पूर्ण करेगा ?

अध्यक्ष: जून,16 कहां है उन्होंने ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि: जून, 16 जो कह रहे हैं मंत्री जी ।

अध्यक्ष: आप क्या चाहते हैं जून, 16 नहीं कहें ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि: नहीं हम तो चाहते हैं कि जून, 16 तक पूरा हो जाय । लेकिन जून, 16 में पुनः टेंडर करना पड़ेगा । मंत्री जी स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे हैं । कह रहे हैं कि ठीक है पूरा करेंगे जून तक ।

अध्यक्ष: मंत्री जी आप देख लीजिये आपने जो सदन को बताया है ।

श्री शैलेश कुमार: उसको महोदय हम जो बताये कि संवेदक को विभाग द्वारा डिबार्ड सूची में डाला गया है ।

अध्यक्ष: कार्रवाई भी किया ।

श्री शैलेश कुमार: कार्रवाई तो कर ही रहे हैं ।

अध्यक्ष: इन्होंने कहा है कि संवेदक को डिबार्ड भी किया है जून,16 तक पूरा भी कर रहे हैं आप इतना ही अनुरोध कीजिये कि जो कह रहे हैं जून,16 तक पूरा कर दें ।

श्री नंदकिशोर यादवः महोदय, प्रश्न की चिंता उसी की है । मंत्री महोदय तो आश्वासन दे रहे हैं कि जून, 16 तक कर देंगे । लेकिन जून, 16 तक करने के लिए मार्च में काम तो शुरू करना पड़ेगा न । अभी काम प्रारंभ नहीं हुआ है, टेंडर फाइनल नहीं हुआ है तो कैसे मंत्री महोदय का आश्वासन पूरा होगा ? माननीय सदस्य की चिंता है । माननीय सदस्य आश्वस्त होना चाहते हैं कि कब तक काम पूरा होगा ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री वह आप सुनिश्चित कर लीजिये कि जून,16 तक हो जाय।

श्री कृष्ण कुमार ऋषिः महोदय, हम बता रहे हैं कि कोशी रेंज में पूर्णिया और सहरसा का रूट आवागमन बाधित होने के बाद यही एक लाइन है ।

अध्यक्षः हमने आसन की तरफ से आप ही की बात पर जोर डाला है कि जून,16 तक यह कार्य पूरा हो जाय सरकार इसको सुनिश्चित करे।

तारांकित प्रश्न संख्या-2246 (श्री हरि नारायण सिंह)

श्री आलोक कुमार मेहताः महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

3. प्रश्नगत स्थल पर सर्वेक्षण कर तकनीकी रूप से संभाव्य पाये जाने पर बजट उपलब्धता के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री हरि नारायण सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या अगले वित्तीय वर्ष में इस वियर का निर्माण कार्य प्रारंभ करा देंगे ?

अध्यक्षः अगले वित्तीय वर्ष में माननीय सदस्य चाह रहे हैं कि इस कार्य को कराया जाय ।

श्री आलोक कुमार मेहताः देख लेंगे ।

अध्यक्षः ठीक है इसको देख लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2247 (श्री केदार प्रसाद गुप्ता)

श्री शैलेश कुमारः महोदय,1. स्वीकारात्मक है ।

2.. स्वीकारात्मक है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 10.70 कि0मी0 है यह पथ राज्य अनुरक्षण नीति के तहत श्रेणी-1 में सम्मिलित है । पथ का प्राक्कलन तैयार कर लिया जा चुका है स्वीकृति के उपरांत मरम्मति कार्य करा लिया जाएगा ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ताः महोदय, कुढ़नी का सबसे महत्वपूर्ण बलौरडीह से लेकर एन0एच0-77 उसी रोड में है । एन0एच0-77 के बाद कुढ़नी स्टेशन उसी में है, कुढ़नी बाजार उसी में है, कुढ़नी पुलिस स्टेशन उसी में है बावजूद दस वर्षो से स्थिति इतनी खराब है कि विभाग के तरफ से कभी ताका नहीं गया । मैं मंत्री

महोदय के आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कितना जल्द बन जाएगा वह चूंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है ।

अध्यक्ष: उन्होंने तो कहा कि सरकार ने इसके महत्व को देखते हुए श्रेणी-1 में रखा है । प्राक्कलन बन गया है आगे की कार्रवाई की जाएगी ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता: कब तक शुरू हो जाएगा शुरू हम यह जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष: अगले वित्तीय वर्ष में करा दीजिये ।

श्री शैलेश कुमार: अगले वित्तीय वर्ष में करा देंगे ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता: आने वाले वित्त वर्ष में हो जाएगा न महोदय ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2248 (श्री बशिष्ठ सिंह)

श्री कपिलदेव कामत: महोदय, 1. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि अभियंता एलए0इ0ओ0 से प्राप्त प्रतिवेदन 10.03.2016 के अनुसार रोहतास जिलान्तर्गत करगहर प्रखंड के घोड़सहन एवं खड़ारी पंचायत के पंचायत सरकार भवन के कार्य पूर्ण हो चुका है । कोचस प्रखंड में पंचायत सरकार भवन का कार्य पूर्ण नहीं है । यह अभी फाइनल स्टेज में है ।

2. उत्तर स्वीकारात्मक है । करगहर प्रखंड के घोड़सहन एवं खड़ारी पंचायत में निर्मित पंचायत भवन सरकार पंचायत सरकार भवन का हस्तांतरण संबंधित ग्राम पंचायत को किया जाना है । ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारी सरकारी कर्मचारी तत्पश्चात् पंचायत सरकार भवन के कार्य प्रारंभ कर देंगे ।

श्री बशिष्ठ सिंह: महोदय, मेरे क्षेत्र में जहां भी पंचायत सरकार भवन बना है कार्य पूर्ण हो चुका है । हम खुद उसको जाकर देखे हैं और उद्घाटन भी जाकर किये थे चुनाव से पहले । लेकिन कोई कर्मचारी वहां नहीं बहाल होने से वहां का सामान वगैरह उठाकर भाग जाता है लोग कुछ जंगला खिड़की तोड़ देता है । इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से माननीय मंत्री जी से कि वहां कर्मचारी बहाल किया जाय ताकि वहां पंचायत सरकार भवन में पंचायत के लोग आकर अपना काम करा सकें ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2249 (श्रीमती कुन्ती देवी)

श्री शैलेश कुमार: महोदय, 1. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न में निम्नलिखित दो पुलों से संबंधित है । 1. चंदनपुरा से नवादा बिगहा में मंगुरा नदी पर पुल का निर्माण । इस पुल का डी0पी0आर0 तैयार कर तकनीकी परीक्षण हेतु एस0टी0ए0 एन0आइ0टी0 पटना को समर्पित किया गया है । प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना

अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् इसका निर्माण किया जा सकेगा ।

2. रजवारा कला के सामने नाला में पुल निर्माण– इस पुल स्थल के दोनों ओर ग्रामीण कार्य विभाग का कोई सड़क निर्मित नहीं है । यह पुल स्थल किसी कोर नेटवर्क में अंकित नहीं है । यह पुल निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष:– प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हैं, उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय। कार्यस्थगन ।

टर्न-7/राजेश/30.3.16

कार्य-स्थगन

अध्यक्षः- माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 30 मार्च, 2016 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कुल 7 (सात) कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री विद्यासागर केशरी, श्री नीरज कुमार सिंह, श्री विजय कुमार खेमका एवं श्री अरुण कुमार सिन्हा । आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को तीन राजकीय विधेयक पर व्यवस्थापन होने का कार्यक्रम निर्धारित है, कार्य स्थगन प्रस्ताव पर जिन विषयों को उठाने की सूचना दी गयी है, उस संबंध में पहले भी विचार हो चुका है और विचार के लिए समय भी नियत है। अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-99(1)के (ii) एवं (iii) के तहत उपर्युक्त सभी कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है। शून्यकाल ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमारः- महोदय, सेल्स टैक्स विभाग के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, सेल्स टैक्स के नाम पर व्यवसायिओं का दोहन किया जा रहा है, पूरे बिहार में व्यवसायियों का शोषण जारी है। पूरे राज्य में महोदय साड़ी, कपड़ा सहित मिठाईयों पर टैक्स लगाकर राज्य सरकार व्यवसायियों का शोषण कर रही है। महोदय, सेल्स टैक्स विभाग के द्वारा अवैध वसूली व्यवसायियों से की जा रही है और टैक्स के नाम पर उन्हें धमकाया जा रहा है महोदय, इसकी सरकार जांच कराकर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करें और व्यवसायियों को सुरक्षा दिलवाये महोदय।

अध्यक्षः- ठीक है।

शून्यकाल

श्रीमती पूनम देवी यादवः- अध्यक्ष महोदय, खगड़िया प्रखण्डन्तर्गत रहीमपुर मध्य पंचायत के तारतर गॉव में छः महीने पूर्व पोल, तार एवं ट्रान्सफर्मर लगा दिया गया है। बावजूद आज तक विद्युत बहाल नहीं किया गया है।

अतः सरकार उक्त गॉव में यथाशीघ्र विद्युत बहाल करावें।

श्री राम विशुन सिंहः- महोदय, भोजपुर जिला के जगदीशपुर नगर पंचायत में नगर विकास विभाग के संशोधित ज्ञापांक-3557/14 का अनुपालन न कर तीन करोड़ रुपया घोटाला पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य पार्षद द्वारा किया गया। जांचोपरान्त पूर्व

कार्यपालक पदाधिकारी पर प्रपत्र "क" गठित हुआ परन्तु कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। दोषियों पर कार्रवाई करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष:- माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार सिंह ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य डा0 सुनील कुमार ।

डा0 सुनील कुमार:- अध्यक्ष महोदय, नालन्दा जिला मुख्यालय बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र की जल संकट मुक्ति हेतु केन्द्र सरकार अटल अमृत योजनान्तर्गत कर्णाकित 74 करोड़ को नगर निगम द्वारा बन्दरबॉट की साजिश को रोकते हुए शहर के उपेक्षित क्षेत्र को समाहित करते हुए संपूर्ण शहर में पाइप विस्तार कराने हेतु शून्यकाल का सूचना देता हूॅं।

(व्यवधान)

श्री प्रहलाद यादव:- महोदय, लख्खीसराय जिला के चानन प्रखण्ड के इटौन पंचायत के रामपुर गॉव तथा सूर्यगढ़ा प्रखंड के माधोपुर गॉव में विगत तीन वर्षो से विद्युत सब स्टेशन बनकर तैयार है, परन्तु विभागीय लापरवाही के कारण आज तक विद्युत सब-स्टेशन को चालू नहीं किया गया है।

जनहित में दोनों स्थानों पर बने विद्युत सब-स्टेशन को चालू किया जाय।

अध्यक्ष:- माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी ।

(अनुपस्थित)

श्री ललन पासवान ।

श्री ललन पासवान:- महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर प्रखण्ड स्थित महम्मदपुर पंचायत के ग्राम डढ़वॉडिह-खडिहॉ पथ में मड़ई नदी पर पुल निर्माण आवश्यक है।

हम सरकार से मांग करते हैं कि मड़ई नदी पर पुल का निर्माण करावें।

श्री विनोद कुमार सिंह:- महोदय, कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंडन्तर्गत मुकुरिया पंचायत के वगडार गॉव से दिन के 11 बजे अपराधियों ने एक छात्रा का अपहरण कर लिया, नामजद अभियुक्तों को पुलिस गिरफ्तार करने में पूर्णत: अक्षम साबित हुई है। अत:

नामजद अभियुक्त के विरुद्व सख्त कार्रवाई करते हुए छात्रा को सही सलामत बरामद की जाय। (व्यवधान)

श्री संजीव चौरसिया:- अध्यक्ष महोदय, बेली रोड शेखपुरा में लेदरवर्ल्ड दुकान के बगल ब्रहम्स्थान रोड में 60" चौड़ी सड़क है जो ए0जी0 कॉलोनी, राजीव नगर एवं सी0डी0ए0 कॉलोनी को जोड़ती है, उस सड़क को आई0जी0आई0एम0एस0 के द्वारा बंद कर दिये जाने से लाखों की आबादी प्रभावित है। मैं उक्त रास्ता को चालू कराने की मांग करता हूँ।

श्री विजय कुमार सिन्हा:- महोदय, लख्खीसराय जिला के बड़हिया प्रखंडन्तर्गत खुटहा पूर्वी, खुटहा पश्चिमी, जैतपुर तथा लक्ष्मीपुर पंचायत सहित टाल दियारा क्षेत्र में 14/3/16 को ओला पढ़ने से किसानों का फसल क्षतिग्रस्त हो गया है।

अत: सरकार उक्त पंचायतों में किसानों का फसल की क्षति का मुआवजा देने की मांग करता हूँ।

श्री सुबोध राय:- अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज रेफरल अस्पताल एवं शाहकुंड प्रखंड मुख्यालय अस्पताल में ब्लड-बैंक के अभाव में प्रसवकाल के समय अत्याधिक रक्त-श्राव तथा दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल मरीजों को आवश्यक रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है।

अतएव मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सुलतानगंज रेफरल अस्पताल और शाहकुंड अस्पताल में ब्लड बैंक की व्यवस्था की जाय।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव:- महोदय, विगत 19 मार्च, 2016 को जहानाबाद जिला के शकुराबाद थाना के ग्राम-गननकुरा में श्री रामपति बिन्द, दिनेश बिन्द, कल्लू बिन्द का खलिहान में आग लगने से खलिहान में रखा निवारी का पिंज जलकर खाक हो गया।

अत: इस गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए राहत एवं मुआवजा की मांग करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा:- महोदय, औरंगाबाद जिला के दाउदनगर अनुमंडल में मिट्टी जॉच केन्द्र बनकर तैयार है, लेकिन अभी यहॉ मिट्टी जॉच के लिए किसी पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं हुआ है।

अत: इस गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रश्नाधीन पदाधिकारी के पदस्थापन करने की मांग करता हूँ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह:- महोदय, गोपालगंज जिला के मांझा प्रखंड के छितवली ग्राम में स्कूल के सामने नहर पर पुल का निर्माण नहीं होने के कारण स्कूल जाने में छात्र-छात्राओं को

काफी दिक्कत होती है। करीब 2 कि0मी0 से अधिक घूम कर स्कूल जाना पड़ता है और ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है।

जनहित में छितवली स्कूल के सामने पुल का निर्माण जल्द से जल्द करवाये।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार:- महोदय, देश भर के सोना व्यापारी हड़ताल पर है और बी0जे0पी0 के नेताओं को इसकी चिंता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जी को इसकी चिंता नहीं है और जब सत्तापक्ष का शून्यकाल आता है, ध्यानाकर्षण आता है, तब ये लोग समय का बर्बादी करते है और समय ये लोग इसतरह बर्बाद कर रहे हैं और इनको राज्य की जनता देख रही है, इनको बिहार की जनता ने 53 सीट पर आज लाकर खड़ा किया है और अगर यही रवैया रहा विपक्ष का, तो आप तीन पर आ जाइयेगा।

श्री अचमित ऋषिदेव:- अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के पचीस पंचायत के कजरा ग्राम एवं परमानंदपुर पंचायत वार्ड नं0-2 में 16 के0भी0ए0 का ट्रान्सफर्मर चोरी हो गया है। दोनों गॉवों में ट्रान्सफर्मर लगाकर विद्युत आपूर्ति बहाल करने एवं चोरी पर रोक लगाने हेतु कठोर कार्रवाई करने के लिए सरकार से मांग करता हूँ।

डा0 विनोद प्रसाद यादव:- अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत डोभी के घोड़ाघाट से निकलने वाली निलाजन कैनाल नहर का तटबंध कमजोर रहने से किसानों को सिंचाई के लिए अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता है।

सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतू निलाजन नहर के सभी ब्रान्चो के तटबंध को पक्कीकरण कराने की मांग करता हूँ।

टर्न-08/कृष्ण/30.03.2016

श्री अशोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत मदनपुर प्रखंड के मां उमेश्वरी धाम पर पर्यटकों को आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए रोपवे लगाना अतिआवश्यक है ।

पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखकर अविलंब रोपवे लगाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय,नालन्दा जिलान्तर्गत हिलसा हिलसा बाजार में पड़े खाली सरकारी जमीन (गैरमजरूआ) को अवैध रूप से कब्जा किया

जा रहा है । अंचलाधिकारी,हिलसा पूरे प्रकरण में संलिप्त हैं और दाखिल-खारिज भी किया जा रहा है।

अतः सरकार से उक्त जमीन को बचाने हेतु अंचलाधिकारी तथा कब्जेधारियों की भूमिका की जांच कराने की मांग करता हूं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी विधान सभा क्षेत्र में निजी कंपनी के हाथों जब से बिजली आपूर्त्ति गयी है तब से लोगों में त्राहिमाम् है । बिजली बिल में बार-बार त्रुटि, कनेक्शन लेने के बाद महीनों मीटर नहीं लगना, बी0पी0एल0 परिवारों के बिल नही मिलना आदि प्रमुख हैं, सुधाार की मांग करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय,औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बारूण बाजार, नबीनगर बाजार, जोगिया बाजार तथा सुन्दरगंज बाजार में नाली न होने के कारण जल-जमाव बना रहता है । जनता परेशान है । गंदगी से आये दिन बीमारी, डायरिया होता रहता है ।

अतः सरकार से उक्त जगहों में नाला एवं नाली का निर्माण शीघ्र कराने की मांग करता हूं ।

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय,सहरसा जिलान्तर्गत सदर अनुमंडल पदाधिकारी के भ्रष्ट आचरण करने एवं पंचायत चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के साजिश मद्दे नजर उनका स्थानान्तरण पटना मुख्यालय में किये जाने एवं महिषि प्रखंड के कुन्दह पंचायत सिमर वार्ड नंबर 8 के छेड़छाड़ करने की जांच की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय,पूर्णियां जिलान्तर्गत पूर्णियां इस्ट ब्लौक के हरदा एवं रानीपतरा में हरी शब्जी का काफी बड़ा बाजार है जो कि उत्तर बिहार तक शब्जी पहुंचाने का काम करता है । परन्तु ग्रामीण हाट की सुविधा के अभाव में कृषकों को भारी कठिनाई होती है ।

अतः मैं सदन के माध्यम से उक्त स्थान पर पेयजल शौचालय सहित आधुनिक ग्रामीण हाट निर्माण की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री सत्यदेव राम । श्री सत्यदेव राम ।

(मा0स0 अनुपस्थित)

श्री विद्या सागर केसरी : अध्यक्ष महोदय,अररिया जिलान्तर्गत फारबीसगंज प्रखंड के फारबीसगंज से लेकर अम्हरा होते हुये खवासपुर तक जानेवाली सड़क एवं रमई के पास की करियाबाड़ी पुल की हालत बेहद खराब है । 12 पंचायत के लोगों का मुख्य मार्ग है । वर्षा से पूर्व उपर्युक्त मार्ग एवं पुल की मरम्मति की मांग सदन के माध्यम से करता हूं

श्री बशिष्ठ सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत करगहर प्रखंड के दिव्यांशु कुमार पिता श्री श्याम लाल राय, ग्र्रम रिवां, सहायक थाना सिढी, रोहतास को दिनांक 21.03.2016 को अपहरण करके हत्या कर दिया गया । अभी तक हत्या करनेवालों को गिरफ्तार नहीं किया गया है ।

सरकार से मांग करता हूं कि दिव्यांशु कुमार के हत्यारे को यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाय ।

डा0 चतुर्भज नाथ गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ग्राम ढेलहारी-सिरसिया पंचायत खैरवार सड़क से लगड़ी ढेलहारी होते हुये बंगरा सुर्द (मोहब्बत परसा पंचायत) रिवीलगंज प्रखंड जिला सारण 2 किलोमीटर रास्ता जर्जर है । इंटाकरण नहीं है । बरसात के समय चलना मुश्किल है

अत: सरकार सड़क बनवाना सुनिश्चित करे ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज के महम्मदपुर तथा बैकुण्ठपुर थाना क्षेत्र से विगत दो माह में 10 गाय,बैलों की चोरी हुई है, चोरी हुई गाय की खोज के कम में श्रीमती राजकुमारी देवी, पति श्री गौतम प्रसाद, ग्र्रम पकडी,थाना महम्मदपुर की सड़क दुर्घटना में दिनांक 20 फरवरी,2016 को मृत्यु हो गयी।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय,दरभंगा शहर के मोहल्ला कटहलबाड़ी स्थित ओवर ब्रीज पर स्ट्रीट लाईट, बिजली बिल भुगतान के कारण बंद है, जिसके कारण पूरे ब्रीज पर अंधकार रहता है एवं कई बार दुर्घटना भी घट चुकी है ।

अत: जनहित में उक्त ओवर ब्रीज पर स्ट्रीट लाईट अविलंब चालू करावें।

श्री नीरज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय,मधेपुरा के सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति द्वारा मवेशी हाट की बंदोवस्ती बार-बार एक ही व्यक्ति को अवैध तरीके से की जा रही है जिससे न्यास के राजस्व की हानी होती है ।

सरकार से खुली निविदा कराने की मांग करता हूं ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा, कोईलवर,आरा प्रखंडों सहित पूरे जिले में 40 प्रतिशत परिवारों को ही राशन कार्ड मिला है जिससे वंचित परिवारों को किरासन तेल नहीं मिल रहा है ।

अत: सरकार तत्काल वंचित परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध करावें ।

अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण-सूचना ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना पर खड़ा हूं ।

अध्यक्ष : बोलिये ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : महोदय, 29 तारीख को हमारे यहां बजरंग दल के लोगों ने अल्पसंख्यक लोगों के दुकान पर हमला कर दिया मदारपुर में, जो सीवान जिला के थाना लकड़ीगली गंज में है । मुझे सूचना मिली, मैंने एस0पी0 और डी0 एम0 साहब को सूचित किया, थाना को सूचित किया, उनलोगों ने नियंत्रण किया, करीब एक दर्जन लोग घायल हुये हैं जो सदर अस्पताल भेजे गये हैं । आज सबेरे सात बजे दूर के लोग गरीब 200, 300 लाठी भाला से लैस होकर पुनः हमला किये हैं । पुनः वहां फोर्स गयी है । अभी मुझे जानकारी नहीं मिली है कि क्या हुआ है ? महोदय, अगर बंजरंग दल को नियंत्रित नहीं किया गया तो वो लोग गुजरात बना देगा । इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि बंजरंग दल को प्रतिबंधित की जाय ।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार जांच करायेगी,कार्रवाई करेगी, जांच करके ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मा0स0श्री सत्यदेव जी । बैठिये । ध्यानाकर्षण-सूचना । श्री श्याम रजक जी की ध्यानाकर्षण-सूचना पढ़ी गयी है । माननीय मंत्री,समाज कल्याण विभाग ।

ध्यानाकर्षण-सूचना

श्री श्याम रजक,स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण-सूचना पर सरकार (समाज कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री कुमारी मंजू वर्मा : अध्यक्ष महोदय,माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रीट पीटीशन सिविल नंबर-400/2012 नेशनल लीगल सर्विस ऑथिरीटी बनाम यूनियन ऑफ इन्डिया एवं अन्य तथा रीट पीटीशन सिविल नंबर-604/2013 में दिनांक 15.04.2014 को पारित न्यायादेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 12722 दिनांक 12.09.2014 द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये अधिनियम,1991 की पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची-2 के क्रमांक 47 पर किन्नर कोठी हिजड़ा ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर को स्वतंत्र रूप से शामिल किये जाने का निर्णय संसूचित है । उक्त समावेशन के फलस्वरूप किन्नर कोठी हिजड़ा ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर व्यक्तियों को राज्य सरकार की सेवाओं जिला पर्षद, नगरपालिका, अर्द्ध-सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में पिछड़े वर्गों को मिलनेवाले आरक्षण

का लाभ मिलेगा । साथ ही राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन में भी देय आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा । केन्द्र सरकार द्वारा गठित प्राधिकृत समिति में दिये गये सुझावों के आलोक में मुख्य सचिव,बिहार की अध्यक्षता में किन्नरों के सामाजिक,आर्थिक, न्यायिक एवं रोजगार की स्थिति में सुधार के संबंध में विभागीय पत्रांक 135 दिनांक 17.07.2014 द्वारा सभी प्रधान सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलाधिकारी को किन्नरों से संबंधित योजनाओं के निर्माण तथा लागू करने के संबंध में निदेश दिये गये हैं । बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड गठन नियमावली,2015 दिनांक 22.07.2015 को अधिसूचित किया गया है, जिसके आलोक में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना प्रस्तावित है । बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड गठन नियमावली,2015 के अनुसार गैर-सरकारी सदस्यों के चयन एवं विस्तृत कार्य योजना तैयार करने की कार्रवाई प्रकियाधीन है ।

टर्न-9/सत्येन्द्र/30-3-16

श्री श्याम रजक: अध्यक्ष महोदय,इन्होंने पत्रांक 135 दिनांक 17-7-14 का जिक्र किया है। हम जानना चाहते हैं कि जब इन्होंने सभी प्रमंडलीय पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी और सभी विभाग के सचिव को पत्र लिखा है 2014 में, उसके बाद आज तक उस पर कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ है। इसका कार्यान्वयन कबतक कराना चाहते हैं? प्रश्न संख्या-1 और प्रश्न संख्या-2 इन्होंने कहा कि हम किन्नर कल्याण बोर्ड बनाने जा रहे हैं। यह नियमावली 2015 में बन गया है और उसमें 9 उस समुदाय के लोगों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में सम्मिलित करना है। 2015 में नियमावली बन गयी और अभी तक उसका गठन नहीं हो पाया है उसे कबतक गठन करना चाहेंगे? एक और अध्यक्ष महोदय कि किन्नर अपना लिंग परिवर्त्तन कराना चाहते हैं तो क्या सरकार विशेष चिकित्सा सहायता राशि उनको मुहैय्या कराने का कोई प्रावधान कर सकती है?

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा: महोदय,सभी प्रधान सचिव सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को किन्नरों से संबंधित योजनाओं के निर्माण तथा उसे लागू करने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। अगर कहीं निर्देश का पालन नहीं होता है, स्पेसिफिक कहीं पता है तो उस पर कार्रवाई होगी और जहां तक किन्नर कल्याण बोर्ड..

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी,माननीय सदस्य सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपका किन्नर कल्याण बोर्ड कबतक फंक्शनल हो जायेगा,चालू हो जायेगा? वो केवल यह जानना चाहते हैं बाकी जो आपने निर्देश दिया है वो सब बात जान चुके हैं।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा: किन्नर कल्याण बोर्ड जो प्रस्तावित है उसमें 21 सदस्य जो होते हैं वो सरकारी होते हैं जो कि सभी आयोग ..

अध्यक्ष: आप अगले वित्तीय वर्ष में उसका गठन कर देंगे तो बतला दीजिये।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा: जी, निश्चित रूप से अगले वित्तीय वर्ष में उसका गठन बहुत जल्दी हो जायेगा।

श्री श्याम रजक: अध्यक्ष महोदय,9 गैर सरकारी सदस्य जो हैं वो उसी समुदाय के लोग को होना है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं सरकारी,सरकारी का तो नियमावली है लेकिन 9 लोग गैर सरकारी होंगे।

अध्यक्ष: सरकारी गैर सरकारी मिलाकर न बोर्ड का गठन होगा ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा महोदय, गैर सरकारी सदस्य होते हैं वो किन्नर समाज से ही आते हैं यह मामला माननीय मुख्यमंत्री के पास फाईल में प्रस्तावित है और बहुत जल्द ही हो जायेगा।

अध्यक्ष: ठीक है।

श्री श्याम रजक: अध्यक्ष महोदय,दूसरा था कि जो किन्नर अपना ..

अध्यक्ष: चिकित्सा सहायता का न?

श्री श्याम रजक: जी।

अध्यक्ष: वो सरकार के विचाराधीन है उसको अगर कुछ चिकित्सा सहायता...

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा: महोदय,माननीय सदस्य की चिन्ता बहुत ही जायज है, नेक है और विभाग इस पर बहुत गंभीरता से विचार करेगी।

श्री विनोद कुमार सिंह:अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष: इसमें तो हस्ताक्षर नहीं है आपका, आपकी भी किन्नरों में रूचि है क्या?

श्री विनोद कुमार सिंह:बिहार विधान-सभा के परिसर के अन्दर जननायक कपूरी ठाकुर की स्थापित मूर्त्ति के ऊपर चील और कौआ पैखाना कर के गंदा कर दिया है, उसकी सफाई की जरूरत है।

श्री नितिन नवीन,डॉ0 सुनील कुमार एवं अन्य दो सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार(स्वास्थ्य विभाग)की ओर से वक्तव्य।

श्री नितिन नवीन: अध्यक्ष महोदय,पटना शहर एवं इसके बाईपास में कुकुरमुत्ते की तरह निजी अस्पताल/नर्सिंग होम खुल गये हैं जिसमें डॉक्टर एवं मरीज भी नियमित रूप से नहीं रहते हैं। बिचौलिया एम्बुलेंस चालकों की मिलीभगत से अस्पतालों का कारोबार फल-फूल रहा है। प्राय: सभी अस्पतालों में आई0सी0यू0 एवं वेंटिलेटर बिना पूरी व्यवस्था के लगा दिया गया है और जो भी मरीज आते हैं उनको

आई0सी0यू0 अथवा वेंटिलेटर पर तबतक रखा जाता है जबतक दूसरा कोई मरीज नहीं आ जाता है। इन अस्पतालों/नर्सिंग होमों और दलालों के चक्कर में फंसने वाले पटना से बाहर के गरीब मरीज होते हैं। पटना के इन अस्पतालों को लाईसेंस भी प्राप्त नहीं है और ये खुलेआम एम0सी0आई0 के दिशा निर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं।

अतः पटना में बिचौलियों के माध्यम से एम0सी0आई0 के दिशा निर्देश के विपरीत चल रहे अस्पतालों/नर्सिंग होमों की जांच कराकर कार्रवाई करने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।

श्री श्रवण कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं आपके माध्यम से सदन में वताना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य द्वारा जो ध्यान आकृष्ट कराया गया है उसे संज्ञान में लेते हुए ऐसे निजी अस्पताल/ निजी नर्सिंग होम की जांच हेतु विभाग द्वारा निदेशक प्रमुख(प्रशासन) की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय समिति गठित की गयी है। समिति दो माह में प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेगी। ज्ञातव्य है कि राज्य में दिनांक 28-11-13 से बिहार नैदानिक स्थापन (रजिष्ट्रीकरण एवं विनियमय) नियमावली,2013 लागू है जिसके तहत राज्य के अन्तर्गत सभी नैदानिक स्थापनों यथा नर्सिंग होम, अस्पताल, एक्सरे सेंटर, पेथौलोजी लैब इत्यादि को निबंधन कराना अनिवार्य है। इसको भी सख्ती से लागू किया जायेगा।

श्री नितिन नवीनः अध्यक्ष महोदय,सबसे पहले माननीय मंत्री जी ने जो इस विषय पर एक कमिटी गठित किये हैं मैं उसका स्वागत करता हूँ लेकिन मेरा मानना है कि इसमें विधान-सभा के माननीय सदस्य को जोड़ा जाय जिसमें आपके तरफ से जो भी नाम तय हो। चूंकि यह बड़ा ही गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय तो निश्चित रूप से बिहार के गरीब मरीज आते हैं तो मेरा मानना है कि माननीय मंत्री जी कमिटी का पहला प्रस्ताव लिया है उसमें इस विधान-सभा के विधायकों को भी रखा जाय तो निश्चित रूप से आपको सही आकलन हो पायेगा और दूसरा एक सवाल माननीय मंत्री जी से यह है कि निजी अस्पताल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किस मापदंड के तहत खोला जाता है और किस स्तर से इसकी अनुमति ली जाती है,माननीय मंत्री जी बतायें?

श्री श्रवण कुमारः अध्यक्ष महोदय,माननीय सदस्य की चिन्ता जायज है और सरकार भी चिन्तित है। महोदय माननीय सदस्य काफी जागरूक है और जिन माननीय सदस्यों ने इस सवाल को उठाया है अगर स्पेसिफिक कुछ जानकारी माननीय सदस्य के पास है कि कौन कौन से ऐसे नर्सिंग होम, कौन कौन से ऐसे होस्पीटल बिना निबंधित कराये हुए बगैर सरकार के नियम का पालन किये हुए चल रहे हैं तो उपलब्ध करा दें हम

सख्ती से जांच भी करेंगे कार्रवाई भी करेंगे और महोदय इन्होंने कमिटी जो बनायी है अगर कमिटी सदन चलने के बाद बीच बीच में अगर सूचनाएं ऐसी आती है तो निदेशक प्रशासन को अगर सूचना देंगे महोदय तो उस पर कार्रवाई होगी। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार ऐसे गलत काम करने वाले नियम का उल्लंघन करने वाले पर सख्ती से कार्रवाई होगी।

श्री नितिन नवीनः विषय यह है अध्यक्ष महोदय कि माननीय मंत्री जी ने पहल जरूर किया है लेकिन जो चीज हमलोग से आकलन चाहते हैं निश्चित रूप से सरकार को ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि अगर निजी अस्पताल खुल रहे हैं तो क्या वो हमसे अनुमति लिये हैं कि नहीं। मैं अगर सभी अस्पतालों का नाम, आप कहेंगे तो उसकी पूरी सूची भी दे देंगे लेकिन सूची अब हम घूमकर दें, आप खुद देख लें कि बाईपास में गंगा गांधी सेतु पुल से लेकर जहां से बाईपास शुरू होता है बेऊर मोड़ के बीच कम से कम 100 की संख्या में अस्पताल खुले हैं। सबसे बड़ी अमानवीय बात यह है कि वेंटिलेर पर मरीज को मौत के बाद भी रखा जाता है। अगर वहां एक्सपर्ट डॉक्टर के बगैर वेंटिलेटर मशीन लगाते हैं तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि वहां पर उस अहर्त्ता के डॉक्टर हैं कि नहीं हैं?

अध्यक्षः नितिन जी,माननीय मंत्री जी ने बताया है । उन्होंने इसे गम्भीरता से लिया भी है इसीलिये निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता में समिति बनायी है । माननीय मंत्री जी, यह बात जो माननीय सदस्य कह रहे हैं यह सही मायने में गंभीर मामला है और चिन्ता का भी विषय है। ये आम जानकारी में है कि वहां जो अस्पताल एक लाईन से खुल गये हैं उसमें मरीजों का और उनके साथ जो लोग आते हैं उनका शोषण होता है । इसलिए इसे सरकार गंभीरता से देखे । माननीय सदस्य, सरकार ने समिति बनायी है। सरकार ने यह भी बताया है कि एम0सी0आई0 रूल के बाद जो नैदानिक स्थापन अधिनियम और नियमावली बनायी है, उसके तहत भी सरकार द्वारा गठित कमिटी जांच कर ले कि इनके प्रावधानों का वो अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं । वह समिति पहले रिपोर्ट दे दे, सरकार कार्रवाई कर ले, तब फिर हमलोग इसको देखेंगे।

श्री नितिन नवीनः अध्यक्ष महोदय,मैं आपके सुझाव से सहमत हूँ लेकिन मेरा मानना है कि उस कमिटी का रिपोर्ट विधान-सभा में आये ताकि वो सदन में आयेगा तो कहीं न कहीं विचार विमर्श हो पायेगा और अध्यक्ष महोदय, एक विषय और अबतक कितने लोगों पर कुछ कार्रवाई हुई है क्या? सरकार के पास कोई आंकड़ा है।

डॉ0 सुनील कुमारः अध्यक्ष महोदय,मैं विधान-सभा का सदस्य भी हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ। मैंने देखा है कई नर्सिंग होम, मैं नाम भी लूंगा वो इस तरह व्यवहार करते हैं लोगों का इस तरह दोहन करते हैं, 03 सितम्बर 2014 की घटना मैं बताऊं हमारे

सामाजिक कार्यकर्त्ता चन्द्रमणि सिंह उर्फ मुन्ना सिंह रोड दुर्घटना के साथ वहां ऐडमिट हुए उनके साथ उनका बेटा भी था, उनका भतीजा भी था जिस समय वो ऐडमिट हुए, उस समय कंसेट ले लिया गया कि जो भी ऑपरेशन करना होगा करेंगे। (क्रमशः)

टर्न-10/मधुप/30.3.16

...क्रमशः....

डॉ0 सुनील कुमार : चन्द्रमणि सिंह जी हार्ट के मरीज थे, एंटी कॉगनेंट खाते थे तब भी उनका ऑपरेशन कर दिया । उनके बेटे कशिश का पैर फ्रैक्चर था, उसको बाद में भी ऑपरेट किया जा सकता था लेकिन बिना कंसेन्ट लिये ऑपरेट कर दिया । उनको गैंग्रीन हो गया, उनका बेटा भी मर गया, उनका भतीजा भी मर गया । हमने किसी प्रकार मुन्ना सिंह को वहॉ से शिफ्ट करने का कोशिश किया, उनसे पूरे पैसे वसूल लिये गये । हमने पारस हॉस्पीटल में शिफ्ट किया ।

दूसरा, सामाजिक कार्यकर्त्ता होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी को एक आवेदन दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रूपये उस हॉस्पीटल को भेजा अनुदान के लिये, उसकी सहायता के लिये । मुन्ना सिंह को वहॉ से लाने के बाद पारस हॉस्पीटल में बचाया न जा सका । 5 लाख रूपया लेने के लिये जब उनके यहॉ आदमी गया तो बोले कि 40 परसेंट हमारा होगा । पूरे पैसे लेने के बाद, उन्होंने कहा कि 40 परसेंट हमारा होगा और तीन महीना तक उनको दौड़ाया...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप जो समिति बनवा रहे हैं विभाग का, उसमें यह मामला विशेष रूप से रेफर कर दीजिये । इसकी जॉच विशेष रूप से करा लीजियेगा ।

डॉ0 सुनील कुमार : जॉच करें, अध्यक्ष महोदय । मैं केवल एक आग्रह करना चाहता हूॅ कि यहॉ पर कई माननीय सदस्य डॉक्टर हैं, उस कमिटी में एक डॉक्टर माननीय सदस्य को रखिये, अगर चाहते हैं बिहार के मरीजों को दोहन से बचाना । मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूॅ ।

इस तरह का दोहन हो रहा है कि आप समझ नहीं सकते हैं । मुॅह आने की बीमारी होती है जिसको कहते हैं जीभ आना । उसमें वे लोग कैट स्कैन लिखते हैं, सी0टी0 स्कैन लिखते हैं, मैंने कई प्रेस्क्रीप्शन देखे हैं । मैं खुद डॉक्टर हूॅ और हमारी प्रैक्टिस इतनी थी कि सौ-सौ मरीज मैं देखता था ।

सर्वश्री ललन पासवान, वृज किशोर विंद एवं अन्य तीन सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, दुर्गावती जलाशय का निर्माण वर्ष 2014-15 में पूरा हुआ और 1050 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ । दुर्गावती जलाशय से 33000 हेक्टेयर की सिंचाई होनी है, जिसमें से पुरानी दुर्गावती नहर प्रणाली से 16000 हेक्टेयर एवं जलाशय के दायें एवं बायें निर्मित नहर प्रणाली से करीब 17000 हेक्टेयर की सिंचाई होनी है । मगर दुर्गावती पुरानी नहर प्रणाली से मात्र 8000 हेक्टेयर तथा नई नहर प्रणाली से 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई हो रही है । नवनिर्मित नये नहर प्रणाली में अंतिम छोर तक पानी नहीं जा पा रहा है क्योंकि निर्मित नहर की क्षमता 600 एवं 300 क्यूसेक है, उसमें क्रमशः 200 एवं 100 क्यूसेक पानी भी नहीं प्रवाहित हो पा रहा है । गत् वर्ष जलाशय की क्षमता का 20 प्रतिशत भी पानी इकट्‌ठा नहीं हुआ तथा इस वर्ष भी आधे से भी कम पानी रोका जा सका है ।

अतः जलाशय में पूर्ण क्षमता तक पानी भरने, मुख्य नहर में पूरी क्षमता से पानी प्रवाहित करने तथा अबतक अनिर्मित लघु नहर, वितरणी एवं ग्रामीण राजवाहा का निर्माण कर 33000 हेक्टेयर की भूमि का सिंचाई सुनिश्चित कराने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दुर्गावती जलाशय योजना अंतर्गत मुख्यतः स्पीलवे निर्माण कार्य, रीभर क्लोजर कार्य तथा मुख्य नहर निर्माण कार्य वर्ष 2014-15 में पूर्ण किया गया एवं मार्च, 2015 तक 964.55 करोड़ रू0 का व्यय हुआ । वितरण प्रणाली के अंतर्गत 32 वितरण प्रणाली में से 2 वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष वितरण प्रणाली के कार्य को वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

दुर्गावती जलाशय से कैमूर जिला अंतर्गत- भगवानपुर, रामपुर, कुदरा, दुर्गावती, मोहनिया प्रखंड में बॉया मुख्य नहर से 5572 हेक्टेयर, कुदरा बीयर से 16200 हेक्टेयर कुल 21772 हेक्टेयर एवं रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी शिवसागर प्रखंड में दॉया मुख्य नहर से-11695 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा विकसित किया जाना है । जिसके विरूद्ध अब तक 20920 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित की गई है ।

मुख्य नहर रूपांकित क्षमता के अनुसार निर्मित होने के बावजूद भी इसमें रूपांकित जलश्राव का प्रवाह संभव नहीं है क्योंकि 30 अदद वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना शेष है । इस परिस्थिति में भी वर्ष 2015 खरीफ में

बॉये मुख्य नहर से 150 क्यूसेक एवं दॉया मुख्य नहर से 200 क्यूसेक जलश्राव प्रवाहित कर अंतिम छोर तक फिल्ड-टू-फिल्ड सिंचाई की सुविधा कृषकों को उपलब्ध करायी गई है ।

यह कथन सत्य नहीं है कि गत वर्ष जलाशय की क्षमता का 20 प्रतिशत भी पानी इकट्‌ठा नहीं हुआ तथा इस वर्ष भी आधा से कम पानी रोका जा सका । तथ्य यह है कि वर्ष 2014 के मानसून से प्राप्त जलश्राव से जलाशय में औसत भू-स्तर 103 मी0 से 118 मी0 तक करीब 96000 एकड़ फीट जल भंडारण हो सका है तथा बॉया मुख्य नहर एवं कुदरा बियर के लिये जलश्राव देने के उपरांत वर्ष 2015 मानसून पूर्व 116 मी0 के लेवेल पर जलाशय स्तर आ गया था । पुनः 2015 के कमजोर मानसून के कारण जलाशय में पूर्ण जलाशय स्तर 128 मी0 के विरूद्ध जल भंडारण 122 मी0 तक ही किया जा सका, जिससे 128000 (एक लाख अठाईस हजार) एकड़ फीट जल भंडारण हो सका जबकि पूर्ण जलाशय स्तर 128 मी0 पर जल भंडारण क्षमता 233200 (दो लाख तेंतीस हजार दो सौ) एकड़ फीट है ।

2. दुर्गावती जलाशय योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) के तहत् सम्मिलित है । इस योजना के तहत केन्द्रांश के रूप में बजटीय प्रावधान का 39.61 प्रतिशत मिलना है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस योजना में केन्द्रीय सहायता के रूप में 23.49 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त होनी है । इसके अलावे दुर्गावती जलाशय योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2005-06 से वित्तीय वर्ष 2014-15 तक के लिए कुल 269.229 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त होनी है । विभाग के अथक प्रयास के बाद एक लम्बे अंतराल पर इस वर्ष मात्र 38.75 करोड़ रूपये की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त हुई है । इस प्रकार दुर्गावती जलाशय योजना के लिए केन्द्र सरकार के यहॉं अभी भी 253.969 करोड़ रूपये बकाया है । सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी कई अन्य योजनाएं हैं, जिसमें अनुमान्य सहायता केन्द्र सरकार से नहीं मिल रही है यथा-

(i) पुनपुन जलाशय योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में 10 करोड़ रूपये की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होनी है, परंतु मात्र 2.763 करोड़ रूपये की राशि ही केन्द्र सरकार के द्वारा विमुक्त किया गया है । इस प्रकार इस योजना के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2015-16 का 7.237 करोड़ रूपये एवं पूर्व के बकाये के रूप में 57.1964 करोड़ रूपये अर्थात कुल 64.4334 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार के यहॉं बकाया है ।

(ii) ERM कोशी योजना को वर्ष 2009-10 से ही AIBP के तहत सम्मिलित करने हेतु लगातार प्रयास एवं केन्द्रीय जल आयोग, पटना कार्यालय द्वारा राशि विमुक्ति हेतु वर्ष 2009-10 से लगातार अनुशंसा के बावजूद भी भारत सरकार द्वारा इस योजना को AIBP के तहत सम्मिलित नहीं किया गया है और न ही कोई केन्द्रीय सहायता विमुक्त की गई है ।

(iii) बटेश्वरस्थान गंगा पम्प कैनाल योजना को भी वर्ष 2007-08 से AIBP में सम्मिलित करने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है । इस योजना के लिए केन्द्रीय जल आयोग के पटना कार्यालय एवं केन्द्रीय जल आयोग के दिल्ली स्थित कार्यालय के द्वारा अनुशंसा किए जाने के बावजूद भी न तो इस योजना को AIBP के तहत् सम्मिलित किया गया है और न ही कोई केन्द्रीय सहायता की राशि ही विमुक्त की गई है ।

इस प्रकार AIBP सिंचाई परियोजना हेतु भारत सरकार के पास 1400.00895 करोड़ रूपये की राशि का बकाया है, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:-

Year	Central Assistance		
	Required	Received	Due
	(Rs.in Crores)		
2005-06	50.6870	7.3640	43.323
2006-07	17.3700	18.0000	0
2007-08	69.5480	25.0500	44.498
2008-09	73.0130	45.2340	27.779
2009-10	162.5070	11.2500	151.257
2010-11	215.1190	23.4000	191.719
2011-12	278.9750	0000	278.975
2012-13	309.8890	0000	309.889
2013-14	166.2270	0000	166.227
2014-15	150.3350	0000	150.335
2015-16	77.5200	41.51305	36.00695
Total	1571.19	171.8111	1400.00895

...क्रमशः...

टर्न-11/आजाद/30.03.2016

...... क्रमशः ....

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : 3. बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम FMP योजना के अन्तर्गत भी वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2015-16 में क्रमशः 171.1761, 36.9675 एवं 40.8132 अर्थात कुल 248.9568 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार के पास बकाया है।

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत नौ योजनाओं को गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, भारत सरकार के यहां तकनीकी एप्रेजल हेतु समर्पित किया गया है, परन्तु इन योजनाओं में से एक को छोड़ कर अन्य की स्वीकृति अभी तक अप्राप्त है ।

श्री ललन पासवान : मेरा ध्यानाकर्षण दुर्गावती पर है और माननीय मंत्री जी पूरे बिहार के बारे में बता रहे हैं ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : अगर माननीय सदस्य जवाब नहीं सुनेंगे तो हम बैठ जायेंगे । अभी समय है, जवाब सुन लीजिए ।

श्री ललन पासवान : पूरा बिहार के बारे में बता रहे हैं, हमारा दुर्गावती पर बताईए न ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : कल सदानंद बाबू का है ध्यानाकर्षण बटेश्वर स्थान पर तो सब अभी दे दे रहे हैं ।

4. RMAWBA में 2013 बाढ़ के पूर्व 42.04676 करोड़ रूपये की मांग के विरूद्ध 12.9769 करोड़ रूपये एवं 2014 बाढ़ के पूर्व 9.67649 करोड़ रूपये की मांग के विरूद्ध मात्र 2.9769 करोड़ रूपये की राशि की प्रतिपूर्ति ही केन्द्र सरकार द्वारा की गयी । इस प्रकार 29.11126 करोड़ रूपये एवं 6.69959 करोड़ रूपये अर्थात कुल

35.81085 करोड़ रूपये की राशि अभी भी केन्द्र सरकार के यहां बकाया है ।

श्री श्रवण कुमार : महोदय, ललन बाबू के लिए अनुकूल प्रश्न है, चूँकि ये तो अलग मोर्चा बना ही रहे हैं तो इनके लिए प्रश्न अच्छा ही है ।

अध्यक्ष : इतना लम्बा उत्तर सुनने के बाद पूरक पूछने की हिम्मत बची हुई है !

श्री ललन पासवान : पूरी तरह लड़ने की हिम्मत है सर, आप पूछने की बात कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कि मैंने सिर्फ दुर्गावती पर पूछा था.....

अध्यक्ष : आप पूरक दुर्गावती पर ही पूछ लीजिए न ।

श्री ललन पासवान : हां, जी । हमको लगता है कि सरकार सदन को भ्रम में डालना चाहती है ताकि दुर्गावती दिग्भ्रमित हो जाय । मैं सिर्फ दुर्गावती पर पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी, 109 वितरणी बनानी थी, आपने कहा कि 33 वितरणी बाकी है, आपने कहा कि स्पीलवे का रिवर क्लोजेज का, आऊटलेट का काम हुआ है । मैं जो जानता हूँ कि आऊटलेट और रिवर क्लोजेज का जो काम हुआ है । अभी आपने या पिछली सरकार ने बिना निविदा का दोनों काम कराया । दोनों बिना निविदा का पुराने ठीकेदार जो भी ठीकेदार रहे हों, संवेदक रहे हों, उससे आपने कराया । उसमें जिस तरह से काम हुआ है, वह जॉच का विषय है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने बिना निविदा का उन्हीं ठीकेदारों को, उन्हीं संवेदकों को काम दिया, जो अपने आप में भ्रष्टाचार है और यह गैर-संवैधानिक है, पहला काम । आप पता कर लीजिए, आपने बिना निविदा का दिया है । दूसरा काम - आपने कहा 33 वितरणी का काम बाकी है और भू-अर्जन का माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, भू-अर्जन का अभी तक दुर्गावती का 900 कुछ करोड़ रू0 इन्होंने कहा कि 65 करोड़ रू0 हमने खर्चा कर दिया है, 1076 करोड़ रू0 इनका खर्चा करने का प्राक्कलन था । मैं इसपर सुप्रीम कोर्ट भी गया, मैं जानता हूँ । इसमें कई लोगों की बलि चढ़ गई, मैं यह भी जानता हूँ । अभी तक दुर्गावती के किसानों को 386 गांव कैमूर और रोहतास का राईट कैनाल 34 कि0मी0 और लेफ्ट कैनाल 22 कि0मी0, अभी तक उसके काम पूरे नहीं हुए हैं । पानी को जहां जल-जमाव रखना है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि रिपोर्ट गलत है । मैं कह रहा हूँ, महोदय आप भी जल संसाधन मंत्री रहे हैं हुजूर, माननीय मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी थे, दो-दो बार उद्घाटन हो चुका है, उसका लक्ष्य था इसी सदन में, हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल थे, माननीय रामाश्रय बाबू ने घोषणा किया था कि 23 सितम्बर 2007 को पानी छोड़ दिया जायेगा ....

अध्यक्ष : अभी आप क्या चाहते हैं, वह पूरक पूछिए न ।

श्री ललन पासवान : पूछ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा सुन लिया जाय । उतना लम्बा जवाब पढ़े तो आप सुन लिये, मेरे साथ नाइन्साफी नहीं किया जाय महोदय ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए न ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि 33 वितरणी भू-अर्जन का काम अभी पूरा नहीं हुआ, अंतिम छोर तक पानी आना है सासाराम के चाराचंडी धाम तक और चैनपुर चॉद तक जाना है । जब मेन कैनाल अभी तक नहीं बना, फाईनल नहीं हुआ, कई जगह पुल-पुलिया बचा हुआ है, कई जगह कई काम बचे हुए हैं और वितरणी का भू-अर्जन का काम बाकी है तो कैसे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि

2015-16 में, माननीय नीतीश कुमार जी कहे थे कि 2012 में हो जायेगा, एक बार0 कहे कि 2014 में दे देंगे और अभी 2016 है और 2016 का वित्तीय वर्ष भी खत्म होगा और मार्च तक काम होना है मिट्टी का........

अध्यक्ष : मंत्री जी ने तो बताया है कि 2015 के खरीफ में ही सिंचाई दिये हैं । यह तो आपको बताया है ।

श्री ललन पासवान : मैं तो कह रहा हूँ कि रब्बी के फसल में इस बार कहीं पानी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने रख रखाव नहीं किया । अभी जो कह रहे हैं कि धान की खेती में जो पानी मिल रहा था, चाहे सदोखर वितरणी हो, चाहे मल्लीपुर से तेतरी वितरणी जा रहा हो, वहां भी किसानों का, अभी तक भू-अर्जन का काम नहीं हुआ है तो कैसे मंत्री जी कह रहे हैं ....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए न ।

श्री ललन पासवान : महोदय, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि दुर्गावती के बारे में सरकार लगातार कह रही है और पॉंच बार वादा किया, माननीय मंत्री जी यह बता दीजिए कि इसको फाईनली 386 गांवों के किसानों को सभी वितरणी बनाकर भू-अर्जन का काम करके पानी कब तक 386 गांवों कैमूर एवं रोहतास को दे देने का एक समय सीमा निर्धारित कर दें ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले तो माननीय सदस्य ने जो कहा, मैंने जो विस्तृत जवाब दिया, वह सदन को भ्रमित करने के लिए नहीं, सदन को विश्वास में लेने के लिए दिया ताकि सदन के सामने पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाय । बिहार में सिंचाई के लिए केन्द्र सरकार से जो राशि हमको मिलनी है, जो प्रावधान है, वह प्रावधानित राशि भी हमलोगों को नहीं मिल पा रही है, यह मैंने बताने का प्रयास किया। दूसरा माननीय सदस्य ने जो चर्चा की भू-अर्जन और निविदा के बारे में, यह प्रश्न निविदा के बारे में नहीं है और न भू-अर्जन के बारे में है ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय,महोदय,

श्री राजीव रजन सिंह उर्फ ललन सिंह : आपकी आदत है, आप हर समय खड़ा नहीं होईए, आपका सवाल नहीं न है, सवाल जिसका है, उसको जवाब देने दीजिए । आपका कोई सवाल नहीं है, यह ध्यानाकर्षण है । आपके मन में जो आयेगा, वह नहीं बोलते रहियेगा। बैठिए, आप अपने पद की गरिमा का ख्याल करिए ।

अध्यक्ष : बोल लेने दीजिए ।

श्री प्रेम कुमार : आप बताईए न कि केन्द्र सरकार के यहां कब से बकाया है ?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : बता तो दिया मैंने, उत्तर आप नहीं सुने ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रेम बाबू, बैठिए ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : और दूसरी बात यह निविदा और भू-अर्जन का सवाल नहीं था लेकिन मैंने यह भी बताया माननीय सदस्य को कि जो 33467 हेक्टेयर में होना था, उसके विरूद्ध 20920 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकी है, जहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पायी है, उसका कारण भी मैंने बताया कि जो 32 डिस्ट्रीब्यूटरी में 30 डिस्ट्रीब्यूटरी का काम अधूरा है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि मैं जब स्वयं वहां गया था, मैं स्वयं इसकी समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद 29-30 वितरणी जितना बचा हुआ है, सबको क्लब करके उसकी निविदा आमंत्रित हो गई है । मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ कि रेगुलर मोनेटेरिंग करके दुर्गावती के सभी डिस्ट्रीब्यूटरी का काम 2016-17 में पूरा करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : अब क्या बच गया ? अब 2016-17 में पूरा कर रहे हैं । आप कुछ बोलियेगा दूसरी बात तो फिर काम अटक जायेगा ।

टर्न-12/अंजनी/दि0 30.03.16

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक बात कहा कि ललन पासवान जी ने जो दो सवाल का चर्चा किया है, इसमें नहीं है । भू-अर्जन का काम, इसमें चर्चा नहीं है....

अध्यक्ष : इसके बारे में उन्होंने कहा है कि हम तुरंत कर देंगे ।

श्री ललन पासवान : सर, वितरणी का काम अगर माननीय मंत्री जी करेंगे, भू-अर्जन का अधिग्रहण करके किसानों को पैसा नहीं देंगे तो वितरणी का काम कैसे करेंगे ?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : जब मैंने कहा है कि वितरणी का काम पूरा करेंगे तो उस वितरणी के काम की प्रक्रिया में जो-जो होगा, उसको पूरा किया जायेगा ।

श्री ललन पासवान : महोदय, जांच कराइयेगा कि नहीं ?

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : महोदय....

अध्यक्ष : अब आपका क्या है ?

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध मैंने जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है ?

अध्यक्ष : कहां प्रश्न किये थे ?

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : जो प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है ।

अध्यक्ष : अलग से उसकी सूचना ले लीजिए ।

अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(अन्तराल)

टर्न-13/शंभु/30.03.16

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। विधायी कार्य। प्रभारी मंत्री, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2016

श्री अब्दुल जलील मस्तान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी।

श्री अब्दुल जलील मस्तान : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : विचार का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री।

श्री अब्दुल जलील मस्तान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार हो।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा एवं श्री संजय सरावगी, विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव सिद्धांत

पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा। क्या माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे या वापस लेंगे ?

श्री विजय कुमार सिन्हा : मूव करूँगा। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2016 के सिद्धांत पर विमर्श हो।"

महोदय, यह 1915 में एक्ट बना था। उसके बाद 2015 में उत्पाद नीति बनी थी और आज महोदय, 2016 में पुन: संशोधन की आवश्यकता पड़ गयी। महोदय, शराब पर पाबंदी लगाने का कानून बनाना यह बड़ा सराहनीय है, लेकिन जो एक्ट आया है- कंडिका 5 के 4-क में जो लिखा गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम या उसके किसी भाग के प्रयोजनार्थ ऐसी वस्तुओं या पदार्थों जिससे मदसार अल्कोहल के प्रतिस्थानिक के रूप में उपयोग किया जा सकता हो, मादक द्रव्यों के रूप में घोषित कर सकती है। महोदय, हम जिसके हित के लिए ये कार्य कर रहे हैं, बिहार की उन तमाम गरीब जनता के लिए उसकी परेशानी न बढ़े और हमारा जो उद्देश्य है वह सफल हो। इसके लिए इसका प्रचार-प्रसार जनमत जानने का प्रयास होना चाहिए। आम कानून हम बना देते हैं, बहुत सारे पहले भी कानून बने हैं, लेकिन उस कानून का पालन आम लोगों तक हो। अब इस कानून के अंदर में जो उसकी परेशानी अभी उत्पाद विभाग के तहत में जो उससे ग्रसित लोग हैं, जो शराब के शिकार के कारण भूखमरी के कगार पर पहुंचे हैं उन तमाम लोगों को हम मुक्त नहीं करा पाते हैं, इस विभाग के ऐक्टिव होने के बाद भी उन गरीबों का शोषण इन्सपेक्टर राज के माध्यम से होता है। अब इस एक्ट के अंदर जो कंडिका 5, 4-क के तहत दिया गया है किसी को भी परेशान, तंग किया जा सकता है और किसी भी मदसार के नाम पर उसको हम दंडित कर सकते हैं, उसकी परेशानी बढ़ा सकते हैं। इसको गंभीरता से विचारने की जरूरत है और हम चाहेंगे कि ये सराहनीय कदम है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार जनमत जानने के लिए पूरी तैयारी से हो, ऐसा नहीं कि 2015 में उत्पाद नीति बनी और 2016 में संशोधन हो और फिर ऐसी स्थिति बन जाय कि फिर इसमें संशोधन की व्यवस्था बन जाय।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य,श्री विजय कुमार सिन्हा जी, लगता है, जो आपका अगला प्रस्ताव है जनमत जानने के लिए परिचारित करने का, उसके संबंध में भी आपने अपने विचार रख दिये। माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव....

अध्यक्ष : वह प्रस्ताव तो आ चुका है।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, यह जो लाया गया है विधेयक- सरकार का जो उद्देश्य है कि हम शराबबंदी करना चाहते हैं, चरणबद्ध शराबबंदी करना चाहते हैं, सरकार ने

घोषणा की थी कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे और सरकार केवल देशी शराबबंदी कर रही है, विदेशी शराबबंदी नहीं कर रही है तो निश्चित रूप से और सरकार कहती है कि विदेशी को हम चरणबद्ध रूप से कम करेंगे, कैसे कम करेंगे ? 3 हजार दूकान विदेशी शराब की थी, अभी 600 कर दिये, लेकिन 600 के हिसाब से आप विदेशी शराब का कोटा नहीं घटाये, कोटा तो उतना ही 3 हजार दूकानों में रहेगा 600- अगर चरणबद्ध तरीके से कम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको विदेशी शराब उत्पादन भी कम करना चाहिए, रोक लगनी चाहिए और सरकार ने कहा कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे तो कहीं से भी सरकार का जो उद्देश्य है कि अल्कोहल फ्री स्टेट करना है यह निश्चित रूप से विधेयक से प्रतीत नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, बिहार उड़ीसा उत्पादन विधेयक एक्ट 1915 में बना, 101 साल हो गया तो सरकार संशोधन कर रही है 101 साल के बाद दुनिया कहां से कहां चली गयी। इसके प्रावधान पुराने हो गये, आज के सन्दर्भ में उनकी प्रासंगिकता, उपयोगिता नहीं रही तो निश्चित रूप से सरकार को संशोधन नहीं लाकर सरकार को नया विधेयक लाना चाहिए था। यह 101 पुराना विधेयक है तो निश्चित रूप से इसमें संशोधन नहीं लाना चाहिए था, इसमें नया विधेयक लाना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, जब भी किसी पुराने विधेयक में संशोधन दिया जाता है तो उसका पुराना विधेयक भी सरकार विधायकों को सरकुलेट कराना चाहिए, यह 101 साल पुराना है और सरकार कहेगी लाइब्रेरी में है, कहीं है तो निश्चित रूप से इसपर मेरा ये है कि सरकार की पूर्ण शराबबंदी की नीति है, बिहार सरकार जो नहीं चाहती है और सरकार कहीं दूकानदारी करती है और सरकार शराब की दूकान चलायेगी ? सरकार अब दूकान चला रही है और 600 दूकान में इतनी लंबी लंबी लाइनें लगेगी तो निश्चित रूप से सरकार ने जो घोषणा की थी कि हम 1 अप्रील से बिहार में पूर्ण शराबबंदी करेंगे और केवल इसमें प्रावधान कर रही है, वह केवल देशी शराब को रोकने के लिए और जो माननीय विजय जी ने कहा है कि खंड-क के कंडिका-4 क में तो निश्चित रूप से इससे अफसरों को बढ़ावा मिलेगा, इतनी शक्ति दे दी गयी है जिला पदाधिकारी को आप किसी भी मादक पदार्थ को मादक पदार्थ घोषित करके आम जनता को दंड का भागीदार बनायेंगे तो निश्चित रूप से मेरा प्रस्ताव है इसपर सरकार विचार करे। इसको सरकार प्रतिष्ठा के रूप में नहीं बनावे कि सत्तापक्ष ने ला दिया तो पास करा दे, विपक्ष की जो बात है उसपर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श के बाद अब जनमत जानने का प्रस्ताव लिया जायेगा।

टर्न-14/अशोक/30.03.2016

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्रीमती गायत्री देवी, श्री विजय कुमार सिन्हा एवं श्री संजय सरावगी द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित करने का प्रस्ताव दिया गया है । माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा, प्रस्ताव मूव करेंगे या प्रस्ताव वापस लेंगे?

श्री अरूण कुमार सिन्हा : मैं मूव करूंगा महोदय ।

महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ :

" कि बिहार उत्पाद(संशोधन) विधेयक, 2016 दिनांक 30 सितम्बर, 2016 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो । "

महोदय, शराब पर पाबन्दी लगाने का कानून बनने जा रहा है, यह कार्य सराहनीय तब होता जब यह पाबंदी पूर्णरेरूपेण होता । महोदय, यह एक तरह से शराब बेचने का सरकारीकरण है । महोदय, दूसरा विषय यह है- सुनिये, सब के समझने लायक, अपनी भाषा में बात कर रहा हूँ । गरीब और स्लम के इलाके के लोग को अखबार या जो न्यूज है, उसकी जानकारी इन लोगों को कम रहती है, उनका अवेयरनेस उतना नहीं रहता है, वे शराब के आदी हैं, वे गरीब लोग हैं, उनको शराब का इतना ज्यादा लत लगा हुआ है, अब सरकारीकरण कर विदेशी शराब बेच रहे हैं, उनको इतना महंगा शराब पीने में और उनकी जो समस्या आयेगी, शराब छूटेगा नहीं, बहुत शराब पीने वाले को उससे अलग कीजियेगा तो वह बीमार पड़ जायेगा या और कोई दूसरी बीमारी पकड़ लेगा, तो उसके विषय में कुछ नहीं सोच कर- उनको अवेयरनेस कराना जरूरी है ।

दूसरा विषय यह है, जो सोचने का है, महुआ से, बासी भात से, चावल से और ये भांग, गाजा और ताड़ी - ये सभी नशे के श्रेणी में आयेगा ताकि विधान में आ रहा है, अब कौन-कौन सा चीज उसमें आ जायेगा, खैनी भी आ जायेगा, सिगरेट भी आ जायेगा, इन सारी बातों को कौन चीज आयेगा- अब इसमें आ गया ऑफिसरशाही, तो इस बात में महोदय यह जरूरी है और कानून कितना कड़ा है- एक लाख से दस लाख और दस वर्ष से आजीवन कारावास तो इस विषय पर अगर अवेयरनेस कराया जाता छः महीना, जानकारी दी जाती, तरह-तरह नुक्कड़ नाटक कराया जाता, लोगों को जानकारी दी जाती, लोगों के बीच डिसकशन कराया जाता, सेमिनार करया जाता, इस तरह से करके इसको लाया जाता, इतना कड़ा कानून लागू

किया जाता- इतना कड़ा-कड़ा कानून अगर लगा दिया, उसको मालूम ही नहीं है, अब वह चल जायेगा दस वर्ष के लिए जेल, उसको लगेगा कि हम कोई गुनाह नहीं किये तो मेरा अंत में कहना यह है कि महोदय कि यह एक विचार बहुत बढ़िया है, पूर्ण शराबन्दी हो, लेकिन छः महीना अवेयरनेस के लिए, जनमत संग्रह के माध्यम से किया जाय ।

अध्यक्ष : श्रीमती गायत्री देवी ।

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ

" कि बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक,2016 दिनांक 30 सितम्बर, 2016 तक जनमत जानने हेतु परिचारित ..

अध्यक्ष : माननीय सदस्या गायत्री जी, प्रस्ताव किया हुआ है, आप केवल अपना विचार रखिये।

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रही हूँ कि यह कानून 1915 में बना था जो अप्रासंगिक होने के कारण तथा चरणबद्ध रूप से शराबबंदी को लागू करना इस विधेयक का मूल उद्येश्य है । महोदय, बिहार की जनता के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, इसी कारण आपको इतना व्यापक समर्थन बिहार की महिलाओं ने दी थी, लेकिन आपके द्वारा आंशिक शराबबंदी के उद्येश्य से यह बिल लाना उचित नहीं है । आप पूर्ण शराबंदी के लिए जो भी आवश्यक है, उसको इस बिल में समाहित करके बिल को लाए, इसके लिए बिहार की जनता का विचार जानना आवश्यक है क्योंकि यह बिल सम्पूर्ण बिहार की जनता को प्रभावित करती है । इसलिए हम चाहते हैं कि इस बिल को आनन-फानन में नहीं लाकर जनमत जानने के लिए 30 सितम्बर, 2016 तक प्रचारित हो ताकि यह बिल बिहार के बच्चों, महिलायें एवं समाज के कमजोर वर्गो के हित में हो, लेकिन आपने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस बिल को लाया है, जो कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है।

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार सिन्हा जी, आप तो कह चुके हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : महोदय, यह जो शराबबंदी का जो विषय आ रहा है और जितनी चिन्ता व्यक्त किया जा रही है और इस चिन्ता के अन्दर जो छिपा हुआ उद्येश्य है महोदय, उसका जिक्र माननीय सदस्यों ने किया लेकिन इस संशोधन के द्वारा कलक्टर को जो अधिकार दिया गया और पूरे शहर और गांव पर सामूहिक जुर्माना लगाने की बात कही गई है । महोदय, देशी शराब और विदेशी शराब- इन दोनों की जांचने का कोई पैमाना इनके पास है क्या ? जब शराब पी लेंगे तो उसके अन्दर, मुह के अन्दर कौन सा यंत्र रहेगा जो देशी और विदेशी के जद में आयेंगे । और महोदय, बता दें कि यह कितना बड़ा मजाक बनेगा, जो क्रिमी लेयर है, जो क्रिमी

लेयर हैं, जो सदन के अन्दर बैठे हुये माननीय सदस्य हैं, यू.पी.एस.सी. और बी.पी. एस.सी. के जो पदाकिधारी हैं, आइ.ए.एस. और आइ.पी.एस. बनते हैं, हमने प्रचार-प्रसार का, जनमत का, हमने जो मांग किया, आज सदन के अन्दर आपने कितना अच्छा अभियान शुरू किया है " रक्त-दान" का, महोदय, आपके माध्यम से यह संकल्प शुरू होगा कि सदन के अन्दर बैठे लोग, चाहे माननीय मंत्री हो या सदस्य हो- कोई भी शराब को नहीं छूयेगा, यह आपके द्वारा संकल्प कराया जायेगा? महोदय, एक प्रचार शुरू होनी चाहिए, आई.ए.एस. और आई.पी.ए. के ड्राईंग रूम के अन्दर जो विदेशी शराब की बोतलें रखी रहती हैं सजावट के तहद में, क्या उसको भी आपके द्वारा ऐक्ट, नियम लाया जायेगा । चूंकि ये जो प्रतिनिधि हैं महोदय और ये जो हमारे बड़े-बड़े पदाधिकारी हैं, पथ-प्रदर्शक बनती है इनकी बात, आम जनता और गरीबों तक जाती है । महोदय, आपके माध्यम से बिहार की पवित्रता, बिहार का एतिहासिक गौरव रहा है, भगवान बुद्ध की धरती रही है महोदय, ये तो भगवान बुद्ध की धरती है जहां शराब पर, शराब पर क्या पूर्ण नशाबन्दी, पूर्ण नशाबन्दी की चर्चा हो- अफीफ, गांजा, भांग, चरस सभी पर आपके माध्यम से महोदय, ये अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा यह ऐक्ट पास करने के बाद एक संकल्प दिलाया जाय कि कोई भी जनप्रतिनिधि, माननीय मंत्री, विधायक या पंचायती राज के प्रतिनिधि जिस तरह से संविधान के प्रति संकल्प लेते हैं तो ये नशाखोरी के विरूद्ध भी संकल्प लें और अगर जो लोग पकड़ाये तो उनको दण्ड नहीं, दस वर्ष का महोदय, आज बलात्कार पर बड़ा-बड़ा कानून बन गया लेकिन जब तक नैतिकता की बात करते हैं, चरित्र निर्माण की बात करते है, वह जब तक पूरा नहीं होगा, वह कानून आज जमीन पर दिखलाई नहीं पड़ता है । महोदय, जो शराबबन्दी के नियम का उल्लंघन करे उसकी सदस्यता समाप्त करने का यह संकल्प लिया जाय महोदय । हम आपके माध्यम से यह मांग करेंगे कि अगर जब हम कानून बनाते है तो सिर्फ जनता के अनुपालन के लिए कानून नहीं हो, कानून जन प्रतिनिधियों के लिए हो, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब के लिए यह लागू हो और महोदय यह संदेश जायेगा पूरे देश के अन्दर में । हम महोदय आग्रह करेंगे कि इस कानून को आपके माध्यम से मूर्त्तरूप दिया जाय इस संकल्प के साथ महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक ।

टर्न-15-30-03-2016-ज्योति

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य विजय कुमार सिन्हा जी ने संकल्प लेने का कुछ सुझाव दिया है, अगर सदन, सभी एक मत है कि नशाबंदी लागू होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: सरकार तो शराबबंदी का प्रस्ताव ही लायी है । आप जो सुझाव दे रहे हैं वह दीजिये न ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण , मैं अपनी बात पूरी कर लूँ कि माननीय सदस्य का सुझाव जिस परिप्रेक्ष्य में आया है और जिस एकजुटता से इस पर सदस्यों के विचार आ रहे हैं निश्चित रुप से इनका सुझाव विचारणीय है और सबों को विचार करना चाहिए । श्री संजय सरावगी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध (संशोधन) विधेयक, 2016 में ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री रामविलास जी, जो भी माननीय सदस्य इसका अनुपालन पहले से करते आ रहे हैं वे और भी प्रशंसनीय हैं और अगर वैसी बात नहीं है तो आगे विचार करेंगे।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध (संशोधन) विधेयक, 2016 आज जो सदन में प्रस्तुत किया गया है वह निश्चित रुप से एक अच्छा कदम है । लेकिन देशी के साथ साथ विदेशी पर भी इतनी सारी कार्रवाई होती तो निश्चित रुप से सरकार ने जो कहा था वह निश्चित रुप से स्वागतयोग्य होता । अध्यक्ष महोदय, यह इतना मोटा विधेयक है और इतना गहन विधेयक है, इसपर निश्चित रुप से बिहार की जनता का जनमत लेना चाहिए । उनकी क्या राय है, वह राय जरुर सदन में आनी चाहिए और यह कानून पास होना चाहिए । इसलिए 30 जून, 2016 तक जनता के बीच परिचारित किया जाय और जनता की जो राय आवे उस राय को इस संशोधन में जरुर दर्ज किया जाय और आपने जो प्रस्ताव दिया है एक अप्रील को 9 बजे सदन प्रारम्भ होगा तो निश्चित रुप से यह सुझाव नहीं 1 अप्रील 2016 को आप सभी माननीय सदस्य को शपथ दिलवाईये 9 बजे - देशी और विदेशी दोनों , कोई भी, अगर हम राज्य में संदेश देना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार में जागरुक करना चाहते हैं तो यह संदेश बिहार विधान सभा के पटल से प्रारम्भ होना चाहिए इसलिए 1 अप्रील को 9 बजे जो विधाान सभा की बैठक की शुरुआत हो तो मैं यह प्रस्ताव देना हूँ कि 9 बजे सुबह में बिहार विधान सभा शपथ ले और इस शपथ लेने से पूरे बिहार में संदेश जायेगा ।

अध्यक्ष : आप, संजय जी आज शाम तक के लिये रियायत क्यों देना चाहते हैं ?

श्री संजय सरावगी : सर, जहॉ तक मेरा व्यक्तिगत मामला है .. . . .

अध्यक्ष : लगता है आज शाम तक आप रियायत देना चाहते हैं ?

श्री संजय सरावगी : सर, किन्हीं सदस्य का घर वगैरह में पड़ा हुआ है तो वह सलटा ले । हमलोग तो सर परमानेंट कंठीधारी हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2016 दिनॉक 30 सितम्बर, 2016 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खण्डश: लेता हूँ ।

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

“ नाम इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : अब स्वीकृति का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री अब्दुल जलील मस्तान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

“ बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।”

अध्यक्ष : अब स्वीकृति के प्रस्ताव पर कोई माननीय सदस्य अपना विचार रखना चाहते हों तो रख सकते हैं ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, राज्य सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, इसका मैं स्वागत करता हूँ । लेकिन हमलोगों की अपेक्षा यह थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि पूर्ण शराब बंदी हम करेंगे । लेकिन बाद में इन्होंने विषय को बदल दिया । हमलोगों की इच्छा यह है कि इसपर सरकार पुनः विचार करे पूर्ण शराबबंदी पर । अब अंग्रेजी शराब बिकेगी शहरों में और गांव में देशी बंद होगा तो इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है । हमारे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं कि आज ही मतलब हम 1 तारीख की बात नहीं कर रहे हैं आज ही महोदय, सभी माननीय सदस्य जाकर एक संकल्प लें ताकि अच्छा संदेश जायेगा कि हमारे सभी जो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों , हम संकल्प लेंगे इस अभियान को सफल बनाने में और हम सहयोग करेंगे । साथ ही साथ हम शराब नहीं पियेंगे इसका संकल्प लेंगें तो पूरे देश में एक अच्छा मैसेज जायेगा । देश का पहला राज्य महोदय, गुजरात है और गुजरात में बहुत पहले से शराब बंद है और महोदय , जब मैं सरकार में था और कैबिनेट की बैठक चल रही थी और शराब की दुकान बढ़ाने की बात आयी थी तो मैंने उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कैबिनेट में किया था कि महोदय, अब शराब की दुकान नहीं बढ़ायी जाय । माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब था कि पैसा कहाँ से आयेगा । इसलिए मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है और हम मुख्यमंत्री जी को याद दिला रहे हैं कि हमलोग कब से चाह रहे थे ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं व्यवस्था पर हूँ । प्रेम बाबू नेता विरोधी दल हैं और मंत्री जब ओथ लेता है तो कैबिनेट की किसी भी सेकरेसी को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। यह अनैतिक काम है । नेता विरोधी दल होकर जहाँ तहाँ ....

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार : महोदय, वह सेकरेसी नहीं , व्यक्तिगत, हमने आग्रह किया है महोदय,

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : मुझको अपनी बात पूरी करने दीजिये ।

श्री प्रेम कुमार : सरकार की कोई सेकरेसी की बात नहीं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : हम बैठे हैं ? अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मुझको याद है प्रेम बाबू कुछ नहीं बोले थे ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, हमने आग्रह किया था । हम लम्बे समय से चाह रहे थे । अभी विधान सभा का चुनाव हो रहा था तो सभाओं में हम कह रहे थे कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनती है तो पूर्ण शराब बंदी करने का हमने एलान किया था । हमने नालन्दा जिला में हिलसा की सभा में कहा था ।

क्रमशः

टर्न-16/विजय/ 30.03.16

(व्यवधान)

अध्यक्षः शांत रहिये ।

श्री प्रेम कुमारः महोदय, हम चाहते थे । आप चाहें तो इन बातों का पता लगा लें, सरकार पता लगा ले । हम सभी सभा में महोदय दो बातों की चर्चा करते थे । शराबबंदी के बारे में हम जानते हैं कि शराब से किसका नुकसान हो रहा है । गरीब वर्ग के लोगों को, कमजोर वर्ग के लोगों को तो जो काफी नुकसान महोदय हो रहा है और बड़े पैमाने पर राज्य में महोदय सरकारी दूकान के अलावा अवैध शराब की चुलाई हो रही थी उससे सरकार को नुकसान हो रहा था और राजस्व का नुकसान हो रहा था । हमने महसूस किया था महोदय कि शराब बंदी होना चाहिए । हमारे मन में बात आयी थी और सभाओं में हम हर सभा में कहते थे कि सरकार हमारी आएगी तो शराब बंद करेंगे और दूध की नदी बहायेंगे, दूध की नदी बिहार में बहेगी, ऐसा हम घोषणा करते थे । मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि हम जो चाहते थे उसको सरकार करने जा रही है, हम स्वागत करते हैं हमारी पार्टी भी चाहती थी । और गो हत्या

के बारे में महोदय कहते थे तो सरकार का कहना होता था कि कानून बना हुआ है लेकिन कानून का पालन नहीं हो रहा था । तो आज सरकार ने देर से ही सही शराब बंदी का जो प्रस्ताव लाया है इसका हम स्वागत करते हैं । इस सरकार से आग्रह करते हैं कि पूर्ण शराब बंदी सरकार कराये तो और बेहतर होगा ।

श्री श्याम रजकः अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने जो बात कही ये अगरबत्ती वाद वाले हैं । अगरबत्ती वाद मतलब किसी को अगरबत्ती दिखाकर के विचारों के प्रति समर्पित होते हैं । विजय माल्या को भगा देते हैं और उनको व्यापार करने के लिए पूरा छूट देते हैं । और यहां बोलते हैं कि दूध की नदियां बहायेंगे। ये व्यापारी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं । यह तो नीतीश कुमार जी के विचार की प्रतिबद्धता है कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण, डा0 लोहिया और गांधी की जो प्रतिबद्धता थी उस प्रतिबद्धता को नीतीश कुमार जी ने आज लागू करने का काम किया । हम आज इसके लिए पूरे रूप से आभार प्रकट करते हैं ।

श्री प्रेम कुमारः महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे तो आखिर शराब बंदी लागू करने में दस साल क्यों लगा सरकार चाहती तो पहले भी कर सकती थी । हमलोग सरकार में थे चाहते थे । लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना था । देर से ही सही उन्होंने निर्णय लिया है हम स्वागत करते हैं और पुनः हम आग्रह करते हैं कि सरकार पूर्ण शराब बंदी करे ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादवः संशोधन क्यों लाये आपके मेम्बर ?

श्री अरूण कुमार सिन्हाः संशोधन हमने लाया है कैसे नहीं लाते । संशोधन लाया है कि इसमें वैसे लोग जिनमें अवेयरनेस की कमी है और आपने इतना कड़ा कानून लगा दिया और जिनको मालूम नहीं है वे गांजा खा लेंगे, भांग पी लेंगे और वे भी इस नशा में आ जायेंगे और उसके बाद उनको दस वर्ष की सजा हो जाएगी । इसलिए अवेयरनेस किया जाय यह हमने बात कही है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादवः गांजा पर तो रोक है ही ।

अध्यक्षः श्री सत्यदेव राम जी ।

श्री सत्यदेव रामः अध्यक्ष महोदय, आज बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक,2016 पर वाद विवाद हो रहा है । बिहार में पूर्ण शराब बंदी की घोषणा हो रही है इस पर एक्ट बनाये जा रहे हैं, कानून बनाये जा रहे हैं । मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि हमलोग बहुत पहले से शराब के विरूद्ध आंदोलन चलाते थे, सरकार से यह मांग करते रहते थे । गांव गांव तक शराब भट्टियां खुल चुकी थी जिससे गरीबों का नुकसान हो रहा था । देर से ही सही सरकार ने यह फैसला लिया है मैं इस सदन में चूकि हमलोग तो पहले से भी शराब विरोधी थे नहीं पीते थे लेकिन आज हम

सिर्फ इस पूर्ण शराब बंदी का समर्थन ही नहीं करते हैं बल्कि जन जागरण में हम अपनी पूर्ण भूमिका निभायेंगे, जनता को जागरूक करने में पूर्ण भूमिका निभायेंगे कि शराब को तौबा करने की जरूरत है। एक बात के साथ एक शर्त्त के साथ कि सरकार को अपने इस फैसले पर अडिग रहना होगा । इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सदानंद सिंह: अध्यक्ष महोदय, बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2016 की स्वीकृति पर सबों ने अपनी अपनी राय दी है । निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह बड़ा ही साहसिक कार्य है । इन्होंने 4 हजार करोड़ रू0 की आय को तिलांजलि देते हुए बिहार के हित में, बिहार के गरीबों के हित में, बिहार के अबलाओं के हित में जो शराब बंदी का यह कानून 100 वर्ष के बाद आया है । हमको लगता है 1915 या 1916 में यह अधिनियम बना था और उसके बाद करीब करीब 100 वर्ष के बाद यह पुन: आया है । एक बड़ा ही साहसिक कार्य है और इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं, संपूर्ण सरकार बधाई के पात्र है । हमलोगों को चाहिए ईमानदारी से इस कार्यक्रम को लागू करवायें और इसमे एक जन प्रतिनिधि होने के नाते हमलोागों की जो अहम भूमिका होनी चाहिए वह भूमिका निभायें । जहां तक पूर्ण शराब बंदी की बात है वह तो शनै: शनै: होगा एक बार सभी कुछ किया नहीं जा सकता अभी तो प्रारंभिक बाते हैं कि जो देशी शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है और जितने कड़े कानून लगाये गये हैं, प्रावधान किया गया है निश्चित तौर पर बिहार राज्य नयी दिशा देकर आगे देश को ले चलने में अहम भूमिका निभायेगा । बहुत धन्यवाद ।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये जो शराबबंदी का कानून आज सदन में लाया गया है यह बड़ा भारी ऐतिहासिक निर्णय है । महोदय, शराब के चलते गांवों में सबसे ज्यादा गरीब लोग परेशान हैं वे और बरबाद होते जा रहे हैं तो महोदय, वर्षो से समाजवादियों का हमलोगों का जो एक सपना था, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो सपना था, कमजोर वर्गो को उपर उठाने का, आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराब बंदी का कार्यक्रम सामने लाकर इतिहास में बहुत बड़ा कदम उठाने का काम किया है ।महोदय, मुजफ्फरपुर की महिलाओं ने शराब बंदी के खिलाफ बड़ा भारी आंदोलन पिछले दिनों किया था और इसी सदन के एक सदस्य थे हिन्द केशरी यादव जी उन्होंने शराबबंदी के खिलाफ जो पदयात्रा की थी तो शराब माफियाओं ने उनकी पिटाई की थी । मुजफ्फरपुर में शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन चलता रहा है । आज हम समझते हैं कि मुजफ्फरपुर वासियों को बिहार वासियों के साथ साथ मुजफ्फरपुर

वासियों को सबसे ज्यादा खुशी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लाये गये इस विधेयक के लिए और इसके लिए मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, इस विधेयक पर विमर्श के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हस्तक्षेप करने की इच्छा व्यक्त की है । अब मैं माननीय मुख्यमंत्री, सदन नेता से अनुरोध करूंगा कि अपना विचार रखें ।

श्री नीतीश कुमारः अध्यक्ष महोदय, आज सदन में बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2016 पर चर्चा हो रही है और यह प्रसन्नता का विषय है कि पूरे सदन में सर्वानुमति है । जो विधेयक का उद्देश्य है वह यही है कि शराब बंदी के कार्यक्रम को पूरी मजबूती से लागू किया जा सके ।

क्रमशः......

टर्न-17/राजेश/30.3.16

श्री नीतीश कुमार, क्रमशः- अध्यक्ष महोदय, हमलोगों का लक्ष्य है पूर्ण शराबबंदी, चूंकि बार-बार यह बात आ जाती है कि मैंने कहा था पूर्ण शराबबंदी और अब सिर्फ देशी पर कर रहे हैं आदि-आदि । ऐसी कोई बात नहीं है, मैं संदर्भ बता देना मुनासिब समझता हूं, पिछले वर्ष संभवतः 9 जुलाई को श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम था महिला विकास निगम और डी0एफ0आई0डी0 के द्वारा वह आयोजित था, उसमें मैं भी भाग ले रहा था और जब मैं अपनी बात कहकर अपनी जगह पर बैठ रहा था, उसी बीच पीछे से कुछ महिलाओं ने आवाज उठायी कि शराब बंद कीजिये, उनकी बात सुनने के बाद फिर मैं माईक पर गया और हमने इतनी ही बात कही कि अगली बार आयेंगे तो लागू करेंगे । मैंने इतनी ही बात कही कि अगली बार फिर अगर बिहार की जनता ने मौका दिया तो जो मांग है शराबबंदी की, इसको हम लागू करेंगे, हमने यही वचन दिया था । उस एक वाक्य का प्रचार इतना जबर्दस्त हुआ, गॉव-गॉव में वह बात पहुंच गयी और लोगों को लगा कि शराबबंदी किया जा सकता है, इसके बाद लोगों ने अवसर दिया तो यह हमारी नैतिक जवाबदेही थी, 20 नवंबर को वर्तमान सरकार का शपथ ग्रहण हुआ और 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस था, हमारे जो बी0जे0पी0 के साथी है, उनको याद होगा और 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस मनाने का निर्णय हमलोगों का 2011 से ही है, 2011 में ही हमलोगों ने फैसला किया कि 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस के रुप में हम मनायेंगे, इसलिए 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस का आयोजन था और हम उस समय भी कहा करते थे कि यह जो विभाग है, इस विभाग में उत्पाद के

साथ-साथ मद्य निषेध भी है, तो अगर टैक्स इकट्ठा होता है शराब से, तो साथ-साथ शराब बुरी चीज है, इसको बंद किया जाना चाहिए और इसका प्रचार-प्रसार इस विभाग के द्वारा किया जाना चाहिए और उसी को ध्यान में रखकर मद्य निषेध दिवस का आयोजन किया जाने लगा । इस वक्त का जो मद्य निषेध दिवस था 26 नवंबर को, यानी शपथ ग्रहण के छठे दिन और हमारी नई सरकार बनने के बाद पहला कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में हमने कहा कि हमने चुनाव के वक्त यह बात कही थी,अब इसको लागू करना है और मेरी इच्छा है कि हम एक अप्रैल से यानी नये वित्तीय वर्ष के शुरुआत के दिन से इसको लागू करे, चूंकि इस बीच में कई पहलू हैं, जिनके बारे में फैसला लेना होगा, निर्णय लेना होगा, उसको क्रियान्वित करना होगा, बहुत सारी ऐसी बातें होगी, जिसपर विचार करना होगा और सारे अधिकारी मौजूद थे और उसी दिन हमारे नये प्रधान सचिव एक्साईज बाद में हुए है पाठक जी, उनकी पोस्टिंग हो गयी थी, उसी दिन उन्होंने ज्वायन किया था और हमने उसी दिन उनको और मुख्य सचिव को कह दिया कि भाई एक अप्रैल से इसे लागू होना है, इसकी आपलोग पूरी तैयारी कीजिये, लोगों ने 15-20 दिनों में ही इसकी एक रुपरेखा तैयार की और मेरे स्तर पर विमर्श हुआ और मैं समझता हूँ कि जितनी चर्चा मद्य निषेध को लागू करने के लिए मेरे स्तर पर हुई है, शायद ही किसी काम के लिए हमको इतनी बार बैठना पड़ा हो और हमारे अधिकारी तो और कितनी बार बैठे, हर प्रकार के मत को जानने के लिए लोगों के साथ, लोगों ने विमर्श किया है और विमर्श करने के बाद, एक-एक चीज पर गौर करने के बाद हमलोगों का यह फैसला हुआ कि भाई कि एक अप्रैल से हम इसे लागू करेंगे, इसके लिए हमलोगों को क्या-क्या करना पड़ेगा और किस प्रकार से करना पड़ेगा । इसपर जब पूरी चर्चा हुई, यह बात उभर कर आयी, जिसमें हमारे हर मीटिंग में हमारे मंत्री माननीय उत्पाद एवं मद्य निषेध हैं, वे मौजूद रहते थे और इसको कहिये कि बहुत ही खुले मन के साथ इसपर चर्चा हुई कि हम पूर्ण मद्य निषेध लागू करेंगे लेकिन इसको हम चरणबद्ध ढंग से लागू करे, ग्रामीण इलाके में हर प्रकार के शराब पर पाबंदी लगा दें और पूरे बिहार में पहले देशी और मसालेदार पर लगायें और सीमित शहरी इलाकों में विदेशी शराब रहे पहले फेज में, दूसरे चरण में उसको भी समाप्त कर देंगे, इसपर काफी लंबा विमर्श हुआ, उसको लागू करने के लिए जितना काम करना है, उन सब चीजों पर, एक-एक पंक्ति पर चर्चा किया गया और तब यह निर्णय लिया गया । मैं सबसे पहली बात कहता हूँ कि यह जो निर्णय है, सरकार ने जो निर्णय लिया, कैबिनेट के नजदीक जो प्रस्ताव आया, मैंने घोषणा यही की थी कि नई उत्पाद नीति एक अप्रैल 2016 से लागू

होगी, तो नई उत्पाद नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पूर्ण शराबबंदी होगी और पहले चरण में ग्रामीण इलाकों में देशी, मसालेदार शराब, पूरे बिहार में देशी और मसालेदार शराब और ग्रामीण इलाकों में पूर्ण रुप से शराबबंदी होगी, शहर में सिर्फ कॉरपोरेशन, नगर निगम और नगर परिषद् के क्षेत्र, यदि पहले चरण में पूरे दूकानों की संख्या को देख लीजिये, पूरे बिहार के तो 90 परसेंट दूकानें बंद हो जायगी, 10 परसेंट मात्र दूकान रहेगी और इस 10 परसेंट पर भी हमलोगों ने यह फैसला किया कि यह कारोबार अब निजी क्षेत्र के लोगों को करने के लिए लाईसेंस निर्गत नहीं किया जायेगा, आप पहले से ही जानते है,अगर आप पृष्ठभूमि में जाइये, तो हमारे यहॉ एक्साईज से आमदनी मुश्किल से 300 करोड़ के आस-पास हुआ करती थी, मैं तो शराब के बारे में कुछ जानता नही हूँ, इसलिए जब 2005 में सरकार बनी, तो घंटो हम बैठे, एक्साईज से संबंधित, शराब से संबंधित, सब चीजों को, मुझको लगता था कि भाई शराब तो देखते हैं कि बहुत लोग पीते हैं और बिहार की आबादी इतनी है, मात्र 300 करोड़ का राजस्व कैसे आ रहा है, तो इसको समझने के लिए हमने विस्तृत बैठक की और एक-एक चीज को लर्नर की तरह हमने जानने की कोशिश की, बात-चीत करते वक्त प्रश्न पूछ-पूछकर, समझते-समझते, मेरे दिमाग में एक बात आयी कि यह जो हमारी आमदनी कम है, इसका मतलब यह नहीं कि कम लोग शराब पी रहे हैं,उसका कारण यह है कि दो नम्बर का कारोबार भी बहुत है । नम्बर एक और नम्बर दो कि यह जो कारोबार है, यह मोनोपोली है, मनुफैक्चर, होल सेलर और रिटेलर, हमने कहा कि इस चेन को बंद कर दीजिये और फिर कई राज्यों के उदाहरण सामने थे, जहॉ सरकार ने कॉरपोरेशन बना रखा था, कई जगह तो रिटेल के लिए बना रखा था, कई जगह होल सेल के लिए बना रखा था, तो एक निर्णय हमने लिया 2005 में सरकार बनाने के बाद, जब हम इस चेन को बंद करेंगे और शराब का होल सेल ट्रेड एक सरकारी कॉरपोरेशन बना करके उसके माध्यम से करेंगे, इसलिए विभरेज कॉरपोरेशन बनाया गया और होल सेल ट्रेड अगर रिटेल के लिए लाईसेंस मिल रहा है लेकिन उनको होल सेल से जो शराब लेंगे रिटेलर, वह विभरेज कॉरपोरेशन । साहब, हमने देखा कि जो एक्साईज से आमदनी थी, वह बढ़ने लगी, 500 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़ और यह बढ़ते-बढ़ते 4000 हजार करोड़ तक पहुंच गया, तो इसका कतई मतलब नहीं था कि शराब पीने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो गयी, धीरे-धीरे उस एक्साईज पॉलिसी में थोड़े से परिवर्तन के बाद लगभग, यह लिकर के ट्रेड पर बहुत हद तक, मैं यह नहीं मानता हूँ कि पूर्ण रुप

से, लेकिन काफी हद तक उसको नियंत्रित किया गया और उसके चलते आमदनी बढ़ गयी, हमने देखा कि साहब आमदनी तो हमारी बढ़ गयी ।

क्रमशः

टर्न-18/कृष्ण/30.03.2016

..क्रमशः...

श्री नीतीश कुमार : लेकिन शराब के खिलाफ एक बहुत बड़ा वातावरण बनता चला जा रहा है। शुरू में हमको लगता था कि यह शराबबंदी लागू हो पायेगी कि नहीं हो पायेगी। लेकिन जब हमलोग चारो तरफ घूमते थे और महिलाओं की आवाज सुनते थे तो अंततोगत्वा हमने उस पृष्ठभूमि में बताया, पिछले वर्ष जुलाई महीने में महिलाओं ने कहा और उसके बाद हमने यही एलान किया और जब कार्रवाई प्रारंभ हुई, जिसका जिक्र कर रहे हैं, इस बार हमलोगों ने देखा कि भई, अगर होल सेल ट्रेड वेवरेज कारपोरेशन के माध्यम से हुआ तो रीटेल चूंकि सीमित दुकानें हैं, संभवतः 655 के करीब अभी तक का जो आकलन है, उसके हिसाब से अधिकतम होगा तो उनको चलाने का लाईसेंस वेवरेज कारपोरशन को ही दिया जायेगा और वे उसके माध्यम से बेचेंगे और एक-एक पहलु पर चर्चा हुई । हमने कहा कि दुकान में भी सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा दीजिये कि कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, एक ही आदमी तो बार-बार नहीं आ रहा है, कुछ ही लोग तो बार-बार नहीं आ रहे हैं, हर चीज रेकर्डेड है । पहले चरण में अगर शहर में बिक भी रहा है तो इसके माध्यम से पूर्ण रूप से नियंत्रित रहेगा, पूरे तौर पर वो ट्रेड नियंत्रित है और जब इसके बारे में कोई फैसला होगा तो कोई विदेशी शराब कोई दूसरी दुकान तो होगी नहीं, दुकान तो यही है । तो वैध ढंग से कोई कारोबार कर नहीं सकता, अब अगर कोई कारोबार करेगा तो वह अवैध होगा । अब जब एक तरफ इन चीजों को नियंत्रित कर दिया गया तो हुआ कि जब अवैध कारोबार होगा, कोई अवैध धंधा करेगा, गांवों में भी हम पूरे तौर पर लागू कर दिये, इसके बाद तरह-तरह की अवैध धंधा करने की कोशिश करेगा, तो उसको रोकना है । पहले से एक माहौल हमलोगों ने बनाया । हमलोगों ने दो बातें की -एक तो कहा कि व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जाय और यह दायित्व हमलोगों ने शिक्षा विभाग को दिया कि शिक्षा विभाग शिक्षकों को, हमारे जो विकास मित्र है, टोला सेवक हैं, साक्षरता अभियान से जो जुड़े हुये हैं, महिला सामाख्या के लोग हों, आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्त्ता और स्वयं सहायता समूह इन सबलोगों को दे

दिया चूंकि उन्होंने ही मांग की और हम देखते थे, जिसका जिक्र किया अभी महेश्वर जी ने, मुजफ्फरपुर में जब महिलाओं ने आंदोलन किया, उस पीक में, जबकि शराबबंदी बिहार में नहीं था, लेकिन जब दो साल पहले मुजफ्फरपुर में भी महिलाओं ने जबर्दस्त आंदोलन किया तो हमने उनका समर्थन किया कि यही रास्ता है, एकदम महिलाओं को आगे आना होगा । भले ही उस समय हमलोगों ने शराबबंदी लागू नहीं किया । लेकिन कहा कि यह ठीक है । हमको लगा कि जबतक जन जागृति नहीं होगी, घर-घर तक पहुंच कर इसका संदेश नहीं पहुंचाया जायेगा और लोगों को इसके लिये जागरूक करना है तो यह अभियान चलाया गया । मैं आपको बताना चाहता हूं कि जन जागरण का क्या लेवेल है, सबको जानना चाहिए। आप समझ लीजिये । इसमें हमलोगों ने यह भी तय किया कि हमारे जो स्कूल में पढ़नेवाले बच्चे हैं, वे अपने अभिभावक से एक संकल्प लिखवायेंगे, उसको शपथ-पत्र कह लीजिये, शराब नहीं पीने का संकल्प और लोग नहीं पीये, इसकी प्रेरणा देने का संकल्प बच्चों के माध्यम से अभिभावकों से कराया गया और अभी तक दो-तीन दिन पहले का यह आंकड़ा है, मद्य निषेध अभियान के तहत अभी तक 1 करोड़ से अधिक अभिभावकों ने मद्य निषेध का शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर कर समर्पित किया । सरकारी स्कूल के बच्चों से यह काम करवाया गया और आप बोल रहे थे और इसके खिलाफ हमलोगों ने प्रेरित किया कि दीवाल पर नारे लिखें तो ये जो सात लाख से अधिक स्थान पर मद्य निषेध के नारों का दीवाल-लेखन किया गया और कोई माननीय सदस्य शुरू में बोल रहे थे, इसका नुक्कड़ नाटक कई तरह से कराया जाय । आपको बता दें कि 8,430 नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया पंचायतों में और जो बचा-खुचा जिला और कई इलाकों में सब काम 31 मार्च तक पूरा हो गया और आपको मालूम है इस अभियान की शुरूआत पटना से किये और पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में लोग थे, हर जिले में लोग थे और कमीट किया गया था, वहां पर और हमने उस समय कहा और जिम्मेवारी भी बताई एक-एक चीज की ओर ध्यान दीजिये, सूचना प्राप्त करने के लिये, अगर कोई दो नंबर का कारोबार कर रहा है तो कौन कर रहा है ? उसी में हमने महिलाओं का आह्वान किया कि अगर कोई नाजायज भट्ठी चलाये तो इकट्ठा हो कर उसको तोड़ दीजिये और पूरे एक्साईज डिपार्टमेंट में भी बिल्कुल एक बजाप्ता कंट्रोल रूम और उसका टेलीफोन नंबर-10 जारी किया गया है। कंट्रोल रूम में टॉल फ्री नंबर 1800 34 56268 स्थापित किया गया । सुदृढ़ीकरण कर इसके साथ 10 अलग कनेक्शन को टॉल फ्री नंबर के साथ कनेक्ट कर दिया गया । ताकि लगातार निर्बाध रूप से सूचना एकत्रित की जा सके, एकत्रित किया भी जा रहा है और त्वरित

कार्रवाई की जाय । आप जान लीजिये कि बिहार में 6 करोड़ मोबाईल फोन है, भले लोग गरीब हैं, लेकिन मोबाईल फोन है बहुत । कहीं से भी इस टॉल फ्री नंबर पर फोन करें कि देखिये हमारे यहां गड़बड़ कर रहे हैं । भई, जा करके कहने में किसी को डर लगता होगा कि कैसे कहें थाना वाले को, कहेंगे तो कुछ करेगा कि नहीं, उल्टे हम्हीं को कुछ कह देगा । अब तो आप टॉल फ्री नंबर पर बताईये और हर चीज का हिसाब-किताब रखा जायेगा । यदि किसी ने कोई जानकारी दी तो आगे की क्या कार्रवाई हुई ? एक-एक प्रबंध किया गया है । कहीं कोई करेगा गड़बड़ और यही नहीं, हमलोगों ने यह भी कर दिया कि एक-एक पुलिस वाले देंगे कि हमारे यहां गड़बड़ झाला नहीं हो रहा है । हर थाने को बताना है और जिला के एस0पी0 को बताना है कि यहां यह सब काम धंधा नहीं हो रहा है । तो थाने को भी रेस्पौंसीब्लिटी दे दी गयी है । अगर वहां गड़बड़ धंधा हो रहा है तो उन पर भी जिम्मेवारी जायेगी । इसलिये इसके लिये हर प्रकार की तैयारी की जा रही है । लोगों को प्रेरित करना, उत्साहित करना, जन जागरण और आज दरअसल पूछिये ग्रामीण अंचल, बहुत हद तक शहरी अंचल में एक वातावरण बन गया और अभी हाल में हम दो जगह गये हैं, एक अरवल में बैदराबाद और दूसरा पालीगंज हमने कहा कि 1 अप्रील से होगा और सच बताते हैं, अगर आप उसको देखते तब भरोसा होता । 1 अप्रील शराबबंदी शब्द बोलते-बोलते तालियों की जो गड़गड़ाहट हुई, हमने कहा कि आपके सहयोग के बगैर यह संभव नहीं है और आप संकल्प लीजिये कि इसमें आप पूरे तौर पर सहयोग करियेगा । अध्यक्ष महोदय, एक-एक आदमी ने चाहे वह पुरूष हो या महिला, युवा हो या बुजुर्ग सबने पूरी बुलंदी के साथ हाथ उठाया है । हमलोग यह नहीं कहते हैं मीटिंग में, हमलोग पूछ देते हैं तो इज्जत रखने के लिये लोग हाथ उठा देते हैं । वह नहीं पूरे जोश के साथ, दोनों हाथ उठा-उठा करके लोगों ने कहा कि इसको करेंगे । यह तो हमने रेस्पौंस देखा और ग्रामीण अंचल में जो स्थिति है, हर शहर में भी वातावरण बन रहा है तो हमने जो शुरू में कहा कि एक रणनीति के तहत हमलोगों ने पहले फेज में किया । गांवों में रहनेवाले गरीब आदमी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उसका पैसा शराब में बर्बाद हो रहा है । बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है । महिलायें हिंसा की शिकार हो रही हैं । उनको तो मालूम नहीं है कि शराब कितनी बुरी चीज है । सबसे पहले टारगेट करना होगा और दो नंबर का कारोबार करनेवाला कोई कम शातिर नहीं है, भयंकर लोग हैं । कभी-कभी तो हम कहते रहते हैं अधिकारियों को कि हमलोग डाल-डाल चलेंगे, तो वह पात-पात चलेगा । इसलिए एक-एक चीज पर नजर रखना है और उस दृष्टिकोण से माईक्रो लेवेल पर एकदम नीचे के स्तर पर जाकर एक-एक चीज का

विश्लेषण करके और अध्ययन करके करना है और इसमें सब का सहयोग चाहिए । तो यह एक रणनीति के तहत किया गया, पहले पूरे बिहार का वातावरण बन जायेगा, उसके बाद शहर का भी वातावरण वैसे ही बन जायेगा वरना अभी कितने लोग डिबेट करने लगते । हमलोगों को तो लागू करना था, यह काम हो गया और जब वातावरण बन गया, शहर में भी रहनेवाले अधिकांश लोगों का रूरल बैंक ग्राउंड भी है । (क्रमशः)

टर्न-19/सत्येन्द्र/30-3-16

...क्रमशः...

श्री नीतीश कुमारः उनको गांव से भी खबर मिल गयी तो शहर का भी वातावरण ऐसा बनेगा । यह तो विभरेज कॉरपोरेशन का रिटेल शॉप है इसमें तो किसी को कोई हर्जाना तो नहीं न देना पड़ेगा । जिस दिन हो गया कि अब वातावरण बन गया, अब सीधे इसको बंद करो तो रिटेल शॉप बंद । इसलिए इसको किया गया और ऐसा मत समझिये कि शहर को छूट दे दी गयी है। वातावरण इतना बन जायेगा कि पीने वाले लोग भी सोचेंगे कि भई नहीं पीना चाहिए। यह वातावरण बन जायेगा, शहर में तो बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत तरह के लोग रहकर बहुत लोग पीते हैं, गांव के आदमी को तो मालूम है नहीं कि क्या पीने का नुकसान है - लीवर सोरोसिस हो जायेगा, मर जाईयेगा, ये तो मालूम नहीं है, तो उसकी चिन्ता तो सबसे ज्यादा करनी चाहिए। शहर में जो लोग पी रहे हैं उनको बढ़िया से मालूम है कि पीने का क्या नुकसान है। वहीं पास के गांव का गरीब है वह पी रहा है तो अपने परिवार का भविष्य चौपट कर रहा है। शहर में रहने वाले को पैसा है, अगर वे पी भी रहे हैं तो उनके आर्थिक स्थिति पर कोई खास असर नहीं पड़ता है लेकिन नैतिक रूप से उनको भी इस दायरे में लाना है लेकिन एक वातावरण बन जायेगा तो पूरे वातावरण को बनने के वाद वहां भी एक स्कोप रखी है, स्वीकार्यता बढ़ती चली जायेगी और वह लागू होगा और निश्चिंत मानिये, पूर्ण मद्य निषेध होगा । पहला चरण है ग्रामीण क्षेत्र और अगले चरण में शहरी क्षेत्र । इसको सफलता मिलेगी और हम समझते हैं कि शहर के लोग भी हमारे जिम्मेवार लोग हैं। धीरे धीरे वातावरण बन जायेगा तो वहां भी बिल्कुल लागू किया जायेगा और बिहार को पूरे तौर पर शराब मुक्त हमलोग कर पायेंगे । इसलिए अब जब यह निर्णय हो गया कि हम अब शराब बंदी लागू करेंगे तो कैसे लागू करेंगे? उसके लिए करना पड़ता है कि ये जो व्यापार है- शराब का व्यापार, हमेशा नियंत्रित रहा है तो शराब का व्यापार करने की इजाजत नहीं देंगे। बनाने नहीं देंगे, व्यापार करने नहीं देंगे, दूकान चलाने नहीं देंगे तो शराब मिलेगा ही

नहीं, इससे शराब बंद हो जायेगा तो अब जब देखा हमने कि भई अगर जो इन नियमों का उल्लंघन कोई करेगा तो सजा का क्या प्रावधान है, तो हमलोगों ने देखा कि 100 साल पुराना हमलोगों का ऐक्ट है उसमें सजा का प्रावधान उतना कड़ा नहीं है तो फिर हमलोगों ने इस पर भी पूरा अध्ययन किया। 2005 में एक बार सेन्ट्रल गर्वनमेंट ने एक मॉडल ऐक्ट सर्कुलेट किया था, कुछ अन्य राज्य ने भी कुछ कठोर कानून बनाये हैं उसका अध्ययन किया और फिर इतने दिनों में जितने फैसले आयें हैं सुप्रीम कोर्ट का, सब चीजों को देखने के बाद हमलोगों के सामने जो लक्ष्य था कि इसको जब लागू करें तो भायलेट करने वालों को, उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जब हमलोगों ने हर प्रकार से इसकी समीक्षा करके, इसका अध्ययन करके ये समझ लिया कि ऐसा हम कर सकते हैं तब हमलोगें ने वैसा करने का निर्णय लिया और अब जो सजा का प्रावधान है, यह जो एक्साईज ऐक्ट का है- अमेंडमेंट ऐक्ट इस सजा के प्रावधान को बढ़ाने के लिए आया है और वो उत्पाद नीति हमारी बन गयी है उसको प्रभावकारी ढंग से लागू करने का, चूंकि उत्पाद नीति बनाना सरकार का काम है और इस मामले में कंस्टीच्यूशन भी बहुत स्पष्ट है Directive principles of state policy में स्टेट से यह अपेक्षा की गयी है वो शराब बंदी लागू करेंगे, लोगों के स्वास्थ्य का, पोषण का ध्यान देंगे। आर्टिकल 47 में यह है कि Constitutional obligation on the part of state to implement and achieve the object provided under 47 of constitution will provide about the duty of the state to raise the level of nutrition पोषण के स्तर को बढ़ाना and the standard of living जीवन स्तर को बेहतर बनाना और improve public health लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो इसका ख्याल रखना It is further provided that state shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health यह स्टेट की रिस्पौंसब्लिटी है कि इस तरह के शराब और ड्रग के प्रयोग पर वह पाबंदी लगाये । यह कंस्टीच्यूशन कहता है कि यह राज्य को करना है तब जब हमलोगों ने देखा तो उत्पाद नीति बना दी लेकिन देखा कि भाई कानून में कड़े प्रावधान होने चाहिए ताकि उसका भी असर पड़ेगा इसलिए यह कानून लाया गया है। इसमें जो कुछ प्रावधान किये गये हैं, हम देखते हैं लोग तरह-तरह का काम करता है, कोई नाजायज शराब, नकली शराब बनाकर, जहरीला शराब बनाकर बेच देगा और इससे कई लोग मर जाते हैं। पहले भी ट्रेजडी हुई है तो उसमें जो सजा का प्रावधान पहले था, वह कम था तो इसलिए

ये जो अमेंडमेंड आया है संशोधन का विधेयक जो हमलोगों ने लाया है सदन में, उसमें जो मुख्य रूप से अगर अपराध किया, कोई शराब बनाया, मिलावटी शराब बनाया जिसको पीने से लोगों की मृत्यु हो गयी तो वैसी शराब बनाने और बेचने वाले को मृत्यु दंड, उनको फांसी की सजा। अगर वैसा शराब बनाये और बेचे जिसको पीकर लोग मर गये, जिसको ट्रेजडी हमलोग कहते हैं उनके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। मिलावटी शराब पीकर गंभीर क्षति अथवा अपंग होने पर मर गये, उसके लिए उनको मृत्यु दंड। जो शराब बनाये या बेचे, अगर लोग अपंग हो गये तो वैसे शराब बनाने और बेचने वाले को उम्र कैद, लाईफ प्रीजन । अबैध शराब का व्यापार करना अथवा खरीद फरोख्त, परिवहन इत्यादि करना, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बना रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और औद्योगिक उपयोग में आने वाले स्प्रीट को मनुष्य को पिलाना, जो इंडस्ट्रीयल स्प्रीट है अल्कोहल है उसको लोगों को पिला दिया गया, नकली शराब को विदेशी शराब बनाकर बेच दिया, पिला दिया और देशी शराब को विदेशी शराब बताकर पी गया यानी कई जो संभावनाएं होती हैं उन सब लोगों को गौर कर के इस मामले में क्या दंड का प्रावधान किया गया न्यूनतम 10 साल की सजा जो उम्र कैद तक जा सकती है अधिकतम । साथ में 1 लाख रू0 से लेकर के 10 लाख रू0 तक का जुर्माना। अब इसके बाद सोच लीजिये, सार्वजनिक स्थल पर शराब पीकर, पीना और हंगामा करना, बहुत लोग बौराया रहता है पी-पा करके, तो उस हालत में न्यूनतम पांच साल की सजा, पब्लिक प्लेस पर पीकर के हंगामा करियेगा तो न्यूनतम 5 साल की सजा और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, यह कोर्ट के ऊपर है, अधिकतम 10 साल की सजा और आर्थिक दंड यानी पीकर के जो बौराये सार्वजनिक स्थल पर तो यह सजा 10 साल, इसके बाद शराब दुकान अथवा अपने परिसर, अपने कैंपस में या घर में ही, कहियेगा कि यह तो मेरा घर है लेकिन अपने घर में ही बुलाकर, शराब पीने वालों को बुलाकर के शराबियों का जमावड़ा लगाकर अगर आपने कुछ किया उल्टा पुल्टा तो 10 साल की सजा न्यूनतम और अधिकतम इसमें उम्र कैद की सजा । यह सोच लिये कि यह तो मेरा घर है, छुपा छुपौअल अगर घर में बुलाकर के पीला-उला करके और हुडदंग वाला काम करवाये तो न्यूनतम दस साल, जो बढ़कर उम्र कैद तक जा सकता है । दूसरा और बता दें, यह भी जानना चाहिए जैसे दवा की दुकान होती है, चाहे होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, निजी दवा दुकान पर अगर कोई शराब पिलायेगा, है दवा की दुकान लेकिन पीछे कोना में बनाये हुए पीने का इंतजाम, तो पीने वाले पर पांच से सात साल की सजा तथा आर्थिक दंड और पिलाने वालों को यानी दुकान वालों को जो पीछे कोलकी में बैठाकर अगर पिलाया

तो उनको 8-10 साल की सजा तथा आर्थिक दंड। यह भी देखा गया है, एक छापेमारी में पता चला कि सामने तो दवाई का दुकान खोले हुए है और पीछे वह बनाये हुए जगह, जिसमें 8-10 आदमी बैठकर पी रहा है । इसीलिए यह प्रोविजन किया गया। जान लीजिये बहुत मेहनत किया गया है,एक-एक प्रोवोजिन रखा गया है कोई चीज को नहीं छोड़ा गया है । आप देखते हैं न कि ईंटा ढुलाने के लिए, काम कराने के लिए कम उम्र के बच्चों को दारू पिला देता है ! यह सब लोगों का तजुर्बा होगा कि ज्यादा वजन उठाने के लिए, ज्यादा काम करवाने के लिए नाबालिग बच्चों को शराब लोग पिला देता है ऐसा स्वार्थी तबका भी है।

(क्रमश:)

टर्न-20/मधुप/30.3.16

...क्रमश:..

श्री नीतीश कुमार : अगर बच्चों को शराब पिलाया तो पिलाने वाले को 7-10 साल की सजा और 10 लाख रूपये का जुर्माना, अगर बच्चों को शराब पिलाया । महिलाओं और बच्चों को अगर शराब व्यवसाय में लगाये, कुछ लोग होता है कि छापेमारी होता है तो आगे कर देगा बच्चा को, आगे कर देगा महिला को । यह धंधा जो करेगा, उसको 5-7 साल की सजा और 10 लाख रूपये का जुर्माना । यह नहीं चलेगा कि किसी भी तरह से बचियेगा । यह सब तो सजा वाला हुआ, और सब में भी सजा का प्रावधान है, हम तो मोटे तौर पर बता रहे हैं । अगर अवैध शराब व्यवसाय में लिप्त हैं तो आपके परिसर में या घर में जो सामान, जो सम्पत्ति है, उन सबको सील किया जायेगा, जब्त किया जायेगा । पहले यह प्रोवीजन ही नहीं था । अगर धंधा कर रहे हैं तो पूरे कैम्पस को सील किया जायेगा, जितना सामान या संपत्ति, सबको जब्त किया जायेगा ।

इसके अलावा दूसरा पहलू भी है, अगर कोई व्यक्ति जहरीली शराब का शिकार हो गया तो उसको भी हमलोग 4 लाख रूपये का मदद करेंगे जो जहरीला शराब पीकर मर गया । पिलाने वाले पर तो इतना सजा का प्रावधान कर दिये लेकिन अगर सब चीज के बावजूद कोई गरीब-गुरबा आदमी, किसी आदमी की मौत हो जाती है तो वहाँ कानून में एक ह्यूमेनेटेरियन एप्रोच भी है । 4 लाख रूपये का उनके परिजनों को सहायता भी करेंगे और घायल लोगों को 20 हजार रूपया दिया जायेगा । तो इस प्रकार के इसके हर पहलू, यानी इसपर रोक लगाना है तो इसको इफेक्टिव होना चाहिये ।

यही नहीं, सब तरह का काम, प्रचार-प्रसार तो है ही लेकिन अगर कोई आदमी को शराब पीने की आदत हो गई तो आदत छुड़वाने के लिए काउंसेलिंग की भी जरूरत है, ट्रीटमेंट की भी जरूरत है । इसलिये हर जिले में हमलोगों ने डी-एडीक्शन सेन्टर खोलवा दिया है, इनडोर-आऊटडोर दोनों । वहाँ के लिए डॉक्टरों की ट्रेनिंग करा दी गई है, एम्स तक में भेजकर ट्रेनिंग करा दी गई है । हमलोग एक-एक पहलू पर सचेत हैं । 10 बेड का हर जिले में सेन्टर खोल दिया गया है, इनडोर और आऊटडोर सेन्टर । अगर कोई आदमी आयेगा तो उसको डी-एडीक्ट करने के लिए, शराब की लत छुड़वाने के लिए, उनको बात करके, काउंसिलिंग करके, मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट देकर, सलाह देकर, और भी जरूरत पड़ने पर उपचार करके, उस लत से उनको छुटकारा दिलाया जायेगा । सिर्फ मकसद यही नहीं है कि सख्त कानून बना दो, घोषणा कर दो, यह नहीं है । उसके हर पहलू पर गौर किया गया है । गड़बड़ करने पर सजा भी लेकिन अगर कोई आदमी पीते-पीते, अब लत हो गई उसकी, उसको भी उस आदत से छुटकारा मिले, इसके लिये मेडिकल एप्रोच भी, सब तरह से प्रयास किया जायेगा । इस तरह से हमलोगों ने कोई प्रयास और अभियान नहीं छोड़ा है । आप समझ लीजिये कि निमहांस में इसके लिए दो सप्ताह का प्रशिक्षण कराया गया और ईलाज के लिए ।

(व्यवधान)

भाई वीरेन्द्र जी, जान लीजिये कि निमहांस जो बंगलोर में है, वहाँ दो सप्ताह का प्रशिक्षण कराया गया है, जो डी-एडीक्शन सेन्टर खोला जा रहा है । वहाँ के डॉक्टरों के प्रशिक्षण के लिये, यहाँ तो पहले था नहीं, इनका ऑरियेंटेशन कराया गया है, ट्रेनिंग दिलवाया गया है । जिला स्तर पर 126 चिकित्सकों एवं 35 काउंसेलर का राज्य स्तर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण एम्स, दिल्ली के प्रशिक्षकों द्वारा कराया गया है। इसके अतिरिक्त सभी पी0एच0सी0, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिन्हित चिकित्सक, ए0एन0एम0, आशा, फेसिलिटेटर एवं काउंसिलर का प्रशिक्षण पूर्ण करा लिया गया है।

हमलोग एक दिन नहीं बैठे हैं, 26 नवम्बर को घोषणा हुई तो उसके हर पहलू पर गौर करते हुये, ताकि कोई यह नहीं कह सके कि हमलोगों का सिर्फ जोर-जबर्दस्ती है, बल्कि जन-अभियान, लोक-शिक्षण, लोगों को इस बात के लिए मोबिलाइज करना । दूसरी तरफ यदि कोई लत का शिकार हो गया तो लत उसकी छूटे, यह भी प्रयास करेंगे ।

एक बात होम्योपैथ वाले कहते हैं, सबको मालूम होगा, इधर देखा गया, कुछ यहाँ पर दवा बनाने का लाइसेंस मिला हुआ था । अब दवा बनाने का लाइसेंस

तो हमलोग नहीं देंगे, अगर मिला हुआ है तो कैंसिल हो रहा है लेकिन होम्योपैथ एक विधा है, उसकी दवा तो उपलब्ध रहनी चाहिये । उसके दवा की उपलब्धता पर कोई संकट नहीं आयेगी, चूंकि स्पिरिट का उपयोग उसमें होता है । वैसे भी लोकल मैन्यूफैक्चर्ड दवा कौन इस्तेमाल करता है होम्योपैथ में । यहाॅ पर बैठे हुये अधिकांश लोगों को बचपन से लेकर अब तक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और डॉक्टर तो मिलता ही रहा है, सबको मालूम है कि दवा बाहर की । अब यहाॅ के लोग लाइसेंस ले लिये, कई जगह पर जब छापा पड़ा है तो बहुत ऑब्जेक्शनेबुल चीजें मिली हैं । जो हमारे पास विभाग ने रिपोर्ट भेजी है, आपको मैं बताता हूॅ - दवाओं के लाइसेंसियों द्वारा लाइसेंस की आड़ में कई प्रकार के गलत कार्य करने की शिकायत प्राप्त हुई है । इस क्रम में स्वास्थ्य विभाग एवं उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त छापेमारी की गई थी। पटना में चार लाइसेंसियों के पास छापेमारी करके 3 हजार से अधिक ऐसी बोतलें पाई गई थीं जो कि औषधि अनुज्ञप्ति की शर्त्तों के विपरीत थी। उसी प्रकार आरा में छः स्थानों पर फरवरी में एवं दो स्थान पर मार्च में लाइसेंसियों के संस्थानों में छापेमारी की गई थी । इसमें 6500 से अधिक दवा की बोतलें ऐसी पाई गईं जो लाइसेंस की शर्त्तों का उल्लंघन करती हैं । सभी संबंधित लाइसेंसियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है । आज भी एक सज्जन आये थे जो पहले यहीं के सदस्य रहे हैं, होम्योपैथ के डॉक्टर हैं । हमने उनको समझा दिया, प्रिंसपल सेक्रेटरी, हेल्थ से भी बात उनकी हो गई । हमने कहा कि भारत सरकार का गाईड-लाईन है, होम्योपैथ की जो दवाएॅ हैं, उसके लिए 100 एम0एल0 से बड़ा शीशी या बोतल नहीं रखा जा सकता है । 100 एम0एल0 से ज्यादा क्षमता का बोतल-शीशी का प्रयोग आप होम्योपैथ की दवा के लिए नहीं कर सकते हैं । अगर उससे ज्यादा क्षमता का कोई बोतल-शीशी का प्रयोग कर रहे हैं तो वह नियम विपरीत है । उसमें आप नियम के उल्लंघन के आरोपी बनेंगे ।

होम्योपैथिक दवा पर कोई रोक नहीं है, बाहर से दवा लाइये, दवा का होलसेल ट्रेड भी कर सकते हैं, रिटेल शॉप भी चला सकते हैं लेकिन इस संबंध में भारत सरकार का जो गाईड-लाईन है, उसका सख्ती से पालन करना पड़ेगा कि 100 एम0एल0 से ज्यादा का बोतल या शीशी का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, उससे कम वाले में ही आपको रखना पड़ेगा और ईलाज करिये । अच्छा बताइये, किसी एक आदमी को ईलाज के लिए इतना बड़ा बोतल की जरूरत होम्योपैथ में है ? यह जो प्रचारित करने की कोशिश हो रही है कि शराबबंदी तो ठीक है लेकिन होम्योपैथ का क्या होगा ! पहले से होम्योपैथ पर जिनका यकीन है और जो होम्योपैथ चिकित्सा कराते हैं या होम्योपैथ के चिकित्सक हैं या होम्योपैथ के जो कारोबारी हैं,

उनके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा । होम्योपैथ दवा का कारोबार कर सकते हैं, एक ही शर्त्त का पालन कीजिये कि 100 एम0एल0 से ज्यादा बड़ा बोतल का प्रयोग मत करिये, क्योंकि वह करियेगा तो आप धरा जाइयेगा, उसमें कोई उपाय नहीं है । इसलिये होम्योपैथ मेडिसीन के खिलाफ या होम्योपैथ के इंटरेस्ट के खिलाफ हमलोगों का कोई कदम नहीं है । हमलोगों ने उन सब चीजों पर ध्यान रखा है । इस प्रकार से यह बहुत जरूरी है ।

हमलोगों ने पड़ोसी राज्यों के साथ भी सम्पर्क किया है, उनसे भी सहयोग की अपेक्षा की है । चेकपोस्ट बन रहे हैं, जो हमारे पॉच कंपोजीट चेकपोस्ट हैं उसके अलावे, चाहे वह विदेश का नेपाल का बोर्डर हो या दूसरे जो प्रांत हैं, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, इन सबके बोर्डर पर चेकपोस्ट । उसके अलावे जहॉ पर चेकपोस्ट नहीं है, वहॉ बैरियर का भी इंतजाम । जान लीजिये, अगर कोई स्पिरिट लेकर जा रहा है, मान लीजिये कि बाहर से आ रहा है, बिहार में तो उसका इस्तेमाल ही नहीं होगा, बिहार के बाहर जा रहा है, लेकर जाइये लेकिन जैसे ही बिहार के बोर्डर पर आयेगा तो इलेक्ट्रॉनिक लॉक होगा, जब बिहार का बोर्डर पार करने लगियेगा तो वह लॉक खुल जायेगा, यानी इस राज्य के अंदर आप नहीं कर सकते हैं । जी0पी0एस0 भी लगा दिया जायेगा और स्पिरिट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो व्हेकिल है, उस व्हेकिल में जी0पी0एस0 होगा ।

...क्रमशः...

टर्न-21/आजाद/30.03.2016

.... क्रमशः ....

श्री नीतीश कुमार : और सामान को ढोने के लिए जो व्हेकिल होगा, उसमें डिजिटल इलेक्ट्रोनिक लॉक होगा ताकि कोई दुरूपयोग नहीं कर सके । यह सब प्रावधान किया गया है और सबके लिए पैसा का भी आवंटन कर दिया गया, एक-एक की मोनेटेरिंग हो रही है। बाहर से बाहर जाने वाले को 24 घंटा में बिहार खाली करना है और अगर कहीं इधर-उधर गये तो जी0पी0एस0 से पकड़ा जाईयेगा । इसलिए यह भी नहीं है कि कोई नेशनल लेवल पर ट्रेड है, यहां से वहां जा रहा है तो उसमें हम कोई बाधा उत्पन्न कर रहे हैं । पहले से 48 घंटा किया हुआ था कि कोई भी सामान बाहर से आ रहा है और बाहर जा रहा है तो 48 घंटा में बिहार से बाहर पार कर जाईए । इस मामले में हमलोगों ने 24 घंटा का नियम निकाल दिया है । बिहार का जितना बड़ा एरिया है, उसमें 24 घंटा बहुत है । अगर गाड़ी भी खराब हो गयी है तो उसको बना लेने का उपाय है । जाम भी इतना बड़ा कभी नहीं लगेगा कि 24

घंटा से ज्यादा बीतेगा । इसलिए सब पहलू को गौर किया गया है । इसमें पेट्रोलिंग होगी, नदी मार्ग से कोई धंधा करेंगे तो उनके लिए बोट पेट्रोलिंग होगी । सी0सी0टी0वी0 कैमरा के बारे में हम बता ही दिये हैं, सब चेकपोस्ट पर लगेगा । रेलवे के डिब्बों के माध्यम से इधर-उधर नहीं कर सके, वहां पर भी जॉच-पड़ताल, रेलवे ट्रैक के अगल-बगल कोई धंधा नहीं करे, तो इसके लिए भी दो वाहन का पेट्रोलिंग, यह सब उपाय किया गया है । ऐसा मत समझिए कि सबके लिए जिम्मेवारी तय करके सब इन्तजाम किया जा चुका है । कंट्रोल रूम के बारे में हमने कह ही दिया और बिहार में जो छोआ से बनता था स्प्रीट तो उसको हमलोगों ने बन्द कर दिया और कहा कि आप इथनॉल बनाईए । फरवरी महीने में ही हमलोगों ने उनको इथनॉल बनाने की अनुज्ञप्ति दे दी कि आप इथनॉल बनाईए । इथनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है, 10 प्रतिशत तक पेट्रोल में इथनॉल को मिलना है, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है पूरे देश के लिए । हमारे यहां तो उतना इथनॉल भी नहीं है कि पेट्रोल में मिलाया जा सके । प्रमोट किया जा रहा है । इनवॉयरमेंट के दृष्टिकोण से, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप इथनॉल पेट्रोल में मिलाईए तो बिहार में जितना होता है छोआ और उससे जो बनता था स्प्रीट, उतने छोआ से इथनॉल बन जायेगा, वह भी हमारे यहां के लिए पर्याप्त नहीं है । इसलिए सबको कहा गया है और सहर्ष लोगों ने स्वीकार किया । इसके अलावे विदेशी शराब, बीयर के बोतलों पर होलोग्राम, एक्साईज एडहेसिव लेबल लगाने की कार्रवाई की जा रही है । नासिक सिक्यूरिटी प्रेस से अनुबंध किया गया है । होलोग्राम में सिक्यूरिटी फीचर की व्यवस्था की गई है जिससे कि कोई कॉपी नहीं कर सके । यह सब उपाय कर रहे हैं । ऐसा नहीं है कि विदेशी शराब का अगर दुकान चलेगी 650, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कहीं से माल ला दीजिए । हर चीज रहेगी, एक-एक बिक रहा है, उसपर होलोग्राम भी रहेगा । हरेक प्रीकॉशन लेकर सब तरह से उपाय किया गया है । इस मामले में काफी पहले से ही सक्रियता हो रही है सब जगह । अब जो 31 मार्च तक बच जायेगा देशी, मशालेदार उसको डिस्ट्राय कर देना है, कमप्लीट डिस्ट्रक्शन । अब यहां स्प्रीट से कोई काम नहीं होगा । लाईए बाहर से, पेन्ट का इस्तेमाल करना है, बाहर से लाईए । जो कुछ है बाहर से लाईए । चूँकि हमलोग कोई भी लूप-होल नहीं छोड़ना चाहते हैं । अगर एक भी लूप-होल होगा तो उसके माध्यम से लोग आ जायेंगे और उसको नियंत्रित करना कठिन होगा । यह निर्णय कौंशस डिसीजन है । स्प्रीट से संबंधित कोई उत्पादन का काम भी हमलोग नहीं करायेंगे ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो सके । इसलिए जन-जागरण, कठोर कानून और हर पहलू पर गौर करते हुए यह कार्रवाई

की जा रही है । हम समझते हैं कि जिस प्रकार से जनता में उत्साह का वातावरण है, खासकर महिलाओं में, बच्चों में, युवाओं में और पुरूषों में भी, अधिकांश पुरूषों में भी कुछ अपवाद हो सकते हैं, अपवाद वाले लोगों को हमलोग डि-एडिक्शन और सब तरह से समझा कर, बुझाकर छुड़वाना चाहते हैं । इसलिए अब जो काम हो रहा है, इसमें सबका सहयोग जरूरी है । देखिए इस विषय पर एकमत होना बहुत जरूरी है । अगर हम सबलोग एकमत हो जायेंगे तो यह शराबबंदी पूरी तरह से लागू होगी । जैसा कि प्रस्ताव आया है, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । बिल को पास करके यही पर संकल्प दिला दिया जाय । आज ही संकल्प दिला दीजिए । अगर किन्हीं को आदत ही थी पहले से कभी कभार या रेगुलर तो अब उसको छोड़ दीजिए । डि-एडिक्शन सेंटर खोल दिया है । इसलिए अब इसको एकमत होकर काम करना होगा ।

अध्यक्ष महोदय, Charity begins at home. अगर यहां से हम कानून बना रहे हैं तो हमको यहीं से शुरूआत करनी होगी और लेना चाहिए । उससे एक नैतिक बल पैदा होता है । यकीन मानिए राजनैतिक दल जिस प्रकार से इसके पक्ष में सब हैं और हाऊस एकमत है तो ऐसी स्थिति में अगर यहां से एकजुटता का संदेश जाता है और संकल्प जाता है कि हम अगर पीये तो पीये, अब नहीं पीयेंगे, छोड़ देंगे । ठीक ही कहा अध्यक्ष महोदय, मैं सुन रहा था । एक अप्रील से किन्हीं ने कहा तो इन्होंने कहा कि आप एकाध-दो दिनों का मुरव्वत देना चाहते हैं । कुछ नहीं, यह चीजें लागू होती है तो मन से लागू करना चाहिए । अगर कानून बनाया है तो यह हमारी नैतिकता है कि हम भी संकल्प लें कि हम न पीयेंगे और न किसी को पीने के लिए प्रेरित करेंगे । यह संकल्प जरूर ले लीजिए । सबका सहयोग इस विषय पर मिले । माननीय मंत्री जी इस विधेयक के अन्य पहलू के संबंध में अपना मंतव्य प्रकट करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी दरख्वास्त करूँगा कि यह विधेयक ऐसा है, जिसको सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए । बहुत,बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अभी आप सबों ने कितनी एकजुटता से इस बात पर चर्चा की है, अब सरकार का संक्षिप्त उत्तर और माननीय मंत्री का अनुरोध सुन लीजिए, इस विधेयक को आप सब चाहेंगे तो सर्वसम्मति से पारित करेंगे ।

माननीय मंत्री ।

श्री अब्दुल जलील मस्तान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

‘‘बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक,2016 स्वीकृत हो । ’’

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : हमने तो कुछ बातों को अपने इन्टरवेंशन में चर्चा किया, जो मंत्री जी का वक्तव्य है, उसमें हर पहलू कवर्ड है ।

श्री अब्दुल जलील मस्तान : मेरा लिखित है महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय जो लिखित वक्तव्य दे रहे हैं, वह कार्यवाही का हिस्सा बनेगा।

(परिशिष्ट 1 एवं 2 द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक,2016 स्वीकृत हो । ''

श्री प्रेम कुमार : सर्वसम्मति से इसको ले लिया जाय सर ।

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी, लगता है कि सरकार की यह नीति जरूर सफल होगी क्योंकि मैंने तो सिर्फ हां के पक्ष में पूछा था, अभी ना के पक्ष में पूछना बाकी ही था, सब लोग कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से पास होना चाहिए ।

मैं फिर से पूछता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक,2016 स्वीकृत हो''

श्री नीतीश कुमार : ना के पक्ष में एक भी नहीं इसलिये सर्वसम्मत ।

अध्यक्ष : ना के पक्ष में किन्हीं माननीय सदस्य ने अपना मत नहीं रखा है । इसलिये प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत हुआ ।

बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक,2016 सर्वसम्मत स्वीकृत हुआ ।

टर्न-22/अंजनी/दि0 30.03.16

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अभी आपने सरकार की ओर से, सत्ता पक्ष और विपक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, सबने शराबबंदी के पक्ष में इसके अच्छे प्रभाव की चर्चा की है । इसके संबंध में काउंसिलिंग की भी बात हुई है, अगर इसमें कोई जुड़े हों तो उनको अलग करने की भी बात हुई है । फिर भी अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसके दंड प्रावधानों की भी चर्चा हुई है तो इस सब को देखते हुए इन सब बातों के मद्देनजर संकल्प कराने की आवश्यकता है ।

अगर सभी माननीय सदस्य सहमत हों तो हम आसन की तरफ से प्रस्ताव आपके बीच रखना चाहते हैं ।

(सदन की सहमति हुई)

अध्यक्ष : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''इस सभा के हम सभी माननीय सदस्य संकल्प लेते हैं कि शराबबंदी के जिस विधेयक को हमने आज सर्वसम्मति से पारित किया है, आनेवाले समय में हमारा आचरण इसके अनुरूप होगा । हम खुद तो शराब नहीं ही पीयेंगे, दूसरों को भी इस नीति के अनुरूप शराब छोड़ने की सलाह देंगे, उनको इस दिशा में प्रेरित करेंगे । शराब पीनेवालों को शराब की लत से अलग करने के लिए सरकार ने जो प्रावधान किये, डी-एडिक्शन सेंटर की स्थापना से लेकर जो नीतियां बनायी हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए उनको भी हम शराब से अलग करेंगे । अगर आप सभी को यह संकल्प मंजूर है और यह संकल्प आपकी सहमति से पारित हो तो आप सभी हां कहेंगे ।

जो इस संकल्प के पक्ष में हैं, वे सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो जायें । हमको भी खड़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री नीतीश कुमार : खड़े हो जाइये, यही ठीक रहेगा ।

(माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो गये और सबों के द्वारा शराब छोड़ने एवं छुड़वाने का संकल्प लिया गया)

अध्यक्ष : आज पूरे सदन में इस ऐतिहासिक विधेयक को हमने सर्वसम्मति से पारित किया और हमने सर्वसम्मति से संकल्प लिया है कि हम खुद शराब नहीं पियेंगे । जो सदन के बाहर पीने वाले लोग हैं, उनको इस लत से अलग करने की हम पूरी ईमानदारी से भरपूर कोशिश करेंगे और सरकार की इस नीति को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग करेंगे ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर विधेयक,2016

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब बिहार मूल्यवर्द्धित कर विधेयक,2016 लिया जायेगा । माननीय प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव :महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''बिहार मूल्यवर्द्धित कर विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''बिहार मूल्यवर्द्धित कर विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''बिहार मूल्यवर्द्धित कर विधेयक, 2016 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् ही विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना प्रस्ताव मूभ करेंगे या वापस लेंगे?

श्री संजय सरावगी : महोदय, मूभ करेंगे ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''बिहार मूल्यवर्द्धित कर विधेयक, 2016 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।''

अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है बिहार मूल्यवर्द्धित कर विधेयक, 2016, इसके उद्देश्य एवं हेतु में दिया गया है कि युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है । अध्यक्ष महोदय, युक्तिसंगत उसे कहते हैं, अगल-बगल के राज्यों में अगर इस प्रकार का कुछ हो लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उद्देश्य एवं हेतु में जो शब्द लिखा गया है, वह सरासर असत्य है । वह असत्य इसलिए है कि साढ़े 13 प्रतिशत् को आप साढ़े

14 प्रतिशत् कर रहे हैं और देश के किसी भी राज्य में साढ़े 14 प्रतिशत् नहीं है । यह विधेयक जनविरोधी है, गरीबविरोधी है एवं महंगाई को बढ़ानेवाला विधेयक है । रोजमर्रा की वस्तुयें टूथपेस्ट, ब्रश, तेल, साबुन, जिसकाा गरीब लोग उपयोग करते हैं, खाने-पीने की वस्तुयें, 600 प्रकार की वस्तुओं को महंगा कर दिया गया है पूरे बिहार में, तो इससे बिहार में महंगाई बढेगी और रोजमर्रा की जो छोटी-छोटी वस्तुयें हैं, वह महंगी हो जायेगी । पेट्रोलियम पदार्थों में 20 से 30 प्रतिशत् जो अधिभार लगाया गया है । सरकार का कहना है कि इससे लोगों पर इसका अधिभार नहीं पड़ेगा ? कोई भी अधिभार बढ़ेगा या टैक्स बढ़ेगा तो वह सीधे-सीधे घुमा-फिराकर जनता के पास आयेगा । इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसके सिद्धांत पर बहस करने की चुनौती दी है और निश्चित रूप से इस विधेयक को सरकार को नहीं लाना चाहिए । एक तरफ सरकार कहती है कि हम गरीब के समर्थक हैं, सरकार के कथनी और करनी में अन्तर है । यह विधेयक गरीबविरोधी है, जनविरोधी है, इसलिए अध्यक्ष महोदय इसके सिद्धांत पर बहस करने की मैंने चुनौती दी है ।

अध्यक्ष : विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श के बाद इसे जनमत जानने का प्रस्ताव इसके बाद लिया जायेगा । माननीय सदस्य श्री रविन्द्र यादव और श्री संजीव चौरसिया द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचारित करने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रविन्द्र यादव, अपना प्रस्ताव मूभ करेंगे या वापस लेंगे ?

(अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री संजीव चौरसिया, अपना प्रस्ताव मूभ करेंगे या वापस लेंगे ?

टर्न-23/शंभु/30.0316

श्री संजीव चौरसिया : महोदय, मूव करते हैं। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार मूल्य वर्द्धित कर विधेयक, 2016 दिनांक 30 अप्रील, 2016 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो।''

अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर यह जो वृद्धि की गयी है गरीबों को तोड़नेवाला है ही और इन्सपेक्टर राज कायम करने का सबसे बड़ा यह मापदंड होनेवाला है- कपड़े ऐसी वस्तु पर पांच सौ रूपये तक जो विषय बताये गये हैं और वास्तविकता के आधार पर देखा जाय तो मूल्यवृद्धि के पूरे इन्फ्लेशन जो इन्डेक्स के आधार पर देखा जायेगा तो 5 सौ रूपया का महत्व उस प्रकार से नहीं है- गांव के ग्रामीण

परिवेश में एक कपड़े का दूकानदार अगर अपना दूकान चलाता है तो इन्सपेक्टर राज का बढ़ावा इस प्रकार बढ़ जायेगा कि ग्रामीण दूकानदार चलाने वाले को रजिस्टर मेनटेन करना पड़ेगा और पूरा इन्सपेक्टर राज का वर्चस्व चलेगा। साथ ही साथ जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं सबपर वृद्धि हुई है और 6 सौ वृद्धि इस प्रकार से हुई है जैसे गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकार्ड में वर्तमान सरकार चाहती है कि इतने करों का हमने वृद्धि की यह अपने आप में कीर्तिमान पूरे भारत के इतिहास में है। इतनी बड़ी कर वृद्धि कहीं भी किसी भी देश में किसी वस्तुओं में नहीं हुआ है। वैट का जो प्रावधान किया गया है जो इन्ट्री है एडवांस टैक्स के आधार पर किया गया है, यह सबसे बड़ा आपत्तिजनक है। मेरा यह कहना है कि सबसे बड़ा इसमें है कि जनमत संग्रह कराना चाहिए, अन्य विषय पर जनमत संग्रह अलग अलग विषय पर कराया गया है, पर इस विषय पर जितना वास्तविकता से जुड़े, जमीन से जुड़े हुए, गरीब से जुड़े हुए हरेक वस्तुओं पर इतने बड़े पैमाने पर खाद्यान्न सामग्री जो नैतिकता के है आधार पर गरीब जनता के बीच में खाद्यान्न, कपड़े, आदि वस्तुओं पर भरमार अलग अलग प्रकार से है, सबों में जिस प्रकार से टैक्स की वृद्धि हुई है यह अपने आप में ऐतिहासिक टैक्स वृद्धि है, शायद भविष्य में सरकार चाहती ही नहीं है इतना वृद्धि कर दो कि भविष्य में वृद्धि का स्कोप रहे ही नहीं। वृद्धि का प्रकार अलग होना चाहिए, इसमें जनमत संग्रह करना चाहिए- जैसे अन्य प्रकार से होते हैं बिजली बिल से लेकर अन्य प्रकार के होते हैं, निश्चित रूप से इसमें जनमत संग्रह कराने का प्रावधान करना चाहिए।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार मूल्य वर्द्धित कर विधेयक, 2016 दिनांक 30 अप्रील, 2016 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो।''

''यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार मूल्य वर्द्धित कर विधेयक, 2016 पर विचार हो।''

''प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।''

अध्यक्ष : अब मैं खण्डशः लेता हूं। खंड-2 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य संजय सरावगी अपना संशोधन मूव करेंगे या वापस लेंगे ?

श्री संजय सरावगी : मूव करेंगे। मैं प्रस्ताव करता हूँ :

''कि विधेयक के खण्ड-2 को विलोपित किया जाय।''

अध्यक्ष महोदय, 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत अधिभार कर दिया जा रहा है। एक तरफ राज्य सरकार कहती है कि भारत सरकार पेट्रोलियम पदार्थों में कर नहीं घटा रही है और दूसरी तरफ राज्य सरकार अधिभार बढ़ा रही है और मैं जानता हूँ माननीय मंत्री जी कहनेवाले हैं जवाब में कि 20 से 30 होगा तो आम जनता पर इसके कर का बोझ नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा महोदय ? कोई भी आप डायरेक्ट लगाइये कि इन्डाइरेक्ट रूप से लगाइये, घुमाफिराकर टैक्स अधिभार आम जनता पर ही पड़नेवाला है। इसीलिए इसको विलोपित किया जाय, जो सरकार का प्रस्ताव है कि 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत किया जाय।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक के खण्ड-2 को विलोपित किया जाय।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : खण्ड-3 में भी एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, अपना संशोधन मूव करेंगे या वापस लेंगे ?

श्री संजय सरावगी : मूव करेंगे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक के खण्ड-3 को विलोपित किया जाय।"

महोदय, देश में कहीं भी रोजमर्रा की वस्तुओं पर साढ़े 14 परसेंट टैक्स नहीं है। इस श्रेणी में सरकार का प्रस्ताव है कि साढ़े 13 प्रतिशत से साढ़े 14 प्रतिशत कर दिया जाय, देश में कहीं नहीं है। आप उद्‌देश्य और हेतु में कहते हैं कि हम युक्तिसंगत बना रहे हैं। देश में कहीं साढ़े 14 प्रतिशात नहीं है तो आप कौन सा युक्तिसंगत बना रहे हैं। यह महंगाई को बढ़ायेगा और आम जनता को इससे नुकसान होगा। 6 सौ, साढ़े 6 से उपर की वस्तुओं पर आप टैक्स वृद्धि कर रहे हैं, आम गरीब जनता को इसकी मार सहनी पड़ेगी, रोजमर्रा की वस्तु है न! हम ब्रस करते हैं, टूथ ब्रश, पेस्ट, साबुन और सर में लगाने वाला तेल और जो भी एफ0एम0सी0जी0 आइटम है, सभी आइटमों पर सरकार टैक्स बढ़ा रही है। यह कैसी सरकार है, जन विरोधी, गरीब विरोधी, राज्य विरोधी इसलिए महोदय, मैं सरकार से कहता हूँ कि इसको प्रतिष्ठा के रूप में नहीं लें, इसको समझें, गरीब की आवाज, इसलिए सत्तापक्ष से कोई प्रस्ताव ही आ गया तो इसको पारित हो जाना चाहिए। इसलिए

सरकार शक्ति का दुरूपयोग नहीं करे और इसको विलोपित करे। यही मेरा प्रस्ताव है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक के खण्ड-3 को विलोपित किया जाय।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : खण्ड-4 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना संशोधन मूव करेंगे या वापस लेंगे ?

श्री संजय सरावगी : मूव करेंगे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक के खण्ड-4 में प्रस्तावित संशोधन के दूसरी पंक्ति के शब्द समूह साठ दिन के स्थान पर शब्द समूह तीस दिन प्रतिस्थापित किया जाय।"

महोदय, व्यापारी अगर ज्यादा पैसा दे देता है तो नियम है कि 90 दिन में रिफंड किया जाय, जबकि मैं चुनौती देता हूँ सरकार को कोई सरकार रिफंड नहीं करती है और सब्जबाग दिखाने के लिए 60 दिन ले आये। मेरा कहना है कि इसको 60 दिन के जगह पर 30 दिन किया जाय। 30 दिन के साथ साथ यह भी किया जाय कि जो पदाधिकारी 30 दिन में रिफंड नहीं करते हैं उस पदाधिकारी पर कार्रवाई हो और साथ साथ इसको ऑनलाइन कर दे कि 30 दिन के अंदर जिसका रिफंड है उसकी जॉच करके ऑनलाइन उसका रिफंड कर दे। जब सरकार ऑनलाइन भुगतान लेती है, सब चीज पेपरलेस हो रहा है तो क्यों नहीं सरकार इस रिफंड को ऑनलाइन करती है। रिफंड को ऑनलाइन करे और उन पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई करे जो पदाधिकारी समय सीमा के अंदर व्यापारी जो ज्यादा पैसा देता है उसको यदि रिफंड नहीं करते हैं तो उस पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि यह बहुत अच्छी बात है कि आप फाइन लेते हैं व्यापारियों से, अगर व्यापारी विलंब से टैक्स देता है तो सूद के साथ फाइन भी लेते हैं। महोदय, व्यापारी का पैसा पड़ा हुआ है, आप उसको रिफंड नहीं कर रहे हैं तो पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो। इसलिए सरकार को यह मान लेना चाहिए, इसको प्रतिष्ठा नहीं बनाना चाहिए।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

''कि विधेयक के खण्ड-4 में प्रस्तावित संशोधन के दूसरी पंक्ति के शब्द समूह साठ दिन के स्थान पर शब्द समूह तीस दिन प्रतिस्थापित किया जाय।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खण्ड-4 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-4 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : खण्ड-5 में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खण्ड-5 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-5 इस विधेयक का अंग बना।

टर्न-24/अशोक/30.03.2016

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : अब मैं स्वीकृति का प्रस्ताव लेता हूँ । माननीय प्रभारी मंत्री ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"बिहार मूल्यवर्द्धित कर विधेयक, 2016" स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : अगर कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हों ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, राज्य सरकार ने बिहार मूल्यवद्धित कर विधेयक, 2016 को लाया है, और पहले से ही यह प्रावधान था डिजल, पैट्रौल में 20 प्रतिशत का अधिभार लगाया जा रहा था और सरकार एक-ब-एक बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने जा रही है । इसका महोदय, पूरे राज्य के सभी वर्गो पर, खास करके गरीब वर्ग पर इसका व्यापक असर होगा । एक ओर समय-समय पर राज्य सरकार कहती है कि केन्द्र सरकार बढ़ा रही है, इससे महोदय मैसेज जा रहा है और सरकार के इस निर्णय से महंगाई बढ़ेगी । वैसे भी बिहार पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, इस तरह से एक-ब-एक 20 प्रतिशत पहले से लागू था अधिभार, एक-ब-एक 30 प्रतिशत लाने का क्या औचित्य है महोदय, इसका काफी प्रभाव पड़ेगा और इससे पूरे राज्य की जनता प्रभावित होगी । साथ ही साथ 600 वस्तुओं पर जो आम जनता की रोजमर्रा की वस्तुयें हैं उन पर भी इन्होंने साढ़े 13 प्रतिशत से बढ़ाकर साढ़े 14 प्रतिशत करने का काम किया है । बिहर के पड़ोसी के जो राज्य हैं, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड-इन तमाम जगहों पर कहीं भी इतना टैक्स नहीं है, बिहार में पहली बार महोदय इस तरह से राज्य के उपभोक्ताओं पर इस टैक्स को बढ़ाकर के और महंगाई सरकार बढ़ाना चाहती है । और लास्ट में जो विषय है महोदय, जो वापसी करना है व्यवसायिओं को, उस वापसी के संबंध में माननीय सदस्य श्री सरावगी जी ने कहा, वापसी का प्रावधान साठ दिन का किया गया है महोदय, उसको घटा कर तीस दिन किया जाय और सारी बातों को सरकार ने विधेयक में लाई है, उसका हम विरोध करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि इन सारे प्रस्तावों को सरकार वापस ले ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा नेता विरोधी दल का, अच्छा जिक्र करने का उन्होंने काम किया । महोदय, अन्य जो अनस्पेसिफायड वस्तुयें हैं, उसका जिक्र कर रहे थे कि किसी राज्य में नहीं है- मैं वहीं से शुरू करता हूँ । इसको महोदय साढ़े 13 प्रतिशत से बढ़ाकर साढ़े चौदह प्रतिशत किया गया है । पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल

में साढ़े चौदह प्रतिशत पहले से है और बगल में झारखण्ड में भी चौदह प्रतिशत है और डिजल, पैट्रौल पर पांच बार भारत सरकार ने बढ़ाया, अगर भारत सरकार घटा दे तो हमलोग भी घटावेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री प्रेम कुमार : लगातार हमलोगों ने डिजल एवं पैट्रोल में कमाया है रेट ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : ठीक है । महोदय, एक तरफ हमारे बायदे हैं, पांच घंटे में कैपिटल तक आने के लिए सड़को का निर्माण । उसके मैन्टेनेन्स की भी पॉलिसी तो स्वभाविक तौर से गाड़ी में जो डिजल एवं पैट्रोल का यूज करते हैं, उसकी क्षमता का विस्तार हो रहा है, डिजल का खपत कम हो रहा है इसलिए आपलोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, कम्पनियों से हम लेंगे, हम रिटेलर्स से नहीं लेने जा रहे हैं। कम्पनियों से बढ़ाकर ये लेने जा रहे है, हम उनसे लेने जा रहे हैं पैट्रौल पम्प पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है तो महोदय मुख्य रूप से, कोई भी सरकार हो, मैं इसकी आलोचना भी नहीं करता, भारत सरकार ने भी समय समय पर टैक्स बढ़ाने का, हर सरकार टैक्स को टाईम टू टाईम बढ़ाने का प्रयास इसलिए करती है ताकि गराबों के हित में काम ज्यादा हो । अब गरीबों का जिक्र किया गया महोदय, बच्चियों को कपड़ा देते हैं, उनको साईकिल देते हैं, 500 रूपया मीटर से अधिक कपड़ा वाले लोग और दो हजार से अधिक की साड़ी पहनने वाले लोग को अगर पांच प्रतिशत लग जाता है तो कौन सा तूफान आ रहा है कि प्रेम बाबू इतना परेशान हो रहे हैं । और कर चोरी रोका जाय इसके लिए इफेक्टिभ अरेंजमेंट किया जा रहा है और नब्बे दिन से घटाकर साठ दिन तो किया जा रहा है, पूरा नई टेकनौलॉजी को यूज करके गारंटी हम देते हैं कि किसी के साथ कोई भेद-भाव नहीं किया जायेगा और द्रुत गति से इसको इफेक्टिभली लागू किया जायेगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है...

श्री प्रेम कुमार : महोदय,महोदय । कपड़े पर माननीय मंत्री महोदय ने कहा है । बिहार के बगल में, पड़ोसी के किसी राज्य में कपड़ा पर टैक्स नहीं है । बिहार पहला राज्य है । व्यापारियों ने कहा कि हम टैक्स देने से पीछे नहीं हट रहे हैं, हम सरकार को टैक्स देना चाहते हैं, इसके बिना चलेगी नहीं । लेकिन उनको डर इस बात का है कि बिहार में फिर से इन्सपेक्टर राज आयेगा, अधिकारी जायेंगे, व्यवसायिओं को तंग करेंगे । महोदय, बगहा दो दिन पहले बंद था और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जिस तहर से पूरे बिहार में उत्पात मचाया जा रहा है....

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, सरकार की ओर से गारन्टी है, अगर टेलिफोन पर भी सूचना मिलेगी कि कोई ऑफिसार इन्स्पेक्टर राज स्थापित कर रहा है तो उसे बख्शा नहीं जायेगा ।

श्री प्रेम कुमार : बगहा बंद है महोदय और बगहा इसलिए बंद हुआ, अधिकारी मनमानी कर रहे थे । महोदय, बगहा इसलिए बंद हुआ वहां जो वाणिज्य कर के पदाधिकारी थे, मनमानी अवैध वसूली कर रहे थे, व्यवसायिओं को कह रहे थे टारगेट पूरा करने के लिए, एडभांस टैक्स लेने की बात कह रहे थे, पूरा बंद रहा महोदय । सरकार वहां

कार्रवाई करे । बगहा वाली घटना में माननीय मंत्री को कहना चाहता हूॅं कि आप वहां कार्रवाई कराइये।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार मूल्यवर्द्धित कर विधेयक, 2016 " स्वीकृत हो ।''

(घंटी)

टर्न:25-30-03-2016-ज्योति

अध्यक्ष : मैं आपके सामने विचाराधीन प्रश्न को एक बार फिर से रखता हूॅं । इसके पूर्व सदन की सहमति से आज के लिए निर्धारित कार्यक्रम के समाप्त होने तक सदन की अवधि विस्तारित की जाती है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार मूल्यवर्द्धित कर विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।''

इस प्रस्ताव के पक्ष में जो माननीय सदस्य हैं वे अपनी जगह पर खड़े हो जांय ।

(गिनती की गयी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब अपनी सीट पर बैठ जांय ।

इस प्रस्ताव के विपक्ष में जो माननीय सदस्य हैं वे अपनी जगह पर खड़े हो जांय ।

(गिनती की गयी)

खड़े होकर मतदान का परिणाम

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, स्वीकृति के प्रस्ताव पर खड़े होकर जो मतदान हुआ है उसका परिणाम निम्न है :

''हॉं '' के पक्ष में 105,

''ना '' के पक्ष में 37

अत: माननीय सदस्यगण, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर विधेयक, 2016 स्वीकृत हुआ ।

<u>'' बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक,2016''</u>

श्री कपिलदेव कामत :अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री कपिलदेव कामत :महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

श्री कपिलदेव कामत :महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार पंचायत राज(संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार हो ।''

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टर्न-26/विजय/30.03.16

अध्यक्ष: अब मैं खंडश: लेता हूं ।

खंड-2 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी अपना संशोधन मूव करेंगे या वापस लेगें ?

श्री संजय सरावगी: मूव करेंगे ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन के बाद निम्न परन्तुक जोड़ा जाय-

"परन्तु चुनाव जीतने के छ: माह के अन्दर शौचालय बनाना अनिवार्य होगा।"

महोदय, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की मंशा है कि घर घर में शौचालय बने । जन प्रतिनिधि जीतकर आने वाले हैं वार्ड के अंदर आने वाले हैं, पंच मेम्बर आने वाले हैं सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद लाखों की संख्या में जन प्रतिनिधि जीतकर आने वाले हैं । और आपने जो चुनाव के समय शौचालय बनाना अनिवार्य था उसको विलोपित कर दिया ठीक है हम इसका समर्थन

करते हैं कि चुनाव नहीं रोका जाय लेकिन ये जन प्रतिनिधि पूरे बिहार को संदेश देने वाले हैं । अगर वे जीत जाते हैं तो मेरा यह प्रस्ताव है कि जीतने के छः महीना के अंदर उनको शौचालय बनाना अनिवार्य होगा । यह निश्चित रूप से एक व्यापक संदेश जाएगा जो दस हजार, एक हजार, पांच हजार जन प्रतिनिधि होंगे अगर वो शौचालय बनवायेंगे तो पूरे राज्य में यह संदेश जाएगा कि नहीं हमारे जन प्रतिनिधि शौचालय बनाये तो हमलोग भी शौचालय बनाना चाहते हैं । इसलिए यह बिहार के हित में है, स्वच्छता के हित में है, और बिहार सरकार और केन्द्र सरकार का जो उद्येश्य है कि घर घर में शौचालय बनेगा इसीलिये इस प्रस्ताव को सरकार को मान लेना चाहिए कि चुनाव जीतने के छः माह के अंदर शौचालय बनाना अनिवार्य होगा। इसको प्रतिष्ठा का इसू मत बनाइये मंत्री जी । इसको मान लीजिये और इसको पूरे बिहार में एक अच्छा संदेश जाएगा ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन के बाद निम्न परन्तुक जोड़ा जाय-

" परन्तु चुनाव जीतने के छः माह के अन्दर शौचालय बनाना अनिवार्य होगा ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्षः खंड-3 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

''खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री,पंचायती राज ।

श्री कपिलदेव कामत: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बिहार पंचायत राज (संशोधन)विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।"

अध्यक्ष: कोई और माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ?

श्री प्रेम कुमार: महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक,2016 लाया है । हम कहना चाहते हैं महोदय कि माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश में अभियान चल रहा है । बिहार में लगभग करोड़ों परिवार ऐसे हैं जहां का न होना काफी चिंता का विषय है । आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना है सरकार भी चाहती है और सरकार ने लक्ष्य बनाया है कि पांच वर्षो के अंदर में करेंगे कि पूरे राज्य के सभी घरों को गांव शहर सभी शौचालय का निर्माण कराया जाएगा । तो जो संशोधन महोदय लाया गया है हमलोगों का आग्रह है इसको स्वीकार करेंगे कम से कम सरकार एक शर्त्त तो लगा दे कि छ: महीने के बाद चुनाव जीतने के बाद शौचालय बनायेंगे तो उससे गति मिलेगी और उससे एक अच्छा लाभ होगा एक अच्छा माहौल बनेगा । इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि सरकार इस पर विचार करे इन बातों को जोड़ने का काम करे ।

(व्यवधान)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव: एक बात महोदय मैं कहना चाहता हूं कि बड़े व्यापारियों के पक्ष में ये खड़े हो गए वोट करवा दिया । लेकिन पिछड़े और गरीब जिसको अभी वासगीत की भी जमीन नहीं है उसके लिए विधेयक लाया गया उसके विरोधी ये लोग हैं ।

श्री प्रेम कुमार: गरीब विरोधी नहीं हैं । कोई विरोधी नहीं है । गरीबों के साथ हैं।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री कपिलदेव कामत: अध्यक्ष महोदय, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-136 (1) खंड (ट) में यह प्रावधान किया गया है कि पंचायत निर्वाचन, 2016 में अम्यर्थी बनने हेतु अभ्यर्थी के वैयक्तिक परिवार में 01 जनवरी, 2016 तक एक शौचालय का होना अनिवार्य है । सरकार को विभिन्न श्रोतों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि पंचायत निर्वाचन का अभ्यर्थी बनने हेतु अभ्यर्थी के वैयक्तिक परिवार में शौचालय की उक्त अनिवार्यता रखे जाने से कमजोर वर्गो विशेषत: अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गो के ऐसे लोग, जिनके पास शौचालय बनाने हेतु न तो भूमि उपलब्ध है और न ही साधन, के पंचायत निर्वाचन में अभ्यर्थी बनने से वंचित रह जाने की संभावना है। अत: व्यापक लोकहित में पंचायत निर्वाचन लड़ने हेतु उक्त अनिवार्यता को समाप्त किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

''बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण । आज दिनांक 30 मार्च,2016 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-32 (बत्तीस) है अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण । अब शोक प्रकाश होगा ।

टर्न-27/राजेश/30.3.16

<u>शोक-प्रकाश</u>

<u>स्वर्गीय कृष्णनन्दन प्रसाद सिंह</u>

अध्यक्ष:- बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री कृष्णनन्दन प्रसाद सिंह का निधन दिनांक 18 मार्च, 2016 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 68 वर्ष की थी।

स्वर्गीय सिंह अरवल जिला के अरवल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980, 1985 एवं 1990 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे कर्मठ, लोकप्रिय एवं मिलनसार स्वभाव के थे। गरीबों, शोषितों एवं पिछड़ों के उत्थान के लिए संघर्षरत रहा करते थे। हम उनके निधन से दु:खी हैं।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

स्वर्गीय लाल मुनि चौबे

अध्यक्ष:- बिहार विधान सभा एवं लोक सभा के पूर्व सदस्य तथा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री लाल मुनि चौबे का निधन दिनांक 26 मार्च, 2016 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 74 वर्ष की थी।

स्वर्गीय चौबे रोहतास जिला के चैनपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1972, 1977, 1980 एवं 1990 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बक्सर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1996, 1998, 1999 एवं 2004 में लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उन्होंने वर्ष 1977 में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री पद को भी सुशोभित किया था। वे प्रखर वक्ता एवं संसदीय प्रणाली के ज्ञाता थे। उनका राजनीतिक जीवन बेदाग एवं सादगीपूर्ण था। वे गरीबों, उपेक्षितों एवं आर्थिक रुप से विपन्न व्यक्तियों के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। हम उनके निधन से दु:खी है।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(एक मिनट का मौन)

अध्यक्ष:- मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजवा दूंगा।

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार दिनांक 31 मार्च, 2016 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।

....

परिशिष्ट-1

माननीय मंत्री के उपयोगार्थ

आदरणीय अध्यक्ष/~~सभापति~~ महोदय,

बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2016 को सदन के पटल पर रखते हुए मुझे अपार हर्ष महसूस हो रहा है।

इस विधेयक के जरिए सरकार अपनी दिसम्बर, 2015 में घोषित नई उत्पाद नीति को और प्रभावकारी ढंग से लागू करने हेतु कड़ा कानून बनाना चाहती है। इस क्रम में यह महसूस किया गया है कि वर्तमान उत्पाद अधिनियम, जो कि 100 वर्ष पुराना है, में कुछ ऐसे संशोधनों की आवश्यकता है, जिससे सरकार अपने मद्य निषेध के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसीलिए वर्तमान अधिनियम की दण्ड धाराओं में संशोधन कर उन्हें और कड़ा बनाना आवश्यक है।

वर्तमान अधिनियम के अध्याय-8 में कुल दण्डात्मक धाराएं 23 हैं, जिन्हें और कड़ा किया जाना प्रस्तावित है। इन 23 धाराओं को बदलते हुए कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं, जिनकी तुलनात्मक विवरणी यह बताती है कि किस पुरानी धारा को हटाकर किस नई धारा को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। जो नई धाराएं जोड़ी गई हैं, उनमें मुख्य बात यह है कि जहरीली शराब पीने से मरने पर ऐसा व्यक्ति मृत्यु दण्ड का भागी होगा। अन्य दण्ड धाराओं को भी और प्रबल किया गया है, जिनकी विवरणी इस प्रकार है :-

धारा	वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन
	बिहार उत्पाद अधिनियम 1915	**बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 में संशोधन का विधेयक**
1.	**संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ –** 1. यह अधिनियम बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 कहा जायेगा। 2. इसका विस्तार संथाल परगना के साथ सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 3. यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से लागू होगा।	**1.संक्षिप्त नाम एवं आरंभ–** (1) यह अधिनियम बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा। (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा। 2. **बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा–1 का संशोधन। –** (1) बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम II, 1915) (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा–1 की उप धारा (2) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:– (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
2	(17) "स्थान" के अंतर्गत इमारत, घर, दुकान, जहाज, नाव, गाड़ी या तम्बू।	**बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा–2 की उप धारा (17) के पश्चात् एक नई उप धारा (17 क) का अंतःस्थापन। –** धारा–2 की उप धारा (17) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप धारा (17 क) अन्तःस्थापित की जाएगी, यथा:– "(17 क)– सार्वजनिक स्थान से अभिप्रेत है कोई ऐसा स्थान जहाँ लोगों की पहुँच हो चाहे अधिकार से अथवा नहीं और इसमें आम लोगों द्वारा आने–जाने वाले सभी स्थान सम्मिलित हैं और इसमें कोई खुला स्थान भी सम्मिलित है।" **बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा–2 की उप धारा (21) के पश्चात् एक नई उप धारा(22) का अंतःस्थापन।**–(i) धारा–2 की उप

		धारा (21) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप धारा (22) अंतःस्थापित की जाएगी, यथा :– "(22)– अनधिकृत स्थान से अभिप्रेत है वैसा स्थान जो सार्वजनिक स्थान हो और जहाँ विधिमान्य अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र को छोड़कर मद्यपान करने की अनुमति न हो।"
4	**मादक द्रव्य घोषित करने की शक्ति** – राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम या उसके किसी भाग के प्रयोजनार्थ देशी शराब और विदेशी शराब क्रमशः मादक द्रव्य घोषित कर सकता है।	**बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा–4 के बाद एक नई धारा–4 क का अंतःस्थापन।**–(1) धारा–4 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा–4 क अंतःस्थापित की जाएगी, यथा– "**4क**– मादक द्रव्य घोषित करने की शक्ति– धारा–2 के अधीन उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम या उसके किसी भाग के प्रयोजनार्थ ऐसी वस्तुओं या पदार्थों, जिसे मद्यसार (अल्कोहल) के प्रतिस्थानी के रूप में उपयोग किया जा सकता हो, मादक द्रव्यों के रूप में घोषित कर सकती है।"
19	**मादक द्रव्यों की धारिता एवं उपभोग** – (1) समाहर्त्ता द्वारा स्वीकृत पारक को छोड़कर बोर्ड द्वारा धारा–5 के अधीन खुदरा बिक्री के लिये घोषित सीमा से अधिक मात्रा में कोई व्यक्ति मादक द्रव्य बनाना, उपजाना, संग्रह या बिक्री नहीं करेगा। **(2) उपधारा (1) लागू नहीं होगा** – (क) कोई विदेशी शराब (विकृत सुषव के अतिरिक्त) जो कोई आम वाहक या भण्डागार या (ख) कोई विदेशी शराब जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने उपभोग के लिये खरीदा गया हो न कि बेचने के लिये या किसी समान की बिक्री के लिये निर्माण के वास्ते। (ग) ताड़ी के उपयोग से अभिप्राय है गुड़ या छोआ का निर्माण (घ) ताड़ी के मौलिक उपयोग से अभिप्रमाण है घरेलू खपत के लिये भोजन का निर्माण और न कि (2) मादक द्रव्य या (i) किसी मादक द्रव्य का निर्माण या (iii) किसी बिक्री के लिये समान का निर्माण। (3) समाहर्त्ता द्वारा स्वीकृत पारक को छोड़कर बोर्ड (Board of	**बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा–19 का संशोधन।**–(i) (खंड–2) (ख) को हटाना– बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 (बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम II, 1915) की धारा–19 की उपधारा (2) के खंड (ख) को हटा दिया जाएगा। **(ii) धारा–19 की उप धारा (4) का संशोधन**– बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम II, 1915) की धारा 19 की उपधारा (4) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:– "(4)– इस अधिनियम और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी निर्माणी, बोतलबंद (बॉटलिंग) संयंत्र, अनुज्ञप्तिधारी अथवा किसी व्यक्ति को निर्माण करने बोतलबंद करने, वितरण करने, बिक्री करने, रखने अथवा उसे पीने पर सभी मादक द्रव्यों अथवा किसी मादक द्रव्यों की बाबत या तो पूर्णरूपेण अथवा ऐसी शर्तों पर जो विहित किया जाय सम्पूर्ण बिहार में अथवा किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में पूर्णरूपेण प्रतिबंध लगा सकेगी।"

	Revenue) द्वारा धारा–5 के अधीन घोषित खुदरा बिक्री के लिये सीमा से अधिक मात्रा में कोई अनुज्ञाधारी बिक्रेता द्वारा अधिक मात्रा में मादक द्रव्य अधिकृत स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर रखने के लिये प्राधिकृत नहीं होगा। (4) परन्तु इस अधिनियम और खतरनाक मादक द्रव्य अधिनियम 1930 (अधिनियम,17 1930) राज्य में निहित किसी वस्तु को राज्य सरकार कोई व्यक्ति या व्यक्ति के वर्ग, अपवाद को छोड़कर बिहार राज्य के अंतर्गत या किसी विशिष्ट स्थानीय जगह में धारित करने के लिये निषिद्ध कर सकती है।	
47	**विधि विरूद्ध आयात, निर्यात, परिवहन, उत्पादन, स्वामित्व विक्रय आदि के लिये शास्ति** :– जो कोई भी इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन किसी विषय या किये गये आदेश या निर्गत अधिसूचना के उपबंधो के उल्लंघन या इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र या संबंधित किसी शर्तों के उल्लंघन अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्गत विधिमान्य अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र अथवा पास के बिना – (क) किसी मादक द्रव्य का उत्पादन करता है, स्वामित्व रखता है, विक्रय करता है, वितरण करता है, निर्यात करता है, आयात करता है, ढोता है या हटाता है, या (ख) भांग/गांजा पौधा की खेती करता है, या (ग) भांग/गांजा के किसी भाग का संग्रह करता है, बेचता है जिससे मादक द्रव्य का निर्माण/उत्पादन हो सकता है या (घ) विक्रय के प्रयोजन से किसी मद्य को बोतल में भरता है या (ङ0) किसी आसवनी या बिवरीज का कार्य करता है या (च) किसी मादक द्रव्य के उत्पादन के प्रयोजनार्थ किसी सामग्री, आसवनी,	**बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 के अध्याय VIII, "अपराध और शास्ति" के अधीन उपबंधो का संशोधन एवं प्रतिस्थापन।–(i)** बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा–47 का प्रतिस्थापन– उक्त अधिनियम की धारा–47 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:– "47– विधिविरूद्ध आयात, निर्यात, परिवहन, उत्पादन, स्वामित्व, विक्रय आदि के लिए शास्ति– जो कोई भी, इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन किसी नियम या किए गए आदेश या निर्गत अधिसूचना के उपबंधो के उल्लंघन या इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा–पत्र या पास के किसी शर्तों के उल्लंघन अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्गत विधिमान्य अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा–पत्र अथवा पास के बिना– (क) किसी मादक द्रव्य का उत्पादन करता है, स्वामित्व रखता है, बिक्रय करता है, वितरण करता है, बोतल बंद करता है, निर्यात करता है, आयात करता है, ढोता है या हटाता है; या (ख) किसी भांग/गाँजा पौधों की खेती करता है; या (ग) कोई कारखाना, मद्यनिर्माणशाला, शराब कारखाना या भांडागार का निर्माण करता है या स्थापित करता है; या (घ) विक्रय के प्रयोजन से किसी मद्य को बोतल में भरता है; या (ङ) किसी मादक द्रव्य के उत्पादन के प्रयोजनार्थ किसी सामग्री, आसवनी (स्टिल), बर्तन, उपकरण या उपस्कर अथवा परिसर जो कुछ भी हो, का उपयोग करता है, रखता है या उसके आधिपत्य में है; या (च) राज्य सरकार के प्रतीक चिह्न (लोगो) या किसी

	बर्तन, उपकरण या उपस्कर अथवा परिसर जो कुछ भी हो, का उपभोग करता है, रखता है या उसके आधिपत्य में है, या (छ) किसी आसवनी, ब्रिवरीज या भंडागार की स्थापना करता है, या (ज) किसी मादक द्रव्य को किसी आसवनी, ब्रिवरीज, भंडागार से इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा दिये गये, स्थापित, प्राधिकृत स्थान से दूसरे स्थान पर संग्रह के लिये हटाता है, वह कारावास जिसे बढ़ाकर तीन वर्ष बढ़ाया जा सकेगा और अर्थ दण्ड जिसे बढ़ाकर पाँच हजार रूपये किया जा सकेगा और जुर्माना अदा करने मे विलम्ब के लिये पुनः एक वर्ष की कारावास अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा, दण्डनीय होगा। परंतु यह दण्ड – (1) प्रथम अपराध के लिये वह कम से कम तीन माह के कारावास तथा कम से कम पाँच सौ रूपये के जुर्माना तथा विलम्ब से दण्ड भुगतान के लिये आगे 15 दिनों के कारावास के लिये भागी होगा। (2) दूसरे और क्रमशः अपराध के लिये कम से कम छः माह का कारावास और एक हजार रूपये के जुर्माना और विलम्ब से दंड जमा करने के लिये आगे एक माह के कारावास का भागी होगा।	राज्य के प्रतीक चिह्न (लोगो) सहित या रहित कोई सामग्री अथवा फिल्म या आवरण (रैपर) या कोई अन्य चीज, जिसमें मादक द्रव्य को पैक किया जा सकता है, रखता है या किसी मादक द्रव्य के पैकिंग के प्रयोजनार्थ कोई उपकरण या उपस्कर या मशीन रखता है, या (छ) कोई मादक द्रव्य बेचता हो, विहित मात्रा से परे कोई मादक द्रव्य संग्रह करता हो, या (ज) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त, स्थापित, प्राधिकृत या बने रहे किसी शराब कारखाना, मद्यनिर्माणशाला, भांडागार, भंडारण के अन्य स्थान से किसी मादक द्रव्य को हटाता है : कम–से–कम दस वर्षों के कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा और कम से कम एक लाख का जुर्माना, जिसे बढ़ाकर दस लाख तक किया जा सकेगा, से दण्डनीय होगा।"
47(क)	**कम्पनी द्वारा अपराध किया जाना** – इस अधिनियम के अधीन यदि दण्डनीय अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाता है और यह प्रमाणित हो जाता है कि अपराध कम्पनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव, प्रतिनिधि, अधिकारी या प्रबंधन से जुड़े किसी व्यक्ति जैसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव, प्रतिनिधि, अधिकारी या संबंधित व्यक्ति की सहमति या निष्क्रियता से हुई है तो वह दण्ड का भागी होगा – **इस धारा के उद्देश्य के लिये –** (क) कम्पनी का अभिप्राय कॉरपोरेट फर्म या व्यक्तियों का संगठन	"47क– कंपनियों द्वारा अपराध किया जाना– (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करनेवाला व्यक्ति कंपनी है, तो अपराध किए जाने के समय कारबार के संचालन हेतु कंपनी और कंपनी प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति और कंपनी के प्रति जिम्मेवार प्रत्येक व्यक्ति को अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और तदनुसार दंडित किए जाने का भागी होगा; परन्तु यह कि जहाँ कंपनी की विभिन्न संस्थापन या शाखाएँ हों या किसी संस्थापन या शाखा में विभिन्न इकाई हो, संबद्ध मुख्य कार्यपालक और कार–बार के संचालन के लिए कंपनी द्वारा नामित ऐसे संस्थापन, शाखा, इकाई के जिम्मेवार और प्रभारी व्यक्ति ऐसे संस्थापन, शाखा, इकाई के मामले में

	(ख) निदेशक– फर्म के संबंध में फर्म का हिस्सेदार	उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होंगे : परन्तु, यह और कि इस उपधारा की कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दंड के लायक नहीं बनाएगी, यदि वह साबित करता है कि अपराध बिना उसकी जानकारी के हुई या यह कि ऐसे अपराध के होने को रोकने के लिए उसने सभी सम्यक् तत्परता दिखलायी। (2) उप धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ इस अधिनियम के अधीन कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है और कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य पदाधिकारी की सहमति या मौनानुमति या उनकी ओर से उपेक्षा के फलस्वरूप अपराध किया जाना साबित हो, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव और अन्य पदाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और वह तदनुसार दंडित किए जाने का भागी होगा। (3) यह धारा ऐसी कंपनियों पर लागू नहीं होगी जहाँ अधिकांश शेयर होल्डर केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार अथवा ऐसी कंपनियाँ जिसे बोर्ड छूट दे सके द्वारा धारित हो। स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनार्थ – "कंपनी" से अभिप्रेत है, कोई कारपोरेट निकाय और जिसमें फर्म या व्यष्टि–संगम सम्मिलित हो; और फर्म के संबंध में 'निदेशक' से अभिप्रेत है फर्म में भागीदार।"
48	<u>अपराध जिसकी जबावदेही संतोषजनक धारित नहीं है की उपधारणा</u> <u>**(Presumption)**</u>– धारा 47 के अधीन किसी अभियोजन में जबतक कि प्रतिकूल साबित नहीं हो कि अभियोजित व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के संदर्भ में दण्डणीय अपराध किया गया है उपधारणा होगी कि – **(क)** किसी मादक द्रव्य, या **(ख)** किसी आसवनी, बर्तन, उपकरण ताड़ी को छोड़कर अन्य किसी मादक द्रव्य बनाने में उपयोग करता है, या **(ग)** किसी पदार्थ जो मादक द्रव्य बनाने की प्रक्रिया या मादक द्रव्य अधिपत्य के लिये बनाया गया जिसकी संतोषजनक जबाव देने में वह विफल होता है।	**"48– कतिपय मामलों में अपराध किए जाने की बाबत उपधारणा –** (1) इस अधिनियम के किसी सुसंगत उपबंध के अधीन अभियोजन में, जब तक कि प्रतिकूल साबित न हो, यह उपधारित किया जाएगा, कि अभियुक्त व्यक्ति ने किसी मादक द्रव्य, परिसर, स्टिल (आसवनी), बर्तन, उपकरण या उपस्कर रखने के मामले में उस धारा के अधीन दंडनीय अपराध किया है और जिसका संतोषप्रद जवाब देने में वह असमर्थ है। (2) जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध किए जाने में कोई जानवर, पात्र या गाड़ी या अन्य वाहन और किसी परिसरों का इस्तेमाल किया गया हो, जो अधिहरण किये जाने का भागी हो और/अथवा मुहरबंद किये जाने का भागी हो, तो उसके स्वामी अथवा अधिभोगी को

		ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और ऐसे स्वामी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और वह तदनुसार दंडित किए जाने का भागी होगा, जब तक कि वह न्यायालय को इस बात से संतुष्ट नहीं करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के होने को रोकने में सम्यक् सावधानी बरती थी।"
49	**मानव उपभोग के उपयुक्त बिकृत सुषव देने के लिये शास्ति** –जो कोई भी भारत में बना हुआ या नहीं बिकृत सुषव देने का प्रयास करता है जिसमें उसकी मंशा यह हो कि यह विकृत सुषव मानव उपयोग के लिये, बिवरीज या आंतरिक दवा या किसी तरह जो जिस पद्धति से जो भी हो, या उसके आधिपत्य में कोई सुषव जिसके संबंध में उसे विश्वास करने का कारण हो कि इसका मिलावट किया जा सकेगा, कारावास के लिये भागी होगा जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माना का भागी होगा जिसे पाँच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा और विलम्ब से जमा करने के लिये आगे एक वर्ष तक कारावास का भागी होगा। **परंतु यह शास्ति** – (1) प्रथम अपराध के लिये कम से कम तीन माह का कारावास और जुर्माना कम से कम पाँच सौ रूपये और विलम्ब से जुर्माना जमा करने पर आगे पन्द्रह दिन के कारावास का भागी होगा। (2) दूसरे अपराध और क्रमिक अपराध के लिये वह कम से कम छः माह का कारावास और कम से कम एक हजार रुपये का जुर्माना और विलम्ब से जुर्माना जमा करने पर आगे एक माह तक कारावास का भागी होगा।	**"49– मानव उपभोग के उपयुक्त विकृत आसव देने के लिए शास्ति** – जो कोई भी, मानव उपभोग के उपयुक्त विकृत कोई आसव देता है या देने का प्रयास करता है, जिसे विकृत किया गया है या उसकी जानकारी में ऐसा आसव उसके पास है या ऐसा विश्वास करने का कारण है कि आसव को विकृत करने का ऐसा प्रयास किया गया है, कम से कम दस वर्षों के कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा और कम–से–कम एक लाख रूपये का जुर्माना, जो बढ़ाकर दस लाख रूपये तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।"
50	**कतिपय मामलों में धारा 49 के अधीन अपराध का अवधारणा** – धारा–49 के अधीन अभियोजन में जबतक यह प्रतिकूल प्रमाणित नहीं हो जाय कि अभियुक्त किसी सुषव का आधिपत्य रखता है, या जिसमें	**"50– मद्य के साथ हानिकर पदार्थ मिश्रित करने के लिए शास्ति** – जो कोई स्वयं द्वारा बेचे गए या विनिर्मित या अपने स्वामित्व में रखे गए किसी मद्य के साथ कोई ऐसा हानिकर औषध या विजातीय अवयव, जिसके कारण मानव को विकलांगता या गंभीर

	विकृत सुषव है या विकृत सुषव से उत्पादित है और इस संबंध में धारा–49 के अधीन मिलावट के लिये यह रेफर है वह व्यक्ति (i) स्वयं इस तरह का मिलावट करने का प्रयास किया है, या (ii) यह जानता है या उसे विश्वास करने का यह कारण है कि इस तरह मिलावट किया गया है।	क्षति या मृत्यु होने की संभावना प्रबल हो, मिश्रित करता है या मिश्रित करने की अनुमति देता है, वह– (क) ऐसे किसी कृत्य के फलस्वरूप यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और कम से कम पाँच लाख रू0 का जुर्माना जिसे बढ़ाकर दस लाख रू0 तक किया जा सकेगा, का भी भागी होगा; (ख) ऐसे किसी कृत्य के फलस्वरूप यदि किसी व्यक्ति को विकलांगता या गंभीर क्षति होती है, तो कम से कम दस वर्षों के कठोर कारावास, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जा सकेगा, और कम से कम दो लाख रू0 का जुर्माना जिसे बढ़ाकर दस लाख रू0 तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा; (ग) ऐसे किसी कृत्य के फलस्वरूप यदि किसी को पारिणामिक क्षति होती है, तो कम से कम आठ वर्षों के कारावास, जिसे बढ़ाकर दस वर्ष किया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रू0 का जुर्माना जिसे बढ़ाकर दस लाख रू0 तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा; (घ) ऐसे किसी कृत्य के फलस्वरूप यदि किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है, तो कम से कम आठ वर्षों के कारावास जिसे बढ़ाकर दस वर्षों तक किया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रू0 का जुर्माना जिसे बढ़ाकर पाँच लाख रू0 तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा। **स्पष्टीकरण**– इस धारा के प्रयोजनार्थ 'गंभीर क्षति' अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा, जैसा कि भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का XLV) की धारा–320 में है।"
51	**विकृत सुषव या विकृत सुषव से निर्मित किसी सुषव की उपधारणा (Presumption)** – इस अधिनियम के अधीन किसी अभियोजन जबतक यह प्रतिकूल साबित नहीं हो यह अवधारित किया जाएगा कोई सुषव की मात्रा विकृत सुषव है, या विकृत सुषव से बनाया गया है।	**"51– नकली मद्य (शराब) बेचने के लिए शास्ति –** जो कोई यह जानकारी रखते हुए या जिसके पास विश्वास करने का कारण है कि यह देशी शराब है, लेकिन उसे विदेश से आयातित विदेशी शराब के रूप में बेचता है या बिक्री के लिए रखता है या दिखलाता है, तो वह कम से कम दस वर्षों के कारावास जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।"
52	**अनुज्ञाधारी विनिर्माता या विक्रेता या उसके नौकर द्वारा मिलावट के लिये शास्ति** – यदि कोई अनुज्ञाधारी निर्माता, अनुज्ञाधारी विक्रेता या कोई व्यक्ति जो उसका कर्मचारी हो और उसके अधीन कार्य	**"52– कपट के लिए शास्ति–** जो कोई, (क) ऐसा मद्य, जिसके बारे में वह जानता है या ऐसा विश्वास करने का उसके पास कारण है कि यह देशी शराब है, लेकिन विदेशी शराब के रूप में बेचता

	करता हो– किसी निर्मित मादक द्रव्य में जहरीली मादक द्रव्य या धारा 90 खण्ड (9) के उपखंड (i) के अधीन निषिद्ध वस्तु मिश्रण करता है, मिश्रण करने का आदेश देता है, बेचता है या रखता है या बेचने का प्रदर्शन करता है भारतीय दंड संहिता (45/1860) की धारा 272 के अंतर्गत दण्डणीय अपराध होगा। या, उसके आधिपत्य में मादक द्रव्य है जिसमें मिलावट किया गया है, वह कारावास जिसे तीन माह तक बढ़ाया जा सकेगा या जुर्माना जिसे एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा या दोनों का भागी होगा।	है या बिक्री के लिए रखता है या दिखलाता है, या (ख) ऐसी देशी शराब वाले किसी बोतल, डिब्बा या पैकेज या अन्य पात्र या ऐसे किसी बोतल के कॉर्क को चिह्नित करता है, या ऐसी देशी शराब वाले किसी बोतल, डिब्बा, पैकेज या ऐसे अन्य पात्र का कारबार करता है या देशी शराब वाले किसी **बोतल, डिब्बा, पैकेज या ऐसे पात्र का कारबार इस अभिप्राय से करता है, जिससे विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे बोतल, डिब्बा, पैकेज अथवा** अन्य पात्र में विदेशी शराब है, कम से कम दस वर्षों के कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रु0 का जुर्माना, जिसे बढ़ाकर दस लाख रु0 तक भी किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।"
53	**अनुज्ञाधारी विनिर्माता या विक्रेता या उसके नौकर द्वारा जालसाजी के लिये शास्ति**– जो कोई अनुज्ञाधारी विनिर्माता या अनुज्ञाधारी विक्रेता या कोई व्यक्ति जो उसका कर्मी हो, उसके अधीन कार्य करता हो– (क) वह जानता हो या उसे विश्वास करने का कारण हो कि वह देशी शराब है और विदेशी शराब या किसी शराब के रूप में बिक्री करता है, रखता है या बेचने का प्रदर्शन करता है भारतीय दण्ड संहिता (45/1860) के अधीन दण्डणीय होगा। (ख) किसी बोतल, डब्बा जिसमें देशी शराब है या उस बोतल के ढक्कन को चिन्हित करता है या किसी बोतल, डब्बा या जिसमें देशी शराब है, इस मंशा से जिससे यह विश्वास करने का कारण हो जाय कि वह बोतल या डब्बा विदेशी शराब है और यह चिन्हित करना या व्यापार करना भारतीय दंड संहिता (45/1860) के अधीन दण्डणीय होगा, वह कारावास जिसे तीन माह तक विस्तारित किया जा सकेगा या जुर्माना जिसे पाँच सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा या दोनों का भागी होगा।	**"53– सार्वजनिक स्थान पर मद्यपान के लिए शास्ति–** जो कोई भी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई नियमावली, निर्गत अधिसूचना या दिए गए आदेश के उल्लंघन में– (क) सार्वजनिक स्थल में या अनधिकृत स्थान पर मद्यपान करता है; या (ख) सार्वजनिक स्थल में या अनधिकृत स्थान में या अधिकृत स्थान में मद्यपान करता है और उपद्रव करता है; या (ग) मद्य संस्थापन के परिसरों में या अपने परिसरों में नशाखोरी या असमाजिक तत्वों के जमावड़ा की अनुमति देता है, वह, (1) खंड (क) के अधीन पड़ने वाले अपराध की स्थिति में, कम से कम पाँच वर्षों के कारावास जिसे बढ़ाकर सात वर्षों तक किया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रु0 जुर्माना जिसे बढ़ाकर दस लाख रु0 तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा। (2) खंड (ख) के अधीन पड़ने वाले अपराध की स्थिति में, कम से कम सात वर्षों के कारावास जिसे बढ़ाकर दस वर्ष किया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रु0 जुर्माना जिसे बढ़ाकर दस लाख रु0 तक किया जा सकेगा से दंडनीय होगा। (3) खंड (ग) के अधीन पड़ने वाले अपराध की स्थिति में, कम से कम दस वर्षों के कारावास जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रु0 जुर्माना जिसे बढ़ाकर दस लाख रु0 तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।"

54	**कतिपय विधि विरूद्ध कृत्य के लिये अनुज्ञाधारी विक्रेता या उसके नौकर को शास्ति** – जो कोई अनुज्ञाधारी, बिक्रेता या कोई व्यक्ति जो उसके अधीन कर्मी हो – **(क)** धारा 25 के अधीन निषिद्ध, किसी व्यक्ति को परिसर के अधीन कर्मी या कर्मी के लिये स्वीकृति नहीं देगा जिसकी उम्र 21 वर्ष कम हो या महिला हो, **(ख)** किसी शराबी को मादक द्रव्य बेचने या **(ग)** 21 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई सुषव या मादक द्रव्य नही बेचेगा या पहुँचाएगा चाहे वह ऑन या ऑफ परिसर हो, **(घ)** परिसर के अंतर्गत पीने की मादक द्रव्य लेने विकृत आचरण की अनुमति देना है, **(ङ0)** अभियुक्त जिसके सजायप्ता अपराधी होने की उसकी जानकारी हो या विश्वास करने का कारण हो, नामी वेश्या हो को मिलने अथवा रहने की अपराध या वेश्यावृति के उद्देश्य से अनुमति देता है, वह जुर्माना का भागी होगा जो बढ़ाकर पाँच सौ रूपये किया जा सकेगा। **(2)** जब कोई अनुज्ञाधारी बिक्रेता या उसके कर्मी पर परिसर में किसी को मदहोश होने तक शराब पीने और मादक द्रव्य के उपभोग करने की अनुमति का आरोप लगाया जाता है और यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा शराब पीया गया या मादक द्रव्य लिया गया है, तो उस व्यक्ति को प्रमाणित करना होगा कि अनुज्ञाधारी या उसके कर्मी ने उसे ऐसा करने से रोका था।	"**54– मादक द्रव्य, जिसकी बावत अपराध किया गया है, के स्वामित्व के लिए शास्ति** – यदि कोई व्यक्ति, बिना विधिसम्मत प्राधिकार के, अपने आधिपत्य में ऐसा मादक द्रव्य रखता है, जिसके बारे में उसे जानकारी है या ऐसा विश्वास करने का कारण है कि यह विधिविरुद्ध आयातित, ढोया गया या विनिर्मित है, या जिसके बारे में वह जानता है या ऐसा विश्वास करने का कारण है कि उस पर विहित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, तो वह कम से कम आठ वर्षों के कारावास जिसे बढ़ाकर दस वर्षों तक किया जा सकेगा से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माना का भी भागी होगा जिसे बढ़ाकर दस लाख रूपये तक किया जा सकेगा और जुर्माना के भुगतान के चूक की स्थिति में उसे और कारावास जिसे बढ़कार एक वर्ष तक किया जा सकेगा, से दंडित किया जाएगा।"
55	**मादक द्रव्य जिसके बावत अपराध किया गया है, के स्वामित्व के लिये शास्ति** – यदि कोई व्यक्ति बिना विधि सम्मत प्राधिकार के, अपने आधिपत्य में ऐसा मादक द्रव्य रखता है जिसके बारे में उसे जानकारी है या ऐसा विश्वास करने का कारण है कि यह विधि विरूद्ध आयातित, ढोया गया या विनिर्मित है या यह जानकारी हो या ऐसा विश्वास करने का कारण है कि विहित	"55– रसायनज्ञ की दुकान में मद्यपान के लिए शास्ति– (1) यदि कोई रसायनज्ञ, औषधि विक्रेता, भैषजिक अथवा औषधालय को चलाने वाला किसी प्रकार के मद्य जो औषधीय प्रयोजनों के लिए वास्तविक रूप से स्वास्थकर नहीं है, को अपने कारोबारी परिसर में पीने हेतु अनुमति दे तो वह कम से कम आठ वर्षों के कारावास जिसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रूपये का जुर्माना, जिसे दस

	शुल्क भुगतान नहीं किया गया है तो कारावास जो तीन वर्ष तक विस्तारित हो सकेगा से दण्डित होगा और जुर्माना जो पाँच हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा और विलम्ब से जुर्माना जमा करने के लिये वह आगे एक वर्ष के कारावास के लिये भागी होगा। **परंतु अल्प मात्रा में मादक द्रव्यों जो विनिर्दिष्ट हो अपराध के लिये दंड होगा –** 1. प्रथम अपराध के लिये कम से कम तीन माह का कारावास और कम से कम पाँच सौ रूपये जुर्माना और विलम्ब से जुर्माना जमा करने पर आगे पन्द्रह दिनों के लिये कारावास का भागी होगा। 2. दूसरे तथा क्रमिक अपराध के लिये कम से कम छः माह का कारावास और कम से कम एक हजार रूपये जुर्माना तथा जुर्माना विलम्ब से जमा करने पर आगे एक माह के कारावास का भागी होगा।	लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा, से दंडनीय होगा। (2) यदि कोई व्यक्ति ऐसे परिसरों में ऐसा मद्यपान करता है तो वह कम से कम पाँच वर्षों के कारावास जिसे सात वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माना जो कम से कम एक लाख रुपये होगी जिसे दस लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा, से दंडनीय होगा"
56	**रसानज्ञ के दुकान में मद्यपान के लिये शास्ति –** (1) यदि कोई रसानज्ञ औषधि विक्रेता, भेषजिक (आर्युवेदिक औषधी) अथवा औषधालय चलाने वाला किसी प्रकार के मद्य जो औषधीय प्रयोजन के लिये वास्तविक रूप में स्वास्थ्यकर नहीं हो, को अपने परिसर में पीने हेतु किसी व्यक्ति जो उसमें व्यापार में लिप्त नहीं है अनुमति दे तो वह कारावास जिसे तीन माह तक बढ़ाया जा सकेगा या जुर्माना जिसे एक हजार रूपया तथा बढ़ाया जा सकेगा या दोनों का भागी होगा। (2) यदि कोई व्यक्ति जो उपरोक्त का कर्मी नहीं है उस परिसर में मादक द्रव्य का उपयोग करता है, वह जुर्माना का भागी होगा जो दो सौ रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा।	"**56– अवैध विज्ञापन के लिए शास्ति–** जो कोई किसी मद्य के प्रयोग के लिए किसी मीडिया जिसमें फिल्म एवं दूरदर्शन अथवा कोई सामाजिक प्लेटफार्म शामिल है में याचना करने हेतु प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन मुद्रित करे, प्रकाशित करे अथवा दे तो वह कम से कम पाँच वर्षों के कारावास जिसे बढ़ाकर सात वर्षों तक किया जा सकेगा अथवा जुर्माना जिसे दस लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा : परन्तु उत्पाद आयुक्त द्वारा उपभोक्ता की सूचना और शिक्षा के लिए बिक्री स्थल पर प्रदर्शन हेतु सामान्यतया अथवा विशेष रूप से अनुमोदित सूची पत्र और मूल्य सूची एवं विज्ञापन पर यह धारा लागू नहीं होगी।"

57	**अनुज्ञाधारी या उसके नौकर के कतिपय कृत्य के लिये शास्ति** – जो कोई अनुज्ञाधारी जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त है – (क) पदाधिकारी द्वारा मांगे जाने पर अनुज्ञप्ति दिखाने में विफल होता है, या (ख) स्वेच्छा से धारा 89 या धारा 90 के अधीन गठित नियम का उल्लंघन करता है, जो धारा 47 में नहीं है या (ग) स्वेच्छा अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करता है, वह (क) के लिये जुर्माना जो दो हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा (ख) के या (ग) के लिये जुर्माना जो पाँच हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा के लिये भागी होगा।	"**57– किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे के कारण आयात, निर्यात, विनिर्माण, परिवहन, बिक्री अथवा कब्जा के लिए शास्ति** (1) जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के कारण किसी मादक द्रव्य का आयात, निर्यात, विनिर्माण, परिवहन किया जाता है अथवा उसे बेचा जाता है अथवा उसे कब्जा में रखा जाता है और ऐसा अन्य व्यक्ति जानता है अथवा उसे विश्वास करने का कारण होता है कि ऐसा आयात, निर्यात, विनिर्माण, परिवहन अथवा बिक्री उसके खाते में या अथवा ऐसा कब्जा उसके खाते में है तो मादक द्रव्य इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा आयात किया गया, निर्यात किया गया, वहन किया गया अथवा विनिर्माण किया गया अथवा उसके कब्जे में पाया गया समझा जाएगा और वह कम–से–कम आठ वर्षों के कारावास जिसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा जुर्माना जिसे दस लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा, से दंडनीय होगा। (2) उपधारा (1) की कोई बात किसी व्यक्ति को जो दूसरे व्यक्ति के कारण किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण करता है, विक्रय करता है अथवा अपने कब्जे में रखता है इस अधिनियम के अधीन किसी दंड अथवा ऐसे मादक द्रव्य के अवैध विनिर्माण, बिक्री अथवा कब्जा में रखने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी।"

58	**दूसरे व्यक्ति के लिये आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, बिक्री या स्वामित्व –** जब कोई यह जानकारी रखता हो या यह विश्वास का कारण हो कि किसी मादक द्रव्य का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, बिक्री या स्वामित्व उसके द्वारा किया जा रहा है इस अधिनियम के अधीन उसका प्राधिकार किसी अन्य व्यक्ति का है तो विधि विरूद्ध आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, बिक्री एवं स्वामित्व के लिये इस अधिनियम के लिये दण्ड का भागी होगा।	**"58– प्रतिकर के भुगतान हेतु कलक्टर द्वारा आदेश** (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन आदेश पारित करते समय कलक्टर का समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा क्षति किसी स्थान पर बेचे जानेवाले मद्य को पीने के कारण हुई है तो वह विनिर्माता और विक्रेता चाहे वह किसी अपराध में सिद्धदोष हुआ है अथवा नहीं को प्रतिकर के रूप में कम से कम चार लाख रूपये हरेक मृतक के वैध प्रतिनिधि को अथवा दो लाख रूपये गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्ति को अथवा बीस हजार रूपये ऐसे व्यक्ति को जिसे कोई अन्य पारिणामिक क्षति हुई हो, भुगतान करने का आदेश दे सकेगा; परन्तु जहाँ मद्य की बिक्री अनुज्ञप्त दुकान से की जाती हो तो इस धारा के अधीन प्रतिकर भुगतान करने का दायित्व अनुज्ञप्तिधारी पर होगा। (2) कलक्टर लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम IV, 1914) के अधीन "लोक मांग" के रूप में उक्त प्रतिकर की वसूली कर सकेगा। (3) उप धारा (1) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तिथि से तीस दिनों के अन्दर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा: परन्तु आरोपी द्वारा तबतक अपील नहीं किया जा सकेगा जबतक कि वह उप धारा (1) के अधीन न्यायालय में आदेशित राशि संदत्त न कर दे : परन्तु यह और कि उच्च न्यायालय 30 (तीस) दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील स्वीकार कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाय कि अपीलकर्ता को समय पर अपील करने से पर्याप्त कारण द्वारा रोका गया था"

59	**के अपराधिक कृत्य की अनुज्ञाधारी की जिम्मेवारी** – कोई अपराध जो धारा 47, 52, 53, 54, 55 या धारा 56 के तहत दण्डणीय है, किसी व्यक्ति जो अनुज्ञाधारी का कर्मी हो किया जाता है दण्डणीय होगा यदि वह स्वयं अपराध किया हो अथवा यह स्थापित करना होगा कि उसने अपराध नही धारित होने के लिये आवश्यक निरोधात्मक उपाय किया था।	**"59– अनुज्ञप्तिधारियों, आदि के कदाचार के लिए शास्ति–** इस अधिनियम के अधीन जिस किसी को अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र स्वीकृत अथवा निर्गत किया जाय अथवा ऐसे धारक के नियोजन में होने और उसकी ओर से कार्य करने से वह– (क) ऐसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र को किसी उत्पाद पदाधिकारी अथवा सम्यक् रूप से सशक्त किसी अन्य पदाधिकारी की मांग पर प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा (ख) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय अपनी अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञापत्र की शर्तों के उल्लंघन में जानबूझकर कुछ करता है अथवा कुछ छोड़ देता है, अथवा (ग) अपने परिसरों में किसी उत्पाद पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान सहयोग नहीं करता है, (घ) विवरणी जमा करने में असफल रहता है तो सिद्धदोष होने पर (1) खंड (क) के अधीन आनेवाले किसी अपराध की दशा में कम से कम एक लाख रूपये जुर्माना जिसे दस लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा, से दंडनीय होगा। (2) खंड (ख) के अधीन आनेवाले किसी अपराध की दशा में कम से कम सात वर्षों के कारावास जिसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रूपया जुर्माना जिसे दस लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा, से दंडनीय होगा। (3) खंड (ग) और (घ) के अधीन आनेवाले अपराध की दशा में कम से कम एक लाख रूपये का जुर्माना जिसे बढ़ाकर दस लाख रूपये किया जा सकेगा और उत्तरवर्ती विलम्ब के लिए प्रति दिन दस हजार रूपये से दंडनीय होगा।"
60	**धारा 58 या धारा 59 के अधीन कारावास** – कोई व्यक्ति जिसके विरूद्ध धारा–58 एवं 59 के संदर्भ में अवैध आयात करता है, निर्यात करता है, परिवहन करता है, विनिर्माण करता है, बिक्री करता है आधियत्य रखता है वह कारावास से दंडित नही होगा बशर्ते विलम्ब से जुर्माना अदायगी की है।	**"60– अवयस्कों अथवा महिलाओं को नियोजित करने अथवा अवयस्कों को मद्य की बिक्री करने हेतु शास्ति–** (1) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी अथवा कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो स्पष्ट रूप से 21 वर्ष से कम आयु का हो, किसी मद्य की बिक्री करता है अथवा उसे देता है तो वह कम से कम सात वर्षों के कारावास जिसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माना जो कम से कम एक लाख रूपये होगा और जिसे दस लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा, से दंडनीय होगा। (2) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी 21 वर्ष से कम आयु

		के किसी व्यक्ति को अथवा किसी महिला को नियोजित करे तो वह कारावास जो कम से कम पाँच वर्षों का होगा और जिसे सात वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा तथा जुर्माना जो कम से कम एक लाख रुपये का होगा और जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा।"
61	**उत्पाद पदाधिकारी पर दुर्भावना से खोज, जब्ती, कर्त्तव्य से इन्कार आदि के लिये शास्ति–** (क) पर्याप्त आधार के बिना संदेह पर खोज करना या (ख) दुर्भावनापूर्वक एवं अनावश्यक किसी सम्पति की जब्ती, (ग) अनावश्यक विलम्ब, खोज या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी (घ) समाहर्त्ता द्वारा लिखित दिये जाने पर जब्ती को नकारना, कर्त्तव्य निर्वहन नहीं करना, (ङ0) डरपोक का दोषी। वह कारावास जिसे बढ़ाकर तीन माह किया जा सकेगा या जुर्माना जिसे बढ़ाकर पाँच हजार रुपये किया जा सकेगा का भागी होगा।	"**61–हमला और बाधा के लिए शास्ति–** भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का XLV) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति किसी उत्पाद पदाधिकारी अथवा पुलिस पदाधिकारी अथवा सरकारी कर्तव्य पर तैनात किसी अन्य पदाधिकारी पर हमला करे अथवा हमला करने की धमकी दे, अथवा बाधा पहुँचाए अथवा बाधा पहुँचाने की कोशिश करे तो वह कम से कम आठ वर्षों के कारावास जिसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माना जो कम से कम एक लाख रूपये होगा और जिसे दस लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।"
62	**अन्य किसी तरह से अदण्डणीय अपराध के लिये शास्ति –** इस अधिनियम या किसी नियम, अधिसूचना, आदेश जो इस अधिनियम के अधीन निर्गत हो जिसमें दण्ड का उल्लेख नहीं हो और कोई व्यक्ति उसका अभियुक्त हो तो, वह दण्ड जो बढ़ाकर दो सौ रूपये किया जा सकेगा का भागी होगा।	"**62–शुल्क अथवा फीस के असंदाय (गैर अदायगी) के लिए शास्ति–** यदि इस अधिनियम के अधीन संदाय करने का दायी कोई व्यक्ति कोई शुल्क अथवा फीस का संदाय करने में असफल रहे तो वह कम से कम सात वर्षों के कारावास से जिसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रूपया जुर्माना जिसे दस लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा, से भी दंडनीय होगा।"
63	**न्यायालय की अवमानना के लिये शास्ति –** इस अधिनियम के अधीन समाहर्त्ता या अन्य किसी राज्य सरकार के पदाधिकारी जो अधिसूचित हो समाहर्त्ता की शक्ति उपभोग करता हो के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता (45/1860) की धारा 228 के अधीन न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।	"**63– अपराध करने के लिए परिसरों आदि को उपयोग में लाने की अनुमति देने हेतु शास्ति–** जो कोई इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी होने से किसी मकान, कमरा, अहाता, जगह, जानवर अथवा वाहन पर नियंत्रण रखता है अथवा उसका उपयोग करता है, जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे अपराध करने के लिए इसके प्रयोग की अनुमति दे जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन दंडनीय हो तो वह उसी रीति से दंडनीय होगा मानो कि उसने स्वयं अपराध किया था।"
64	**अपराध का प्रयास अपराध के लिये प्रेरित करने के लिये दण्ड –** कोई भी अपराध करने का प्रयास करता है या उसके लिये प्रेरित करता है तो इस अधिनियम के अधीन	"**64– कोई अपराध करने के प्रयत्न हेतु शास्ति–** जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध करने का प्रयत्न करे वह इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम दंड के आधे का

	वह दण्डणीय होगा जो उस तरह के अपराध के लिये विहित है।	भागी होगा।" (xx) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा–64 के पश्चात् एक नई धारा का अंतःस्थापन– उक्त अधिनियम की धारा–64 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:– **"64क– न्यायालय की अवमानना हेतु शास्ति :–** कलक्टर या राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा विहित ऐसे पद के किसी पदाधिकारी, जो कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, के समक्ष इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा–228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।"
65	**पूर्व अभियोजन के पश्चात उच्चतर दण्ड** – यदि कोई व्यक्ति पर धारा 47, 49, 55 या धारा 56 के अधीन पूर्व में अभियोजन सिद्ध हो चुका है और वह क्रमिक रूप उक्त धाराओं के अधीन अपराध करता है, वह दूसरी बार भी दण्ड का भागी होगा।	**"65– तंग करनेवाली तलाशी, अभिग्रहण, रोक रखना या गिरफ्तारी के लिए उत्पाद पदाधिकारी पर शास्ति –** कोई उत्पाद पदाधिकारी या अन्य पदाधिकारी, जो तंग करने की नियत से और शक–सुबहा के युक्तियुक्त आधार के बिना – (क) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करने के अन्तर्गत किसी बंद स्थान में प्रवेश करता है या तलाशी लेता है या प्रवेश करवाता है या तलाशी करवाता है; (ख) इस अधिनियम के अधीन अधिहरण के दायी किसी वस्तु के अभिग्रहण या तलाशी के बहाने से किसी व्यक्ति के चल सम्पत्ति का अभिग्रहण करता है; (ग) किसी व्यक्ति की तलाशी लेता है, उसे रोक रखता है, गिरफ्तार करता है; (घ) इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य तरीके से अपने विधिसम्मत शक्तियों से बढ़ने पर तीन महीने के कारावास से, या दस हजार रूपये तक के जुर्माना, या दोनों से दंडनीय होगा।"
66	**दण्ड स्वरूप प्रदर्श की वस्तु** – जब कभी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाता है तो मादक द्रव्य, पदार्थ, आसवन, वर्त्तन और उपकरण जिसके द्वारा अपराध किया गया है जब्त कर लिया जायेगा। 2. विधि विरूद्ध, आयातित, विनिर्मित या बिक्री किया हुआ के साथ–साथ उपधारा–1 में वर्णित जब्त वस्तु और उक्त में प्रयुक्त वाहन, जानवर, जहाज, नाव आदि भी जब्ती के भागी होंगे। परन्तु वैसे कोई भी जानवर, नाव या सवारी जब्त नहीं किया जा सकेगा जिसका मालिक यह प्रमाणित करता है कि वह अपराध में संलिप्त नहीं	**"66– कर्तव्य करने से इन्कार करने पर उत्पाद पदाधिकारी पर शास्ति–** कोई उत्पाद पदाधिकारी, जो बिना विधिसम्मत प्रतिहेतु के, सरकारी कर्तव्य निर्वहण से इन्कार कर देता है या उससे स्वयं को अलग कर लेता है, जब तक कि उत्पाद आयुक्त द्वारा लिखित में ऐसा करने के लिए स्पष्ट रूप से अनुमत न हो, या जब तक कि उसने ऐसा करने के अपने आशय की बाबत अपने कार्यालय के वरीय पदाधिकारी को लिखित में दो महीने का नोटिस न दे दिया होगा, या जो कायरता का दोषी होगा, कारावास से जिसे बढ़ाकर तीन महीने किया जा सकेगा या दस हजार रूपये तक के जुर्माना, या दोनों से दंडनीय होगा।"

	है।	
67	**समाहर्त्ता द्वारा जब्ती –** 1. जब समाहर्त्ता को धारा–66 के अंतर्गत यह समाधान होता है कि कोई वस्तु जब्ती के लायक है तो उसको जब्त कर सकेगा या उसके स्वामी को जब्त की जाने वाली वस्तु के जुर्माना जो समाहर्त्ता उचित जमा करने का विकल्प दे सकते हैं। 2. जब कभी समाहर्त्ता को धारा 66 के अधीन किसी वस्तु की जब्ती के लायक होने का समाधान हो जिसका मालिक अज्ञात हो या जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है मामले की जाँच कर समाहर्त्ता जब्ती के संबंध में विनिश्चित होकर आदेश पारित करेंगे। परंतु यह आदेश जब्ती के एक माह के बाद पारित नहीं हो सकेगा या बिना दावेदार जो दावा के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करे की सुनवाई के बिना पारित नहीं हो सकेगा। परंतु वैसी वस्तु जो शीघ्र विनष्ट होने वाली हो या यदि समाहर्त्ता का यह मानना हो कि उसकी बिक्री से उसके मालिक को फायदा होगा किसी समय बेचने के लिये निर्देश दे सकेंगे।	**"67– अन्यथा उपबंधित के सिवाय अपराध हेतु शास्ति –** जो कोई भी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किसी उपबंधों के उल्लंघन में कोई कृत्य करता है और ऐसे उल्लंघन के लिए कोई दंड अन्यथा उपबंधित नहीं हुआ हो, तो वह कम–से–कम छह माह के कारावास जिसे बढ़ाकर सात वर्षों तक किया जा सकेगा या कम–से–कम एक लाख रुपये का जुर्माना जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये तक किया जा सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।" **बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा–67 के बाद एक नई धारा–67क का अंतःस्थापन –** उक्त अधिनियम की धारा–67 के बाद निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :– **"67क– पूर्व दोषसिद्धि के बाद वर्धित दंड –** यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध किए जाने का पूर्व में दोषसिद्ध पाए जाने के बाद भी पुनः अपराध करता है और इस अधिनियम के अधीन उस अपराध से सिद्धदोष ठहराया गया है, प्रथम दोषसिद्धि के लिए उपबंधित दंड की दुगुनी सजा से दंडनीय होगा।" (xxv) **बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा–67 क के बाद एक नई धारा– 67ख का अंतःस्थापन –** उक्त अधिनियम की धारा–67 क के बाद निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा – "67ख– विनिर्माताओं, आदि को पक्षकार बनाने (अभियोजित करने) की न्यायालय की शक्ति – जहाँ इस अधिनियम के अधीन अपराध के विचारण के दरम्यान किसी समय, किसी व्यक्ति, जो किसी मादक द्रव्य का विनिर्माता, वितरक या व्यौहारी न हो, द्वारा अपराध किए जाने को अभिकथित होने पर, न्यायालय का अपने समक्ष पेश साक्ष्य पर समाधान हो जाता है कि ऐसा विनिर्माता वितरक अथवा व्यौहारी उस अपराध से चिंतित है तो न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा–319 की उप धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उसके विरुद्ध इस अध्याय के किसी धारा के अधीन कार्यवाही कर सकेगा।" (xxvi) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की

		धारा–67ख के पश्चात् एक नई धारा– 67ग का अन्तःस्थापन– उक्त अधिनियम की धारा–67ख के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:– "67ग– वर्धित शास्तियाँ अधिरोपित करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा–29 मे अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सत्र न्यायाधीश के लिए इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत किसी प्रकार का दंडादेश पारित करना विधिसम्मत होगा।"
68	**अपराध और जब्त सम्पति की छूट के लिये कराधान** समाहर्त्ता या अधीक्षक उत्पाद से अन्यून कोई भी अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा उत्पाद अधिकारी की शक्ति के लिये अधिसूचित हो – (क) किसी आर्थिक अपराध के लिये धारा 42 के खंड क, ख, ग, घ, ङ0, च एवं छ के अधीन अनुज्ञप्ति को निरस्त, निलंबित या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। अपराध के अनुरूप अर्थदंड एक हजार रूपये से एक लाख रूपये तक हो सकेगा या नियम उल्लंघन की बारम्बरता जैसा की हो कराधान के अतिरिक्त अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण, निलंबन किया जा सकेगा। (ख) किसी भी मामले में जिसमें सम्पति जब्त की गयी हो और धारा–66 के अधीन अभिग्रहित किया जाना हो किसी समय धारा 47 की उपधारा (1) में आदेश पारित होने के पूर्व समाहर्त्ता द्वारा प्राक्कलित राशि के भुगतान पर सम्पति को छोड़ा जा सकेगा। 2. जब उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित अर्थदंड जमा हो और आरोपित व्यक्ति हवालात में हो, उसे छोड़ दिया जा सकेगा और जब्त सम्पति को भी मुक्त किया जा सकेगा, और आगे उस व्यक्ति या सम्पति के विरूद्ध कार्रवाई नहीं होगी।	**"68– अपराधों का अशमन करना** – इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन अशमनीय होगा।" (xxviii) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा–68 के पश्चात् एक नई धारा 68क का अन्तःस्थापन – उक्त अधिनियम की धारा–68 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:– "68क– अधिहरण के भागी कुछ चीजें – जब कभी कोई अपराध किया गया हो जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय है तो निम्नलिखित चीजें अधिहरण के भागी होंगी, यथा– (क) कोई मादक द्रव्य, वस्तु, स्टिल, बर्तन, औजार, उपकरण जिसकी बाबत अथवा जिसके द्वारा ऐसा अपराध किया गया हो। (ख) खंड (क) के अधीन अधिहरण का भागी, किसी मादक द्रव्य के साथ अथवा इसके अतिरिक्त कोई मादक द्रव्य जिसे अवैध रूप से आयात किया गया हो, वहन किया गया हो, विनिर्माण किया गया हो, बेचा गया हो अथवा खरीदा गया हो; (ग) कोई पात्र, पैकेज अथवा आवरक जिसमें खंड (क) अथवा खंड (ख) के अधीन अधिहरण के भागी कुछ चीजें पाई जाती हो और ऐसे पात्र, पैकेज अथवा आवरक का अन्य 'अंश', यदि कोई हो; (घ) कोई जानवर, वाहन, बर्तन अथवा अन्य सवारी जिसे ढोने के लिए प्रयुक्त किया जाता हो; (ङ) कोई परिसर अथवा उसका हिस्सा जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता हो।" (xxix) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की

		धारा–68क के पश्चात् एक नई धारा–68 ख का अंतःस्थापन – उक्त अधिनियम की धारा–68क के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:– "68ख– "अधिहरण के भागी वस्तुओं की बिक्री अथवा उन्हें नष्ट करने का आदेश देने की कलक्टर की शक्ति– यदि प्रश्नगत वस्तु तीव्र और प्राकृतिक क्षय का भागी हो अथवा यदि उत्पाद आयुक्त, कलक्टर, न्यायालय अथवा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी की यह राय हो कि बिक्री लोक हित में की जाएगी अथवा बिक्री स्वामी के हित मे होगी तो उत्पाद आयुक्त, कलक्टर, न्यायालय अथवा पदाधिकारी किसी भी समय ऐसी वस्तुओं को बेचने और आगमों को सरकार को जमा करने का निदेश दे सकेगा : परन्तु जहाँ कोई वस्तु तीव्र और प्राकृतिक क्षय का भागी हो और नगण्य मूल्य का हो तो न्यायालय अथवा सम्बद्ध पदाधिकारी ऐसे वस्तुओं को नष्ट करने का आदेश दे सकेगा, यदि उसकी राय में ऐसा आदेश मामले की परिस्थिति मे समीचीन हो।" (XXX) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II,1915 की धारा–68ख के पश्चात् एक नई धारा–68ग का अंतःस्थापन– उक्त अधिनियम की धारा–68ख के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:– "68ग– कुछ मामलों में जिला कलक्टर द्वारा अधिहरण:– (1) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ इस अधिनियम के अधीन अधिहरण के भागी किसी चीज को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अभिगृहीत अथवा निरुद्ध किया जाय तो ऐसी संपत्ति को अभिगृहीत अथवा निरुद्ध करनेवाला पदाधिकारी बिना किसी युक्तियुक्त विलम्ब के उक्त संपत्ति को उस जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसकी अधिकारिता में उक्त क्षेत्र आता हो। (2) उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिगृहीत वस्तु अथवा सामग्री को प्रस्तुत करने पर यदि जिला कलक्टर का समाधान हो जाय कि इस धारा के अधीन अपराध किया गया है, तो चाहे उस अपराध के लिए अभियोजन संस्थित कर दिया

		"**68ङ– अधिहरण में अधिकारिता का वर्जन –** जब कभी कोई मद्य, सामग्री, रिटल, बर्तन, औजार अथवा उपकरण अथवा कोई पात्र, पैकेज, कोई पशु, गाड़ी, बर्तन अथवा किसी अपराध को करने में प्रयुक्त अन्य वाहन इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत अथवा निरुद्ध किया जाता है तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी न्यायालय को ऐसी संपत्ति के संबंध में कोई आदेश देने की अधिकारिता नहीं होगी।" (xxxiii) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा–68ङ में एक नई धारा–68च का अंतःस्थापन – उक्त अधिनियम की धारा–68ङ के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:– "**68च– अधिहृत वस्तु को कलक्टर के हवाले करना –** (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन जब कोई वस्तु, जानवर या चीज या तो न्यायालय के आदेश से या अन्यथा, सम्यक् रूप से अधिहृत किया जाता है तो ऐसी वस्तु, जानवर अथवा चीज को निपटाने के लिए कलक्टर के हवाले कर दिया जाएगा अथवा यथाविहित रीति से उसका निपटान कर दिया जाएगा। (2) जब धारा–68ग के अधीन किसी संपत्ति के अधिहरण के लिए आदेश पारित किया जाता है और ऐसा आदेश उस संपत्ति के संपूर्ण या किसी हिस्से की बाबत अंतिम होता है तो यथास्थिति ऐसी संपत्ति अथवा उसका हिस्सा बिना किसी विल्लंगम (भार) के राज्य सरकार में निहित होगी।" (xxxiv) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा–68च के पश्चात् एक नई धारा 68छ का अन्तःस्थापन – उक्त अधिनियम की धारा–68च के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:– "**68छ– परिसरों का सीलबंद किए जाने के अधीन होना –** यदि किसी उत्पाद पदाधिकारी अथवा उप निरीक्षक से अन्यून किसी पुलिस पदाधिकारी के नोटिस में यह बात आए कि इस अधिनियम के अधीन किसी विशिष्ट परिसर अथवा उसके किसी हिस्से का उपयोग कोई अपराध करने

		गया हो अथवा नहीं, वह ऐसी संपत्ति के अधिहरण का आदेश दे सकेगा। अन्यथा वह अधिकारवान स्वामी को उसे लौटाने का आदेश दे सकेगा। (3) उपधारा (2) के अधीन अधिहरण का आदेश देते समय जिला कलक्टर यह भी आदेश कर सकेगा कि ऐसी संपत्ति जिससे अधिहरण का आदेश संबंधित है और उसकी राय में परिरक्षित नहीं रखा जा सकता है अथवा मनुष्य के उपभोग हेतु उपयुक्त नहीं है, को नष्ट कर दिया जाय। जब कभी कोई अधिहृत वस्तु इन उपबंधों के अनुरूप नष्ट किया जाय तो यह यथास्थिति अधिहरण अथवा समपहरण का आदेश करनेवाले मजिस्ट्रेट अथवा पदाधिकारी की उपस्थिति में अथवा उत्पाद पदाधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, की उपस्थिति में नष्ट किया जाएगा। (4) जहाँ उपधारा (2) के अधीन अधिहरण आदेश पारित करने के बाद जिला कलक्टर की यह राय हो कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है तो वह अधिहृत संपत्ति अथवा उसके किसी भाग को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचने अथवा विभाग के माध्यम से निपटाने का आदेश दे सकेगा। (5) जिला कलक्टर ऐसे अधिहरण के एक माह के अन्दर उत्पाद आयुक्त को अधिहरण की सभी विशिष्टियों का पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।" (xxxi) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा–68ग के पश्चात् एक नई धारा का अन्तःस्थापन – उक्त अधिनियम की धारा–68ग के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:– "68घ– अधिहरण और नष्ट करने के आदेश का अन्य दंड के साथ हस्तक्षेप नहीं करना – धारा–68 ग के अधीन अधिहरण का कोई आदेश किसी अन्य ऐसे दंड को अधिरोपित करने से नहीं रोकेगा जिससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन इसका भागी है। (xxxii) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा–68घ के पश्चात् एक नई धारा– 68ङ का अन्तःस्थापन – उक्त अधिनियम की धारा–68घ के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:–

के लिए किया जाता है अथवा किया जाता रहा है तो वह तुरत परिसरों को सीलबंद कर सकेगा और उसके अधिहरण हेतु कलक्टर को प्रतिवेदन भेज सकेगा:

परन्तु यदि उक्त परिसर अस्थायी संरचना हो जिसे प्रभावी ढंग से सीलबंद नहीं किया जा सकता हो तो उत्पाद पदाधिकारी अथवा पुलिस पदाधिकारी कलक्टर के आदेश से उस अस्थायी संरचना को गिरा दे सकेगा।"

(xxxv) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा–68छ के पश्चात् एक नई धारा– 68ज का अंतःस्थापन – उक्त अधिनियम की धारा–68छ के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा।

"68ज– कुछ मामलों में जहाँ मादक द्रव्य अथवा भांग/गाँजा बेची जाती हो उन्हें बंद करने की कलक्टर की शक्ति –

(1) यदि कलक्टर की यह राय हो कि मादक द्रव्य बेचे जाने वाले किसी स्थान को बंद करना लोक शांति के हित में है तो कलक्टर के लिए यह विधि सम्मत् होगा कि वह लिखित आदेश से ऐसे मादक द्रव्य को बेचने के लिए अनुज्ञप्ति रखनेवाले व्यक्ति को ऐसे स्थान को ऐसे समय अथवा ऐसी अवधि तक बंद करने के लिए कहेगा जो इस आदेश में विनिर्दिष्ट हो।

(2) यदि दंगा अथवा अवैध जमावड़ा सन्निकट हो अथवा होता हो तो किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो के लिए यह विधिसम्मत् होगा कि वह ऐसे स्थान को बंद करने तथा ऐसी अवधि तक उसे बंद रखने का निदेश देगा जो वह उचित समझे और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में उप धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति स्वयं उस स्थान को बंद करेगा।

(3) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश यदि किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया हो तो कलक्टर के समक्ष और यदि कलक्टर द्वारा दिया गया हो तो उत्पाद आयुक्त के समक्ष अपीलनीय होगा।"

(xxxvi) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा–68ज के पश्चात् एक नई धारा 68झ इनका अंतःस्थापन – उक्त अधिनियम की

		धारा–68ज के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:– "68झ–सामूहिक जुर्माना – यदि कलक्टर की यह राय हो कि कोई विशेष गाँव अथवा शहर अथवा किसी गाँव अथवा शहर के अंदर कोई क्षेत्र अथवा उस गाँव अथवा शहर में रहनेवाला कोई विशेष समूह/समुदाय इस अधिनियम के किसी उपबंध का बारबार उल्लंघन कर रहा है अथवा इस अधिनियम के अधीन अपराध करने के लिए अभ्यासतः प्रणत है अथवा इस अधिनियम के प्रशासन को बाधा पहुँचा रहा है तो कलक्टर शहर अथवा गाँव के ऐसे क्षेत्र में रहनेवाले लोगों के ऐसे समूह पर यथोचित सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा और ऐसे जुर्माना की वसूली कर सकेगा मानो कि वे बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम IV, 1914) के अधीन लोक मांग थी।"

महोदय,

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि वर्तमान अधिनियम के आठवें अध्याय में 23 धाराओं को बदलकर कुल 36 धाराएं जोड़ा जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित संशोधन के द्वारा सरकार इन पुरानी धाराओं में इंगित दण्ड प्रावधानों को और कड़ा करने की मंशा रखती है, ताकि अपनी उत्पाद नीति को प्रभावकारी रूप से लागू कर सके। इसके अतिरिक्त जो नई धाराएं जोड़ी गई हैं, उनमें मुख्यतः यह कहा गया है कि यदि जहरीली शराब पीने से किसी की मृत्यु होती है, तो उसे मृत्यु दण्ड देय होगा। अन्य गंभीर अपराधों के लिए भी 10 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा प्रस्तावित है। उपरोक्त से यह भी स्पष्ट है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर कड़े दण्ड का प्रावधान है।

महोदय, अब आपकी अनुमति से यह विधेयक मैं सदन के पटल पर रखता हूँ।

(अब्दुल जलील मस्तान)

परिशिष्ट–2

Bihar Excise (Amendment) Bill, 2016

A

Bill

TO AMEND THE BIHAR EXCISE ACT, 1915

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty-Seventh year of the Republic of India as follows:-

1. ***Short title and commencement.*** – (1) This Act may be called the Bihar Excise (Amendment) Act, 2016.
   (2) It shall come into force at once.
2. **Amendment of section-1 of Bihar and Orissa Act II of 1915.** – (1) For sub-section (2) of section-1 of the Bihar Excise Act, 1915 (Bihar and Orissa Act II of 1915) (hereinafter referred to as the said Act), the following shall be substituted, namely:-
   (2) This Act shall extend to the whole of the State of Bihar.
3. **Insertion of a new sub-section(17A) after sub-section(17) of Section-2 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.**- After the sub-section(17) of Section-2 , the following new sub-section (17A) shall be inserted, namely:
   "(17A) – Public Place means any place to which public have access, whether as a matter of right or not and includes all places visited by general public and also includes any open space."
4. **Insertion of a new sub-section (22) after sub-section (21) of Section-2 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.**- **(i)** After the sub-section (21) of Section-2 , the following new sub-section (22) shall be inserted, namely:

   "(22) – Unauthorized Places means those places which are public places and where consumption of liquor is not allowed except under a valid

license or permit."

5. Insertion of a new section-4A after section-4 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.-

(i) After section-4 the following new section-4A shall be inserted, namely:-

"4A. Power to declare intoxicant. -Notwithstanding anything mentioned under section-2, the State Government may, by notification, declare for the purposes of this Act or any portion thereof such items or commodities which can be used as a substitute for alcohol, to be intoxicants."

6. Amendment of Section-19 of Bihar and Orissa Act.II of 1915 (i) Deletion of Clause 2(b) - Clause (b) of sub-section (2) of Section-19 of the Bihar Excise Act, 1915 (Bihar and Orissa Act II of 1915), shall be deleted.

(ii) Amendment of sub-section (4) of Section-19 - For sub-section (4) of section- 19 of the Bihar Excise Act, 1915 (Bihar and Orissa Act II of 1915), the following shall be substituted, namely:-

"(4) Notwithstanding anything contained in this Act and the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the State Government may by notification, absolutely prohibit the manufacture, bottling, distribution, sale, possession or consumption by any manufactory, bottling plant, license holder or any person in the whole State of Bihar or in any specified local area in respect of all or any of the intoxicants either totally or subject to such conditions as it may prescribe."

7. The amendment and substitution of the provisions under Chapter VIII, "Offences and Penalties" of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- (i) *Substitution* of new section for section- 47 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 47 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

47- Penalty for unlawful import, export, transport, manufacture, possession, sale, etc. – Whoever, in contravention of provision of this Act or of any rule or order made or notification issued under this Act or

in contravention of any condition of any license or permit or pass, granted under this Act or

without a valid license, permit or pass issued under this Act -

(a) manufactures, possesses, sells, distributes, bottles, imports, exports, transports or removes any intoxicant; or

(b) Cultivates any hemp plant; or

(c) Constructs or establishes or works any manufactory, distillery, brewery or warehouse; or

(d) bottles any liquor for the purpose of sale; or
(e) uses, keeps or has in his possession any material, still, utensil, implement or apparatus, or premises, whatsoever, for the purpose of manufacturing any intoxicant ;or
(f) possesses any material or film either with or without the State Government logo or logo of any State or wrapper or any other thing in which liquor can be packed or any apparatus or implement or machine for the purpose of packing any liquor; or
(g) sells any intoxicant, collects, possesses or buys any intoxicant beyond the prescribed quantity; or
(h) removes any intoxicant from any distillery, brewery, warehouse, other place of storage licensed, established, authorized or continued under this Act;

Shall be punishable with imprisonment for a term not less than ten years but which may extend to imprisonment for life and with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees.

(ii) *Substitution* of new section for section- 47A of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 47A of the said Act the following shall be substituted, namely:-

"**47A- Commission of offence by companies.** – (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of and responsible to, the company for the conduct of its business at the time of commission of the offence, shall be deemed to be guilty of offence, and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Provided that where a company has different establishment or branches or different units in any establishment or branch, the concerned Chief Executive and the person in charge of such establishment, branch, unit nominated by the company as responsible for the conduct of business shall be liable for contravention in respect of such establishment, branch or unit:

Provided further that nothing in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary, or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

(3) This section shall not apply to such companies where the majority shareholding is held by Central or any State Government or such companies as the Board may exempt.

Explanation. – For the purpose of this section -

"company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and "director", in relation to the firm, means a partner in the firm."

(iii) *Substitution* of a new section for section- 48 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 48 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

"**48- Presumption as to commission of offence in certain cases.** – (1) In prosecution under any relevant provision of this Act, it shall be presumed, until the contrary is proved, that the accused person has committed the offence punishable under that section in respect of any intoxicant, premises, still, utensil, implement or apparatus, for the possession of which he is unable to account satisfactorily.

(2) Where any animal, vessel, cart or other vehicle and any premises is used in the commission of an offence under this Act, is liable to confiscation and/or liable to be sealed, the owner or occupier thereof shall be deemed to be guilty of such offence and such owner shall be liable to be proceeded against and punished accordingly, unless he satisfies the court that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised due care in the prevention of the commission of such an offence."

(iv) *Substitution* of a new section for section- 49 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 49 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

"**49- Penalty for rendering denatured spirit fit for human consumption.** – Whoever renders or attempts to render fit for human consumption any spirit, which has been denatured or has in his possession any spirit in respect of which he knows or has reason to believe that such attempt has been made, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life and with fine, which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees."

(v) *Substitution* of a new section for section- 50 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 50 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

"**50- Penalty for mixing noxious substance with liquor.** – Whoever mixes or permits to be mixed with any liquor sold or manufactured or possessed by him any noxious drug or any foreign ingredient likely to cause disability or grievous hurt or

death to human beings, shall be punishable -

(a) if as a result of such an act, death is caused, with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine, which shall not be less than five lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees;

(b) if as a result of such an act, disability or grievous hurt is caused to any person, with rigorous imprisonment for a term which shall be not less than ten years but which may extend to imprisonment for life, and with fine which shall not be less than two lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees;

(c) if as a result of such an act, any other consequential injury is caused to any person, with imprisonment for a term which shall not be less than eight years but which may extend to life imprisonment and with fine, which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees

(d) if as a result of such an act, no injury is caused, with imprisonment which shall not be less than eight years but which may extend to ten years and fine which shall not be less than one lakh rupees but may extend to five lakh rupees.

Explanation. – For the purpose of this section the expression "grievous hurt" shall have the same meaning as in section 320 of the Indian Penal Code, 1860 (XLV of 1860)."

(vi) *Substitution* of a new section for section- 51 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 51 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

"**51- Penalty for selling spurious liquor.** – Whosoever sells or keeps or exposes for sale as foreign liquor imported into India which he knows or has reason to believe to be Indian liquor shall be punishable with imprisonment which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life and with fine, which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees."

(vii) *Substitution* of a new section for section- 52 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 52 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

"**52- Penalty for fraud.** – Whoever,

(a) sells or keeps or exposes for sale, as foreign liquor, any liquor which he knows or has reason to believe to be country liquor, or

(b) marks any bottle, case, package or other receptacle containing country liquor or the cork of any such bottle, or deals with any bottle, case, package or such other receptacle containing country liquor or deals with any bottle, case, package or other receptacle containing country liquor with the

intention of causing it to be believed that such bottle, case, package or other receptacle contains foreign liquor ;

shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life and with fine, which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees."

(viii) *Substitution* of a new section for section- 53 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 53 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

"53- Penalty for consumption of liquor in public place. – Whoever, in contravention of this Act or the rules, notification or order made there under -

(a) consumes liquor in a public place or an unauthorized place; or

(b) consumes liquor in a public place or an unauthorized place or an authorized place and creates nuisance; or

(c) permits drunkenness or allows assembly of unsocial elements in his premises or on the premises of liquor establishment;

shall be punishable,

(1)in case of an offence falling under clause (a), with a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to ten lakh rupees.

(2) In case of an offence falling under clause (b) with a term which shall not be less than seven years but which may extend to ten years and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to ten lakh rupees,.

(3) In case of an offence falling under clause (c), with a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to ten lakh rupees.

(ix) *Substitution* of a new section for section- 54 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 54 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

"54- Penalty for possession of intoxicant in respect of which an offence has been committed. – If any person, without lawful authority, has in his possession, any intoxicant, knowing or having reason to believe the same to have been unlawfully imported, transported, manufactured, or knowing or having reason to believe that the prescribed duty has not been paid thereon, he shall be punished with

imprisonment for a term which may not be less than eight years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine which may extend to ten lakh rupees and in default of payment of fine, shall be punished with a further imprisonment for a term which may extend to one year.

(x) *Substitution* of a new section for section- 55 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 55 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

"55- Penalty for consumption of liquor in chemist's shop. – (1) If a chemist, druggist, apothecary or a keeper of a dispensary, allows any liquor which has not been bonafidely medicated for medicinal purposes to be consumed on his business premises by any person, he shall be punishable with a term which shall not be less than eight years but which may extend to ten years and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to ten lakh rupees

(2) If a person consumes any such liquor on such premises, he shall be punishable with a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to ten lakh rupees."

(xi) *Substitution* of a new section for section- 56 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 56 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

"56- Penalty for unlawful advertisement. – Whoever prints, publishes or gives an advertisement directly or indirectly in any media, including films & television, or any social platform soliciting the use of any liquor, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years or with fine which may extend to ten lakh rupees, or with both:

Provided that this section shall not apply to catalogue and price list and advertisement generally or specially approved by the Excise Commissioner for display at the points of sale for consumer information and education.

(xii) *Substitution* of a new section for section- 57 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 57 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

"57- Penalty for import, export, manufacture, transports, sale or possession by one person on account of another. – (1) Where any intoxicant has been imported, exported, manufactured, transported or sold or is possessed by any person on account of any other person and such other person knows or has reason to believe that such import, export, manufacture, transport or sale was or that such possession

is, on his account, the intoxicant shall, for the purpose of this Act, be deemed to have been imported, exported, transported, sold or manufactured by or to be in possession of such other person who shall be punishable with a term which shall not be less than eight years but which may extend to ten years and with fine which may extend up to ten lakh rupees.

(2) nothing in sub-section (1) shall absolve any person who manufactures, sells or has in possession any intoxicant on account of another person, from liability to any punishment under this Act or unlawful manufacture, sale or possession of such intoxicant.

(xiii) *Substitution* of a new section for section- 58 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 58 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

"**58- Order by Collector to pay compensation.**– (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) the Collector, when passing an order under this Act may, if he is satisfied that death or injury has been caused to any person due to consumption of liquor sold in any place, order the manufacturer and seller, whether or not he is convicted of an offence, to pay, by way of compensation, an amount not less than four lakh rupees to the legal representatives of each deceased or two lakh rupees to the person to whom grievous hurt has been caused, or twenty thousand rupees to the person for any other consequential injury:

Provided that where the liquor is sold in a licensed shop, the liability to pay the compensation under this section shall be on the licensee.

(2) The Collector may recover the said compensation as "Public Demand" under the Public Demands Recovery Act, 1914 (Bihar and Orissa Act IV of 1914).

(3) Any person aggrieved by an order under sub-section (1) may, within thirty days from the date of the order, prefer an appeal to the High Court:

Provided that no appeal can be filed by the accused unless the amount ordered to be paid under sub-section (1) is deposited by him in the court:

Provided further that the High Court may entertain an appeal after expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time."

(xiv) *Substitution* of a new section for section- 59 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 59 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

"**59- Penalty for misconduct of licensees, etc.** – Whoever being a holder of a license or permit granted or issued under

this Act or being in the employment of such holder and acting on his behalf, -

(a) Fails to produce such license or permit on demand by any excise officer or any other officer duly empowered to make such demand; or

(b) Willfully does or omits to do anything in contravention of the conditions of his license or permit not otherwise provided in this Act; or

(c) fails to cooperate during the inspection by any excise officer of his premises ,

(d) Fails to submit returns.

Shall on conviction , be punished -

(1) In the case of an offence falling under clause (a), with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees.

(2) In the case of an offence falling under clause (b), with an imprisonment for a term which shall not be less than seven years but may extend to ten years and with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees.

(3) In the case of an offence falling under clause (c) and (d), with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees and ten thousand rupees per day for subsequent delay.

(xv) *Substitution* of a new section for section- 60 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 60 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

"60- Penalty for employing minors or women or selling liquor to minors. - (1) If any license holder or any person sells or delivers any liquor to any person apparently under the age of twenty-one years, he shall be punishable with a term which shall be not be less than seven years but which may extend to ten years and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to ten lakh rupees

(2) If a license holder employs any person under the age of twenty-one years or any woman, he shall be punishable with a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to ten lakh rupees, or with both."

(xvi) Substitution of a new section for section- 61 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 61 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

"61- Penalty for assault and obstruction. - Notwithstanding anything contained in the Indian Penal Code, 1860 (XLV of 1860) any person who assaults or

threatens to assault or obstructs or attempts to obstruct any excise officer or police officer or any other officer in the discharge of his official duties shall be punishable with a term which shall be not be less than eight years but which may extend to ten years and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to ten lakh rupees."

(xvii) *Substitution* of a new section for section- 62 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 62 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

"**62- Penalty for non-payment of duty or fee. –** If any person fails to pay any duty or fee, which under this Act he is liable to pay, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than seven years but which may extend to ten years and also with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees."

(xviii) *Substitution* of a new section for section- 63 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 63 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

"**63- Penalty for allowing premises, etc., to be used for commission of an offence. –** Whoever, being a licensee under this Act and having the control or use of any house, room, enclosure, space, animal or conveyance, knowingly permits it to be used for commission by any other person of an offence punishable under any provision of this Act, shall be punishable in the same manner as if he had himself committed the said offence."

(xix) *Substitution* of a new section for section- 64 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 64 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

"**64- Penalty for attempt to commit an offence. –** Whoever attempts to commit an offence punishable under this Act, shall be liable for half the maximum punishment provided for the offence under this Act."

(xx) *Insertion* of a new section- 64A after section- 64 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section- 64 of the said Act the following shall be inserted, namely

"**64 A- Penalty for Contempt of Court**.- Every Proceeding under this Act before a Collector or before any officer, of such rank as the State Government may by notification prescribe, who is exercising power of the Collector, shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section- 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860)."

(xxi) *Substitution* of a new section for section- 65 of the

Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 65 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

"**65- Penalty on excise officer for making vexatious search, seizure, detention or arrest.** – Any excise officer or other person who vexatiously and without reasonable ground for suspicion -

(a) Enters or searches or causes to be entered or searched any closed place under color of exercising any power conferred by this Act;

(b) Seizes the movable property of any person on the pretext of seizing or searching for any article liable to confiscation under this Act;

(c) Searches, detains or arrests any person;

(d) In any other way exceeds his lawful powers under this Act, shall be liable to imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both."

(xxii) *Substitution* of section- 66 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 66 of the said Act, the following shall be substituted, namely:-

"**66- Penalty on excise officer refusing to do duty.** – Any excise officer who, without lawful excuse, refuses to perform or withdraws himself from the duties of his office, unless expressly allowed to do so in writing by the Excise Commissioner, or unless he shall have given to his official superior officer two months' notice in writing of his intention to do so, or who shall be guilty of cowardice shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both."

(xxiii) *Substitution* of a new section for section- 67 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 67 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

"**67- Penalty for offences not otherwise provided for.** – Whoever does any act in contravention of any of the provisions of this Act or any rule or order made there under and punishment for which has not been otherwise provided for such contravention, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years or with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees or both."

(xxiv) *Insertion* of a new section- 67Aafter section- 67 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section- 67 of the said Act the following shall be inserted, namely:-

"**67A- Enhanced punishment after previous**

conviction. –If any person, after having been previously convicted of an offence punishable under this Act, subsequently commits and is convicted of an offence under this Act, he shall be liable to twice the punishment, provided for the first conviction.

(xxv) *Insertion* of a new section- 67B after section- 67A of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section-67A of the said Act the following shall be inserted, namely:-

"67B- Power of court to implead manufacturer, etc. – Where at any time during the trial of an offence under this Act, alleged to have been committed by any person, not being the manufacturer, distributor or dealer of any intoxicant, the court is satisfied, on the evidence adduced before it, that such manufacturer, distributor or dealer is also concerned with that offence then the court may notwithstanding anything contained in the sub-section (3) of section 319 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), proceed against him under any section of this chapter."

(xxvi) *Insertion* of a new section- 67C after section- 67B of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section-67B of the said Act the following shall be inserted, namely:-

"67C- Magistrate's power to impose enhanced penalties. –Notwithstanding anything contained in section 29 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), it shall be lawful for any Sessions Judge to pass any sentence, authorized by this Act."

(xxvii) *Substitution* of a new section for section- 68 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 68 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

"68- Non-compounding of offences. – Any offence committed in contravention of the provisions of this Act shall be non-compoundable under this Act."

(xxviii) *Insertion* of a new section- 68A after section- 68 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section-68 of the said Act the following shall be inserted, namely:-

"68A- Certain things liable to confiscation. – Whenever an offence has been committed, which is punishable under this Act, following things shall be liable to confiscation, namely -

(a) any intoxicant, material, still, utensil, implement, apparatus in respect of or by means of which such offence has been committed;

(b) any intoxicant unlawfully imported, transported, manufactured, sold or brought along with or in

addition to, any intoxicant, liable to confiscation under clause (a);

(c) any receptacle, package, or covering in which anything liable to confiscation under clause (a) or clause (b), is found, and the other contents, if any, of such receptacle, package or covering;

(d) any animal, vehicle, vessel, or other conveyance used for carrying the same.

(e) Any premises or part thereof that may have been used for committing any offence under this Act.

(xxix) *Insertion* of a new section- 68B after section- 68A of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section- 68A of the said Act the following shall be inserted, namely:-

"68B- Power of Collector, etc., to order sale or destruction of articles liable to confiscation. –If the article in question is liable to speedy and natural decay, or if the Excise Commissioner, Collector, Court or the officer authorized by the State Government in this behalf is of opinion that the sale would be in public interest or the sale would be for the benefit of the owner, the Excise Commissioner, Collector, Court or the officer may at any time direct such articles to be sold and proceeds be deposited with the Government:

Provided that, where anything is liable to speedy and natural decay, or is of trifling value, the Court or the officer concerned, may, order such thing to be destroyed, if in its or his opinion such order is expedient in the circumstances of the case."

(xxx) *Insertion* of a new section- 68C after section- 68B of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section- 68B of the said Act the following shall be inserted, namely:-

"68C- Confiscation by District Collector in certain Cases:-

(1)Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, where anything liable for confiscation under this Act is seized or detained under the provisions of this Act, the officer seizing and detaining such property shall, without any reasonable delay produce the said property before the District Collector who has jurisdiction over the said area.

(2) On production of the said seized articles or materials under sub-section (1), the District Collector if satisfied that an offence under this Act has been committed, may, whether or not prosecution is instituted for the commission of such an offence, order confiscation of such property. Otherwise he may order its return to the rightful owner.

(3) While making an order of confiscation under sub-section (2), the District Collector may also order that such of the properties which the order of confiscation relates, which in his opinion cannot be preserved or are not fit for human consumption, be destroyed. Whenever any confiscated article has to be destroyed in conformity with these provisions, it shall be destroyed in the presence of a Magistrate or officer ordering the confiscation or forfeiture, as the case may be, or in the presence of the Excise Officer not below the rank of an Inspector.

(4) Where the District Collector after passing an order of confiscation under sub-section (2) is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, he may order the confiscated property or any part thereof to be sold by public auction or dispose of departmentally.

(5) The District Collector shall submit a full report of all particulars of confiscation to the Commissioner of Excise within one month of such confiscation."

(xxxi) *Insertion* of a new section- 68D after section- 68C of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section-68C of the said Act the following shall be inserted, namely:-

"68D- Order of confiscation and destruction not to interfere with other punishment. –The order of any confiscation under section 68C shall not prevent imposition of any order punishment to which the person affected thereby is liable under this Act."

(xxxii) *Insertion* of a new section- 68E after section- 68D of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section-68D of the said Act the following shall be inserted, namely:-

"68E- Bar of jurisdiction in confiscation. – Whenever any liquor, material, still, utensil, implements or apparatus or any receptacle, package, any animal cart, vessel, or other conveyance used in committing any offence, is seized or detained under this Act, no court shall have, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, jurisdiction to make any order with regard to such property."

(xxxiii) *Insertion* of a new section- 68F after section- 68E of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section-68E of the said Act the following shall be inserted, namely:-

"68F- Confiscated article to be made over to the Collector. -

(1)Subject to the provisions of this Act when any article, animal or thing is duly confiscated either by the order of the court or otherwise, such article, animal or thing shall be made over to the Collector for disposal or be disposed of

as prescribed.

(2) When an order for confiscation of any property has been passed under section 68C and such order has become final in respect of the whole or any portion of such property, such property or portion thereof, as the case may be, shall vest in the State Government free from any encumbrance."

(xxxiv) *Insertion* of a new section- 68G after section- 68F of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section-68F of the said Act the following shall be inserted, namely:-

"**68G- Premises liable to be sealed.** If it comes to the notice of any Excise officer or any police officer not below the rank of a Sub Inspector that a particular premises or a part thereof is or has been used for committing any offence under this Act, he may immediately seal the premises and send a report to the Collector for the confiscation of the same.

Provided that if the said premises are temporary structures which cannot be effectively sealed , then the Excise Officer or the police officer, with the order of the Collector, may demolish such temporary structures."

(xxxv) *Insertion* of a new section- 68H after section- 68G of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section-68G of the said Act the following shall be inserted, namely:-

"**68H- Power of Collector to close places where intoxicant or hemp is sold in certain cases.** – (1) If the Collector is of opinion that it is in the interest of public peace to close any place in which any intoxicant is sold, it shall be lawful for the Collector, by an order in writing to the person holding a license for the sale of such intoxicant, to require him to close such place at such time or for such period as may be specified in the order.

(2) If a riot or unlawful assembly is imminent, or takes place, it shall be lawful for any Executive Magistrate who is present to direct that such place shall be closed and kept closed for such period as he thinks fit, and in the absence of any Executive Magistrate, the person referred to in sub-section (1) shall, himself, close such place.

(3) Any order given under this section, shall be appealable before Collector, if given by any other Executive Magistrate, and before the Excise Commissioner, if given by the Collector."

(xxxvi) *Insertion* of a new section- 68I after section- 68H of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section-68H of the said Act the following shall be inserted, namely:-

"**68I-Collective Fine.** - If the Collector is of the opinion that a particular village or town or any locality within a village or

town or any particular group/community living in that village or town have been repeatedly violating any of the provisions of this Act or are habitually prone to commit an offence under this Act or are obstructing the administration of this Act, then the Collector may impose a suitable collective fine on such group of people living in such area of the town or village and may recover such fine as if they were Public Demands under the Bihar & Orissa Public Demands Recovery Act, 1914(Bihar and Orissa Act IV of 1914)."

B.S.P. (L.D.), 30-D.T.P.-50